Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का ८१ वां दिवस [संख्या २०

गुरुवार, दिनांक २२ अक्टूबर, १९६४

विधान सभा की बैठक ११.०४ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, चिकित्सा, कृषि, गृह, स्वायत्त शासन, नियुक्ति, जन स्वास्थ्य, आबकारी कराधान, सामान्य प्रशासन, सिंचाई-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा :

अग्निकांड पीड़ितों को सहायता, ग्राम फतेसरा

४२७. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या झुंझुनू जिले की तहसील झुंझुनू के ग्राम फतेसरा में दिनांक २७-३-६४ को एक भयंकर अग्नि दुर्घटना हो गई थी ?

(२) यदि हां, तो इस अग्निकांड में कुल कितने घर जल कर भस्म हो गये तथा कुल कितने रुपये का नुकसान हुआ ? कितने पशु अथवा मनुष्यों के जान की क्षति हुई ?

(३) क्या इस संबंध में वहां के स्थानीय एम. एल. ए. ने जिलाधीश झुंझुनू को कोई पत्र लिखा था जिसमें उन दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त सहायता दिये जाने के लिए ध्यान दिलाया था ?

(४) यदि हां, तो जिलाधीश ने उस संबंध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(५) क्या इतने लम्बे समय तक फायर रिलीफ के केसेज में कोई कार्यवाही करने को सरकार उचित समझती है ?

(६) यदि नहीं, तो विलम्ब के लिए सरकार जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां। दिनांक २७-३-६४ को ग्राम फतेसरा में अग्नि दुर्घटना हुई थी। जिसमें १९ परिवारों के ५०० घर जल गये थे और अनुमानतः १९,४१०) रु० की सम्पत्ति के अतिरिक्त

Page No. 2

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

२३२ मन अनाज तथा १०० मन चारे की हानि हुई। पशु अथवा किसी मनुष्य की कोई हानि नहीं हुई है।

(२) इसका उत्तर प्रश्न के खंड (१) में दिया जा चुका है।

(३) जी हां।

(४) जिन १६ परिवारों के घर जले थे उन्हें ५–५ जी.सी. शीट्स के परमिट जारी किये तथा तत्कालिक सहायता हेतु स्थानीय जनता में २५०) रुपये इकट्ठे कर खाने की व्यवस्था किये जाने हेतु उन्हें क्षतिग्रस्त लोगों में वितरित कर दिये। उक्त ग्राम की पंचायत समिति का नियमानुसार यह कर्त्तव्य था कि वह पी. डी. आर. एकाउन्ट्स से सहायतार्थ द्रव्य खर्च करती और उसके बाद यथासंभव धनराशि राज्य सरकार से प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करती। राज्य सरकार ने झुंझुनू जिले के पंचायत समिति क्षेत्र के अग्नि पीड़ितों की सहायतार्थ ३०००) रु० स्वीकृत किये हुए हैं।

(५) प्रश्न के खंड (४) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूँ कि यह ५–५ जी. सी, शीट्स के परमिट्स कब जारी किए गए और परमिट्स ही जारी हुए या उनको शीट्स मिल भी चुके हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : परमिट्स जारी की गई हैं। शीट्स उनको मिली या नहीं, उस बारे में मेरे पास सूचना नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा : परमिट्स कौनसी तारीख को जारी किए गए हैं? क्या यह भी सही है कि ये परमिट्स, यह प्रश्न पूछे जाने के बाद ही, जारी किए गए?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सूचना मेरे पास नहीं है, अगर बाद में भी की हों तो क्या हानि है?

श्रीमती सुमित्रा : फायर रिलीफ के केसेज में ४–४ महीने तक किसी प्रकार का रिलीफ न देना, कहां तक वाजिब है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का आदेश है, आज का नहीं बहुत पुराना आदेश है जिसके अनुसार जिस क्षेत्र में आग लगती है, वहां की पंचायत समिति को अपने फंड्स से सहायता देनी चाहिए, वह दे देती है और उसके बाद वह हमारे डिपार्टमेंट को लिख देती है और डिपार्टमेंट को वह रकम ट्रांसफर हो जाती है उसके फंड्स में। इस प्रकार की कोई डिमांड हमारे पास में पंचायत समिति क्षेत्र से नहीं आई, इसलिए नहीं दिया गया। हमने तीन हजार रुपये वहां सैंक्शन कर रखे हैं। जितनी सैंक्शन पंचायत समिति को हुई वे पहले भी खर्च कर सकते हैं और खर्च करने के लिए कलेक्टर से ड्रा भी कर सकते हैं। दोनों प्रावधान नियमों और सक्यूलर्स के द्वारा किए गए हैं।

श्रीमती सुमित्रा : क्या कलेक्टर ने पंचायत समिति का ध्यान दिलाया था कि आप

(श्रीमती सुमित्रा)

अपने पी.डी.आर. अकाउंट में से सहायता कर सकते हैं उस गांव की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बात नहीं है। सरकार ने इस संबंध में स्पेसीफिक इन्स्ट्रक्शन्स २४ मई, १९६० को और उसके बाद में भी दो बार इश्यू कर चुकी है, सर्क्यूलर्स इश्यू कर चुकी है। सब कलेक्टर्स के, पंचायत समितियों के और विकास अधिकारियों की नोलेज में यह बात है और सभी जगह इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है।

श्रीमती सुमित्रा : तो फिर वहाँ के विकास अधिकारी और पंचायत समिति के प्रधान ने गांव को सहायता क्यों नहीं दी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका कारण मेरे पास नहीं है।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : अग्नि दुर्घटना में जो नुकसान होता है उसके लिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं, उनके अनुसार आप कितनी सहायता देते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कोई कम्पन्सेशन नहीं है। जिस प्रकार परिस्थितियां होती है, जिसके पास खाने-पीने को नहीं होता है, उसे तो टेम्पोरेरी रिलीफ के तौर पर दिया जाता है, परिस्टेंस के तौर पर, उसके स्पेसीफिक रूल्स हैं और माननीय सदस्य देख सकते हैं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : कोई फंड्स जिलाधीश के पास हैं जिनके तहत वह रुपया दे दें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि ३०००) रुपये सरकार द्वारा सैंक्शन्ड कलेक्टर के डिस्पोजल पर जिला झुंझुनू के लिए हैं। हम एलाट कर देते हैं। हमने तीन हजार रुपये उनको एलाट किए हुए हैं। जिस वक्त आग लगने की बात कही जाती है उस वक्त ३००० रुपए कलेक्टर के डिस्पोजल पर थे।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : हर जगह के लिए है या केवल झुंझुनू के लिए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सारे राजस्थान में, सभी जिलों के लिए हम सिर्फ वह टोटल रकम एलाट कर देते हैं, उसके बाद में ज्यों-ज्यों रिक्वायरमेंट्स आते जाते हैं फिर फ्रेश एलाटमेंट कर देते हैं। यह टोकन रकम ३००० रु० सैंक्शन की हुई थी।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : तो उन तीन हजार रुपये में से क्यों नहीं कलेक्टर की तरफ से दिया गया ? आपने कहा समिति देगी, यह अलग प्रश्न है, लेकिन जो उनके पास ३ हजार रुपये थे उनमें से उन्होंने क्या राहत दी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह इस बात के लिए कि पंचायत समिति तत्काल में अपने फंड्स में से खर्च कर दे और उसको रीएम्बर्स करा ले, इन तीन हजार रुपयों में से कलेक्टर के जरिए और अगर अधिक आवश्यकता हो तो कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को लिख देता है और हम सैंक्शन भेज देते हैं।

श्रीमती सुमित्रा : कलेक्टर ने सरकार के पास इस प्रकार की सहायता के लिए लेटर लिखा था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न नहीं क्योंकि उसके पास तीन हजार रुपये ही हैं। हमारे पास उनकी तरफ से कोई प्रोपोजल आग लगने के बाद ऐसा नहीं आया।

श्रीमती सुमित्रा : आपने अपने जवाब में स्वयं स्वीकार किया है कि ५० घर जल गए और ५० हजार रुपयों की क्षति हुई, वह पर आज तक सात महीने हो गए एक पैसा भी न दिया गया, एक जी. सी. शीट भी न दी गई, तो उसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

चुनाव हिसाब में फोर्जरी

४२८. श्री नित्थीसिंह (भरतपुर), श्री श्रवणलाल (हिन्डौन), श्री रामकिशन (वैर), क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गंगापुर विधान सभा के चुने हुए प्रतिनिधि के चुनाव हिसाब में फोर्जरी करने वाले सेठ श्री जगन्नाथ पल्लीवाल व श्री गुलाबचन्द व रेवाचन्द पल्लीवाल वगैरह का अभी तक चालान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो २५ महीने तक चालान न होने का क्या कारण है ?

(२) क्या यह सही है कि दिनांक १०-४-६४ को सदन की बैठक में गृह मंत्री तथा मुख्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि केस का चालान किया जाने वाला है ?

(३) क्या यह सही है कि एस० पी० सवाई माधोपुर ने रेवाचन्द पल्लीवाल के बनाये हुए जाली वाउचर्स को जयपुर में एक्सपर्ट के पास जांच के लिये साधारण डाक से भेजे थे और वे सारे वाउचर्स रास्ते में गायब हो गये और एक्सपर्ट ने एस० पी० सवाई माधोपुर को यह जवाब भेज दिया कि उस दिन की डाक के सारे पेपर्स तो उन्हें मिल गये लेकिन रेवाचन्द पल्लीवाल के हस्ताक्षर शुदा वाउचर उन्हें नहीं मिले ?

(४) क्या यह सही है कि इसके बाद एस० पी० सवाई माधोपुर ने इस सम्बन्ध में अब तक कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ? और यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं। सर्व श्री जगन्नाथ पल्लीवाल, गुलाबचन्द पल्लीवाल व रेवाचन्द पल्लीवाल का चालान दिनांक १२-८-६४ को अदालत में पेश कर दिया गया है।

(२) जी हां।

(३) एस० पी० कार्यालय सवाई माधोपुर से भेजा हुआ लिफाफा ही श्री किशनचरण प्राइवेट एक्सपर्ट नहीं मिलना बताते हैं।

(४) जी नहीं। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने सी० ओ० गंगापुर से जांच करवाई जिससे

Page No. 5

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

दस्तावेज़ वाली डाक का एक्सपर्ट के यहां पहुंचने का कोई प्रमाण नहीं मिला।

श्री नत्थीसिंह : क्या आपके एस० पी० महोदय ने या सरकार ने जांच करायी है कि एस० पी० महोदय के यहां से एक्सपर्ट के पास लिफाफा भेजा गया; आया वह दफ्तर से लिफाफा भेजा ही नहीं गया और वे कागज़ात वहीं पर गुम कर दिये गये ? क्या इस तथ्य की जांच करायी गई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जांच कराई है जिससे एक्सपर्ट के पास नहीं पहुंचना प्रमाणित हुआ।

श्री नत्थीसिंह : एस.पी. आफिस से भेजा ही नहीं गया, क्या इस तथ्य की भी जांच करायी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस तथ्य की दुबारा जांच करने के आदेश दिये गये हैं। डाक्युमेंट भेजा गया, किस ढंग से भेजा गया और उसमें क्या क्या प्रिकाशन्स लिये गये और किस पर यह रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स हो सकती है, इन प्रश्नों पर दुबारा जांच के आदेश दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): यह कागज़ किसने डिस्पेच किया था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एस० पी० आफिस से।

श्री भैरोंसिंह : किसने किये थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जांच से रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स किये जाने पर कि किसने किये, वह मैं सदन की मेज पर रख दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : अब तक जांच क्यों नहीं कराई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रिलिमिनरी जांच इसकी हुई। प्रिलिमिनरी जांच में रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स न किये जाने का प्रश्न उपस्थित हुआ इसलिए दुबारा जांच के आदेश दिये गये। प्रिलिमिनरी जांच से यह पता चला कि एक्सपर्ट के पास नहीं पहुंचा।

श्री भैरोंसिंह : अब तक जांच हुई है उस आधार पर यह एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि यह कागज वहां से डिस्पेच ही नहीं किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह मेरी जानकारी में नहीं है कि यह वहां से डिस्पेच ही नहीं हुआ। इस पर तहकीक रूप से नहीं अर्ज कर सकता लेकिन वहां नहीं पहुंचा यह एक सर्कमस्टान्स है जो मेरी जानकारी में नहीं है। दुबारा जांच के आदेश दिये हैं कि इन तथ्यों की जांच की जाय। वहां से डिस्पेच ही नहीं हुआ यह तथ्य दुबारा जांच में आ जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : अब तक आपने क्या किया ? ऐसे सीरियस मैटर में कागज किसी एक्सपर्ट के पास भेजे जायं; वे उसके पास पहुंचे नहीं। सात महीने का इसी में असा निकल जाय और सरकार यह भी कहने की पोजिशन में नहीं है कि डिस्पेच किया था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उस वक्त जानकारी में नहीं था। अब सरकार इस पोज़िशन में है कि पेपर्स vide No. 557 dated 20.1.1964, डिस्पेच तो हो गया।

श्री लक्ष्मीसिंह : डिस्पेच हुआ या नहीं?

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : कौनसी तारीख को डिस्पेच हुआ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा कि सारे तथ्यों की जांच हो रही है, तो फिर भी आप पूछ रहे हैं तो वही उत्तर मिलेंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उस दिन भवानीशंकर जी वहां गये या नहीं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कौन गये या नहीं गये, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जनता।

श्री रामकिशन (वैर) : यह स्पष्ट हो गया है कि डिस्पेच हुआ है। अभी अभी सरकार दो दो मिनिट में एक के बाद एक पोज़िशन पर आयी है।

जब डिस्पेच हो गया तो इन्क्वायरी का सवाल नहीं है। उसको रेस्पोन्सिबिलिटी डिस्पेचर पर है। दूसरा प्रश्न उठाया गया था कि कागज कैसे भेजा गया, साधारण डाक से भेजा गया या रजिस्टर्ड भेजा गया या कैसे? अथवा रिकॉर्ड वहां दबा दिया गया है या खत्म कर दिया गया है? २५ महीने के बाद तो जांच होकर मामला आया। यह जांच होगी तब तक फिर दुबारा चुनाव आ जावेंगे। क्या सरकार अपनी यह नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं समझती कि जल्दी से जल्दी ऐसे मामलों का फैसला करे?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नैतिक और ऑफिशियल दोनों ही जिम्मेदारियां सरकार इस पर महसूस कर रही है। जांच के अन्दर ये तथ्य लिये जावेंगे कि इस डाक्युमेंट को साधारण तरीके से भेजा गया, जो नहीं भेजा जाना चाहिए था। इसलिए इस संबंध में रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स अप करने के लिए कि कहां यह गलती हुई है, इस महत्वपूर्ण डॉक्यूमेन्ट को भेजने में किस के ऊपर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स अप की जा सकती है, यह हमारे डिपार्टमेन्ट के लिये भी जरूरी है? for future guidance, आप न चाहें तब भी हमारे लिए तो जांच कराना आवश्यक है।

श्री रामकिशन : किस बात की जांच करा रहे हैं? डिस्पेच किया आप मानते हैं। रेस्पोन्सिबिलिटी उसी की है जिसने डिस्पेच किया है, साधारण तरीके से कागज भेजा यह भी आप मानते हैं, फिर किस बात की इन्क्वायरी?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसने आदेश के विरुद्ध भेजा या उसके अनुसार भेजा, इस रेस्पोन्सिबिलिटी में एक ही आदमी आता है या इससे लिन्क्ड कोई और है? इसके साथ साथ यह अर्ज करना है कि जिस व्यक्ति ने भेजा उसकी कान्स्टीरेंसी में कोई दूसरा व्यक्ति है या नहीं, जहां एक्सपर्ट के पास पहुंचा वहां मेन्यूपुलेशन हुआ या नहीं? आप नहीं चाहें तब भी हमारे लिए तो जांच कराना आवश्यक है।

श्री भैरोंसिंह : एक बात बता दीजिये कि सरकारी या प्रोसिक्युशन की तरफ इस फेक्ट को, जो चालान किया गया है, उसको कोर्ट में एविडेन्स के रूप में या डाक्युमेन्ट के रूप में लाया गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : चालान की चार्ज शीट मैंने नहीं देखी है। यह फैक्ट उसमें मेन्शन किया है या नहीं, यह अलग से प्रश्न है ?

श्री भैरोंसिंह : अलग से प्रश्न नहीं है। इससे सम्बन्धित है। आप क्वेशचन को एवोइड करना चाहते हैं, इस वजह से यह स्थिति पैदा होती है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं तो बोल रहा हूं, मैंने तो सेमिकोलन भी नहीं लगाया।

श्री भैरोंसिंह : सेमिकोलन नहीं फुलस्टोप लगा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सदन इस भ्रान्ति में है कि डॉक्युमेन्ट ट्रान्ज़िट में गड़बड़ हो गया। एक डॉक्युमेन्ट मिस हुआ। बाकी चार डॉक्युमेंन्ट्स हैं जो केस के लिए मैटीरियल हैं। एक मिस हुआ है उसकी जांच कर रहे हैं। सदन में यह सन्देह प्रकट किया जा रहा है कि इस डॉक्युमेन्ट के मिस हो जाने से केस फेल हो जाने की सम्भावना है। मुल्जिम उसमें एप्रूवर बना है, to corroborate all the facts in material particulars, मेटीरियल डॉक्यूमेन्ट मौजूद है। केस को क्षति पहुँचे, यह आशंका नहीं होनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : चार डॉक्युमेन्ट्स में से तीन ऐसे हैं जो उस फर्म के सेठ, मुनीम और लड़के से सम्बन्धित हैं। उसे बचाने के लिए २५ महीने तक इन्वेस्टिगेशन होता रहा, केस नहीं चालान किया और किसी कॉन्स्पिरेसी के जरिये डॉक्यूमेंट को मिस किया गया और रेवाचन्द को बचाने के लिए जो कि वह डॉक्युमेन्ट होता तो उसके खिलाफ जा सकता था, मैं यह कहूंगा कि सी० ओ०, एस० पी० आदि की मिली भगत थी, इससे चुनावों की सेन्क्टिटी पर, इन्वेस्टिगेशन की सेन्क्टिटी पर और एग्ज़ीक्युटिव ऑथोरिटी पर भयंकर ब्लाट लगा है जिसके लिए कोई डिफेन्स नहीं हो सकता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो भाषण हो गया।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं उस अंश तक है श्री रेवाचन्द। This document is said to have been missed by Shri Rewachand, डॉक्युमेन्ट जो मिस हुआ है उसका नं० है २४२७। हमने एक्स्ट्रा प्रिकाशन्स लिये हैं फोर्जरी के मामले में और एप्रूवर बनाया जाना बहुत ही कठिन है। हमने उस कॉन्सपिरेसी में से एक को एप्रूवर बनाया और पांच महीने इसमें लगे। यह पांच महीने का समय उसमें से डिडक्ट हो जाता है। जब तक एप्रूवर नहीं बन जाता हम यह नहीं कर सकते थे।

इसलिए बजाय इसके कि आप हमारी तारीफ करें कि हमने फोर्जरी जैसे केस में एक एप्रवूर बनाया जिसको निकालना बड़ा मुश्किल है, आप उल्टे

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हमारे लिये इस तरह से कहते हैं। हमारा विश्वास है कि कोई दुर्भावना हमारी इसमें नहीं है, दुर्भावना होती तो एप्रूवर बनाने का प्रश्न ही नहीं आता। हम सजग हैं, प्रयत्नशील हैं। यह तथ्य से कि हमने एप्रूवर बना लिया है, प्रमाणित है।

श्री भैरोंसिंह : यह एप्रूवर भी, जिसे आपने कोई बहादुरी का नमूना माना है, हालांकि एप्रूवर बनाना ऐसे मामलों में बहादुरी नहीं है, आपने नहीं बनाया, पुलिस ने नहीं बनाया। यह तो पार्टी ने मेन्योवर करके बनाया है। ऐसे केसों में एप्रूवर तब बनाया जाता है जब पुलिस फेल रहती है एवीडेन्सेज कलेक्ट करने में। तो यह तो आपकी विफलता का प्रमाण है, जिसे आप तारीफ की बात गिनते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : This case is sub-judice, Sir, एप्रूवर की क्या स्थिति अदालत में होगी क्या नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा आपसे कि एप्रूवर की एवीडेन्सेज पर कहीं इसका असर न पड़े इसलिये उसकी एवीडेन्स को बात न कही जावे तो अच्छा है।

श्री भैरोंसिंह : आप तो अध्यक्ष महोदय, मेरे एक प्रश्न का जवाब दिलवा दीजिये। इन्वेस्टीगेशन में डाक्युमेन्ट मिस करने को बात प्रोसीक्यूशन ने कोर्ट के नोटिस में लाने के लिये चार्जशीट में मेंशन किया या नहीं और कोई डाक्युमेंट सबमिट करके यह शो करने की कोशिश की है या नहीं कि यह डाक्युमेंट मिस है जिसमें उल्लेख था उस मुलजिम के खिलाफ ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह आपने पहले भी पूछा था। मैंने भी इसका स्पष्ट उत्तर दिया है कि चार्ज शीट मुझे देखने का मौका नहीं मिला।

श्री भैरोंसिंह : आप एक बात बता दीजिये……

श्री निरंजननाथ आचार्य : पर मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर दूं कि तफतीश के दौरान में यह प्रश्न बराबर आया होगा, आये बिना नहीं रह सकता ; ऐसी मेरी मान्यता है। और अगर आप मुझे मौका दें तो मैं इसका नम्बर आदि तफतीश डायरी से मालूम करके, उसे तलब करके अध्यक्ष महोदय की सेवा में प्रस्तुत कर दूं, अगर उनका सारा मामला इसी पर आधारित है तो ?

श्री भैरोंसिंह : सैकण्ड एवीडेन्स आपने कोएट की या नहीं, एवीडेन्स प्रोड्यूस की है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह मामला सब जूडिस है, सैकन्डरी एवीडेन्स के बारे में जानकारी देना मामले पर इफेक्ट करेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामकिशन : नम्बर १ में पूछा गया था कि २५ महीने में चालान क्यों हुआ ? इसका कारण नहीं बताया।

Page No. 9

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने बताया तो था। आठ महीने तो निकाल लीजिये एप्रूवर के.... ।

श्री रामकिशन : ये तो फिर ३३ महीने हो गये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे पता नहीं। पच्चीस में से पांच निकाल दीजिये तफ्तीश के। इसके बाद फिर यह डाक्यूमेंट गुम हो गया। इसके लिये दो-तीन महीने इसमें लग गये। अब रहे १७ । १७ महीनों में एक फोर्जरी का मुकद्दमा अगर हम ठीक कर पाये तो अधिक समय नहीं है। इसके लिंक को बैठाने में इतनी कठिनाइयां आती हैं कि इसी में अगर एक साल लग जावे तो बहुत कम समय गिना जाता है यह तो। फोर्जरी के केस को साबित करना बहुत ही कठिन काम होता है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : डाक्यूमेन्ट आप किनके तैयार कर रहे थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : १२-८-६४ को तो चालान कर दिया ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सहाय ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : मेरा प्रश्न है साहब ।

श्री अध्यक्ष : आपका भी प्रश्न है ?

श्री श्रवणलाल : मैंने तो एक भी सप्लीमेन्टरी नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष : फिर इतनी देर चुप क्यों बैठे थे ?

श्री श्रवणलाल : मुझे औरों ने बोलने का अवसर ही नहीं दिया। जैसे मन्त्री महोदय ने प्रश्न संख्या २ में 'जी हां' कहा कि मुख्य-मन्त्री और गृह-मन्त्री ने १०-४-६४ को आश्वासन दिया तो उसमें १२ अगस्त, ६४ को किया जाना, ५ महीने बाद किया जाना, पांच महीने का डिले किया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अध्यक्ष महोदय, नितान्त असत्य है, निराधार, आधार-हीन है व मिथ्या है ।

श्री रामकिशन : क्या है आधारहीन ? आप किस बात का जवाब दे रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कह दिया, आश्वासन दिया; उस आधार पर चालान कर दिया गया ।

श्री रामकिशन : फिर नितान्त असत्य और आधारहीन क्या रह गया, यह मिथ्या क्या कह रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको इसकी पृष्ठभूमि में जो शक है, माननीय सदस्य ने जो शंकाएं इसके पीछे प्रकट की हैं कि उनको टेम्पर विथ करते हैं, वह नितान्त आधारहीन है, मिथ्या है ।

गंगापुर अस्पताल में दवाइयों की व्यवस्था

५२६. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गंगापुर राजकीय चिकित्सालय के लिये वार्षिक कितने रुपये दवाइयों के लिये स्वीकृत हैं ?

(२) क्या यह धनराशि वहां की जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि गंगापुर अस्पताल में दवाइयां समाप्त होने के बाद काफी अर्से बाद पहुंचा करती हैं ? यदि हां, तो सरकार वहां पर समय पर दवाइयां पहुंच सके इसके लिये क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) गंगापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये वार्षिक बजट ४,५००) रुपये का स्वीकृत है।

(२) दवाइयों के लिए धनराशि जनसंख्या के आधार पर नहीं दी जाती है, यह धनराशि आदेश संख्या क्रमांक ई ओ १४ (२०) ५०६५, दिनांक ३०-८-६२ के द्वारा स्वीकृत राशनेलाइज़्ड स्कीम के आधार पर रोगियों की औसतन संख्या पर निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त धनराशि की मांग आने पर सम्बन्धित सीगे में फण्ड की स्थिति के अनुसार स्वीकृति की जाती है।

(३) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : आबादी के आधार पर दवाइयां नहीं स्वीकृत की जातीं, रोगी संख्या के अनुसार की जाती हैं, तो आबादी बढ़ेगी तो रोगी भी तो बढ़ेंगे ? दस साल पहले जितनी आबादी थी उससे आज बहुत अधिक बढ़ गई है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह आवश्यक नहीं कि आबादी बढ़े तो रोगी भी बढ़ें। हमारा पब्लिक हैल्थ विभाग सतर्क है, अच्छा काम कर रहा है इसलिये रोगी संख्या अधिक नहीं बढ़ती और रोगियों की संख्या रेकॉर्ड की जाती है, यह रेकॉर्ड से सम्बन्धित है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : पहले कितनी संख्या थी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह मैं निवेदन कर चुकी हूं कि यह रेकार्ड से सम्बन्धित है। इसका रेकार्ड रखा जाता है।

श्री अध्यक्ष : कुंवर श्री महेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

नगरपालिकाओं के चुनाव

५३१. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य की कितनी नगर पालिकाओं की अवधि अब तक समाप्त हो चुकी है ?

(२) अवधि समाप्त नगर पालिकाओं में कितनी नगर पालिकाओं की अवधि बढ़ाई गई है तथा कितनी नगर पालिकाओं पर प्रशासक

(श्री विजयसिंह झाला)

नियुक्त किये गये हैं ? उनकी अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) अवधि बढ़ाने तथा प्रशासक नियुक्त करने के अलग अलग क्या आधार हैं ?

(४) इन नगरपालिकाओं का चुनाव कब तक सम्पन्न हो जायेगा ?

उप-मन्त्री स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) अवधि बढ़ोतरी व प्रशासकों की नियुक्तियां प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं ।

(४) लगभग दिसम्बर, १९६४ के अन्त तक ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री विजयसिंह झाला : कारण बताइये ? ऐसे क्या कारण हैं जिनके कारण आप प्रशासक नियुक्त करते हैं और किन कारणों से एक्सटेन्ड करते हैं ? एक दो नाम तो बताइये इन कारणों का ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिकाओं में आपस में झगड़े थे इसलिये कार्य ठीक नहीं चल रहा था, कइयों में ऑफिस में वर्क सन्तोषजनक नहीं था । तो इस तरह के कई प्रशासनिक कारण थे ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): कितनों में प्रशासक और कितनों में एक्सटेन्शन दिये गये ?

श्री दौलतराम सारण : यह सूची प्रस्तुत कर दी है ।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि राजनैतिक आधारों पर जहां कांग्रेस के लोग थे वहां अवधि बढ़ा दी, जहां विरोधी पक्ष के लोग थे वहां प्रशासक नियुक्त कर दिया ?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं, यह कत्तई सही नहीं है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या यह सही नहीं है कि जहां कांग्रेसी लोग थे वहां पाटन और नैनवा में अवधि बढ़ा दी और लाखेरी में जहां कांग्रेस का बहुमत नहीं था वहां प्रशासक नियुक्त कर दिया ? लाखेरी म्यूनिसिपैलिटी में अगर राजनैतिक कारण नहीं है तो फिर क्या चार्ज हैं उन पर, बताइये ?

श्री दौलतराम सारण : विशुद्ध प्रशासनिक कारण देखकर ही प्रशासक नियुक्त किये जाते हैं और अवधि बढ़ाई जाती है, राजनैतिक कारणों से नहीं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : फिर बताइये न लाखेरी में क्या कारण था और नैनवा और पाटन में क्या कारण थे ?

श्री दौलतराम सारण : वह तो बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज़ का उदाहरण सूची में प्रस्तुत किया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि किसी म्युनिसिपैलिटी में प्रशासक नियुक्त किया जाये या उसकी अवधि बढ़ाई जाये, उस म्युनिसिपैलिटी के वर्किंग के बारे में डिपार्टमेन्ट से कोई रिपोर्ट ली जाती है जिससे गवर्नमेंट यह निर्णय ले कि इसमें म्युनिसिपैलिटी की लाइफ बढ़ायें या एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करें ?

श्री दौलतराम सारण : नीचे से प्रस्ताव आता है, लगभग उसी के आधार पर कार्यवाही की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : प्रस्ताव तो केवल इतना सा आता है कि टाइम एक्सटेन्ड किया जाये; उसके बाद में आप निर्णय करते हैं कि टाइम एक्सटेन्ड किया जाये या वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाये। आपने अभी कहा कि प्रशासनिक कारणों से किसी नगरपालिका का काम असंतोषजनक हो या अच्छा न हो तो वह निर्णय लिया जाता है, तो गवर्नमेन्ट को कोई विभाग या किसी प्रकार से ऐसी सूचना स्टेटमेंट के जरिये मिलती है या नहीं मिलती है कि जिसके आधार पर गवर्नमेंट यह निर्णय ले पाये कि अमुक नगरपालिका में अवधि बढ़ाई जाये या एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाये ?

श्री दौलतराम सारण : विभाग के पास और सरकार के पास जिनकी शिकायतें आती रहती हैं जिनका अच्छा काम नहीं होता वहां से प्रतिनिधिमण्डल आते रहते हैं, डाक आती है, चिट्ठियां आती हैं, तार आते हैं, इन्क्वायरीज़ चलती रहती हैं, कई तरह की स्थिति होती है और उनकी विभाग को जानकारी होती है, उसी के आधार पर कार्यवाही की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : मैं, एक्सटेन्शन का आॅर्डर इश्यू किया जाता है उस समय का प्रश्न पूछ रहा हूं। गवर्नमेंट जिस समय यह डिसीज़न लेती है उस समय गवर्नमेंट के पास क्या मेटीरियल होता है जिसके आधार पर तार और चिट्ठियां तो सब जगह से आती हैं उनके आधार पर डिसीज़न लें तो कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं बच सकती जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त न किया जाये। बाकी का डिसीज़न लेते समय कौन सा काॅम्प्रिहेन्सिव स्टेटमेन्ट बनाकर आप डिसीज़न लेते हैं, यह बता दें जरा।

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि म्युनिसिपैलिटी की कार्य क्षमता और उसकी स्थिति के सम्बन्ध में विभाग को जानकारी होती है और विभाग उसी आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और उसीके आधार पर विचार करके आगे अवधि बढ़ाते हैं या प्रशासक नियुक्त करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि विभाग की सिफारिश सरकार पूर्णतः मान लेती है ?

श्री दौलतराम सारण : आम तौर पर।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : दौसा म्युनिसिपैलिटी......

Page No. 13

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न दौसा का नहीं है, यह तो जनरल प्रिन्सिपल है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : प्रशासक के बारे में ही अर्ज कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : दौसा के बारे में अलग से प्रश्न पूछ लें।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : आपने जवाब दिया कि हमारा आधार राजनैतिक नहीं होता है तो जब आप स्वयं हाऊस में मान चुके हैं तो फिर दौसा म्युनिसिपैलिटी की इर्रेगुलेरिटीज़ हैं तो वहां पर प्रशासक नियुक्त न करके उसी बोर्ड को एक्सटेन्शन क्यों दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : जो हालत दूसरी म्युनिसिपैलिटीज़ की थी उसी आधार पर किया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री उदयलाल वर्दिया।

(अनुपस्थित)

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : एक सैद्धांतिक प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सैद्धांतिक प्रश्न उठा रहे हैं और यहां अभी बहुत प्रश्न बाकी हैं। आप बहस के दौरान यह बात उठायें। माननीय सदस्यों की हमेशा शिकायत रहती है कि प्रश्न रह जाते हैं। आखिर माननीय सदस्यों को संयम रखना चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): इस समय में किस किस नगरपालिका को सुपरसीड किया गया या डिज़ोल्व किया गया और क्यों ? क्या मन्त्री महोदय यह बता सकते हैं कि डूंगरपुर जिले में सगवाड़ा ग्राम की म्युनिसिपैलिटी की अवधि समाप्त होने के पश्चात वहां पर पुनः चुनाव न कराकर एडमिनिस्ट्रेटर क्यों भेजा गया ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग प्रश्न है।

श्री विजयसिंह झाला : यह अलग प्रश्न कैसे हुआ ? यह बिलकुल स्पष्ट है कि ३७ नगरपालिकायें हैं उसमें सारी की सारी विरोधी पार्टी की हैं....

श्री अध्यक्ष : आप भाषण मत दीजिए। श्री उदयलाल वर्दिया।

श्री विजयसिंह झाला : तो हम यह आश्वासन चाहते हैं कि.......

श्री अध्यक्ष : Order please ! Next question has been called.

श्री विजयसिंह झाला : जवाब आता नहीं है....

श्री अध्यक्ष : जवाब कैसे आये, आप लोग कोऑपरेट ही नहीं करते।

(विराम)

श्री उदयलाल वर्दिया।

चरनोट की भूमि

५३२. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या उदयपुर जिले की तहसील वल्लभनगर, लसाड़िया, सलुम्बर के हर गांव में चरनोट भूमि पशुओं की संख्या के अनुसार छोड़ी गई है और मौके पर पंचायत की राय से सीमा बन्दी कर दी गई है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त चरनोट में काबिल काश्त भूमि होने के कारण कई आसामियों ने इसमें वर्षों से खेती की है और ऐसी जमीनों में कुए व मकान बन चुके हैं ? क्या जमीनों के ऐसे टुकड़े चरागाह की भूमि से कम करके चरागाह की ऐसी भूमि को पूरा करने हेतु दूसरी पड़त भूमि देने का राज्य सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो ऐसे उक्त आसामियों के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा):
(१) जी हां, तहसील वल्लभनगर में पंचायतों ने बावजूद चन्द मर्तबा जानकारी देने के पत्थर व मज़दूरों का इन्तजाम नहीं किया जिससे सीमा बन्दी की कार्यवाही नहीं हुई है। तहसील सलुम्बर व लसाड़िया में भी पंचायतों द्वारा मजदूरों व पत्थर वगैरह का इन्तजाम होने पर सीमा बन्दी की कार्यवाही की जावेगी ।

(२) चरनोट भूमि में कहीं कहीं नाजायज कब्जा है और मकान बन चुके हैं। ऐसे रकबे को नियमानुसार रेग्युलेराइज़ किये जाने पर जो रकबा चरनोट से कमी होगा उस गांव में बिलानाम-भूमि उपलब्ध होने पर चरनोट में कायम किये जाने की कार्यवाही की जाना मुमकिन है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

नगरपालिकाओं के निलंबित सदस्यों के मामले

५३३. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) १ मार्च सन् १९६३ से अब तक किस किस नगरपालिका के किस किस सदस्य को कब कब निलम्बित किया गया और किस-किस अपराध में ?

(ख) कितने और किन किन सदस्यों के मामले कब कब ट्रिब्यूनल के पास भेजे गये और उनमें कब कब क्या निर्णय हुआ ?

(ग) किन किन सदस्यों के मामले ट्रिब्यूनल के पास नहीं भेजे गये और उनको कब कब बहाल किया गया और किस आधार पर ?

(घ) इस समय में किस किस नगरपालिका को सुपरसीड या डिज़ोल्व किया गया और क्यों ?

कृपया तालिकायें सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

Page No. 15

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (क) सूचि संलग्न है ।

(ख) कोई मामला नहीं भेजा गया ।

(ग) उपरोक्त 'ख' के अनुसार कोई मामला ट्रिब्यूनल के पास नहीं भेजा गया और अन्य सूचना के लिए सूचि (ख) संलग्न है ।

(घ) नगरपरिषद्, जयपुर व नगरपालिका, सरदारशहर को सुपरसीड किया गया । कारण सूचि (स व द) में अङ्कित हैं ।

(सूची विस्तृत होने से विधना सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्रीमाधोपुर नगरपालिका के सदस्य भी १मार्च, १९६३ के बाद सस्पेन्ड किये गये थे ? इसके नाम नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : जो १ मार्च ६३ के बाद सस्पेन्ड किये गये हैं उनके नाम सूची में दिये गये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : यह सूची इनकम्प्लीट है । आप अपने विभाग से तस्दीक करें और मैं ऐसा समझता हूं कि इस क्वेश्चन को पोस्टपोन कर दिया जाये क्योंकि इनकम्प्लीट इनफोर्मेशन हैं । इस अवधि के अन्दर आप पूछ लीजिए कि किसी को सस्पेन्ड किया गया है या नहीं । आप पीछे पूछ लीजिए अभी 'हां' या 'ना' कह देंगे ।

श्री दौलतराम सारण : आपने जो नाम बताये हैं उनके बारे में मैं जानकारी कर लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को पोस्टपोन किया जाये क्योंकि जब मंत्री महोदय जानकारी कर लेंगे तो मुझे उस पर क्वेश्चन करने होंगे ।

श्री दौलतराम सारण : आपने श्रीमाधोपुर नगरपालिका के सदस्यों के बारे में बताया, मैं और जानकारी कर लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यही कह रहा हूं कि १ मार्च, ६३ के बाद कुछ और सदस्य भी सस्पेन्ड किये गये हैं जिनके नाम इस सूची में शामिल नहीं किये गये हैं ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या यह सही है कि नगरपालिका निवाई के रामेश्वर वैद्य, जमालुद्दीन और गूजरलाल को भी निलंबित किया गया हैं १ मार्च, ६३ के बाद ?

श्री दौलतराम सारण : इससे पहले ।

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जिन व्यक्तियों को सस्पेन्ड किया गया उनको बिना इन्क्वायरी और जुडीशियल ऑथोरिटी के भेजे ही सरकार ने उनको वापिस री-इन्सटेट कर लिया ?

श्री दौलतराम सारण : जिन सदस्यों सस्पेन्ड किया गया उन सदस्यों को हियरिंग का मौका दिया गया और हियरिंग करने के बाद संतोष होने पर ही उनको बहाल किया गया या जो कार्यवाही की गई वह की गई । उनको जुडीशियल ऑथोरिटी के पास नहीं भेजा ।

Page No. 16

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि म्युनिसिपल एक्ट के सेक्शन ६३ की तहत सरकार को सस्पेन्ड करने के बाद में इन्क्वायरी कराये बिना या जुडीशियल ऑथोरिटी के बिना भेजे री-इन्सटेट करने के कोई अधिकार नहीं हैं ?

श्री दौलतराम सारण : सरकार जब सन्तुष्ट हो जाती है और प्राईमाफेसी केस बन जाता है, उसके बाद ही जुडीशियल ऑथोरिटीज़ के पास केस भेजा जाता है। अगर सरकार सन्तुष्ट हो जाती है तो भेजने की आवश्यकता नहीं होती।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार सन्तुष्ट होने पर ही मेम्बर को सस्पेंड करती है पहले ?

श्री दौलतराम सारण : प्रिलिमिनेरी स्टेज के ऊपर जब शिकायतें सामने आती हैं और ऐसा लगता है कि इसको सस्पेन्ड करना जरूरी है तो सस्पेन्ड किया जाता है। उसके बाद जब शो कॉज नोटिस दिया जाता है और हियरिंग का नोटिस देकर उसको सुना जाता है उसमें अगर सरकार संतुष्ट हो जाती है कि केस जुडीशियल ऑथोरिटी के पास भेजने का है तो भेजते हैं, वर्ना मेम्बर को बहाल कर दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : कौनसी धारा में है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : सब-सेक्शन (४) ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़कर सुना दूं कि इसके गवर्नमेन्ट को अधिकार नहीं हैं। इसमें लिखा है :

"Notwithstanding anything contained in the provisions of this Act, the State Government......"

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It is a matter of interpretation please.

श्री भैरोंसिंह : आप कह दें कि सब-सेक्शन (४) की मार्फत री-इन्सटेट करने के अधिकार हैं। आप कहें 'let it come in the proceeding's आपने जुडीशियल ऑथोरिटी को रेफर किये बिना री-इन्सटेट किया। आपको सस्पेन्ड करने के बाद री-इन्सटेट करने के अधिकार हैं इस सब-सेक्शन (४) के मातहत, वह आप जरा बता दें।

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्रीजी इस सब की जांच करके विभाग को ठीक सलाह दें कि ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए।

(विपक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह : इसको पोस्टपोन कर दें।

श्री अध्यक्ष : वह भविष्य के लिए है।

श्री भैरोंसिंह : भविष्य के लिए इन्कम्प्लीट है। गवर्नमेंट की पॉवर्स का सवाल है। गवर्नमेंट नहीं कर सकती है।

श्री अध्यक्ष : जैसा भी किया है उसके लिए नहीं, लेकिन भविष्य के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं।

Page No. 17

श्री भैरोंसिंह : पास्ट में जो कुछ हो गया है उसके बारे में है मेरा प्रश्न, भविष्य में तो वे करेंगे ही नहीं।

(विराम)

इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए।

श्री राधाकृष्ण गोयल : नगरपालिका के तीन सदस्यों को निलम्बित कर दिया। उनके बारे में अविश्वास का प्रस्ताव आया वह फैल हो गया। फिर ६ महीने के बाद अविश्वास का प्रस्ताव आया है वह भी फैल हो गया....

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट्री प्रोसीज़र के अनुसार जब तक मैं अपने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन्स को एग्ज़ॉस्ट नहीं कर लूं तब तक अपने क्वेश्चन के द्वारा मुझे डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सदस्य क्वेश्चन करके बैठ भी गये थे।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : यह सबके साथ में लागू होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : इस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी इसका दुबारा उत्तर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : दुबारा उत्तर देने का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य ने जो इस कानून की धारा है उसकी ओर संकेत किया। मंत्री महोदय ने कुछ जवाब दिया। भविष्य के लिए क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में सलाहकार विभाग से जांच करवा लेंगे और भविष्य में इसकी प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : हमको कैसे पता लगेगा कि गवर्नमेंट ने जो डिसीज़न लिया है वह करेक्ट डिसीज़न लिया गया है।

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : If against any member of the Municipal Board......

श्री रामकिशन (वैर) : हिन्दी में बोलें तो अच्छा हो।

श्री मथुरादास माथुर : अगर किसी म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य के खिलाफ कोई एलिगेशन्स हों और उन एलिगेशन्स के बारे में प्राइमाफेसी गवर्नमेंट कन्विन्स हो जाय....

श्री अध्यक्ष
that discussion.

श्री मथुरादास माथुर :
my opinion......

श्री अध्यक्ष : Not so casually.

प्रश्न संख्या ५३५

श्री मोहनराज।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार।

Page No. 18

जनाना अस्पताल, जयपुर में पानी सप्लाई सम्बन्धी व्यवस्था

५३५. श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कुछ दिनों से जनाना अस्पताल, जयपुर में पानी की सप्लाई नहीं के बराबर हो रही है और इस कारण अस्पताल में काफी कठिनाई और परेशानी का अनुभव हो रहा है ? यदि हां, तो इस के तुरन्त निराकरण के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(२) गत माह जून, जुलाई और अगस्त, १९६४ में अब तक इस अस्पताल में कितने पानी का कन्ज़म्पशन रहा है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां, यह सही है कि जनाना अस्पताल जयपुर में पिछले गर्मी के दिनों में पानी की सप्लाई में कमी रही है और इसकी वजह से रोगियों को आवश्य असुविधा हुई है। इस कमी को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि पानी की एक नई टंकी की व्यवस्था की जाय क्योंकि मौजूदा टंकी की केपैसिटी केवल ५,००० गैलन है जो कि अपर्याप्त है। बड़ी टंकी की व्यवस्था होने पर यह कमी पूरी हो जायेगी।

(२) मई माह में १०६४०५२ गैलन, जून में १११५०५२ गैलन और जुलाई माह १२२८२०२ गैलन पानी कन्ज़म्पशन रहा है।

श्री अब्दुलजब्बार : यह जो आपने फर्माया कि टंकी बनवा दी जायगी, तो मेरा तो यह अनुमान है कि कमी बराबर चलती रहेगी।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : टंकी की व्यवस्था हो जाने पर हर समय पानी मिल सकेगा।

प्रश्न संख्या ५३६

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री भगराज चौधरी।

भूमि लगान पर सरचार्ज

५३७. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार के द्वारा भूमि के लगान पर सरचार्ज लगाने के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु जो सक्यूलर आदि निकाले हैं उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि म्युटेशन हो जाने के बाद भी सरकार खाते जुदा नहीं करने देती व एक ही खाते पर सरचार्ज लगाया जाता है ?

(३) क्या इस संबंध में सीकर व अन्य जिलों से कोई शिकायत आई है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सक्यूलर्स की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(२) जी नहीं । म्युटेशन हो जाने के पश्चात खाते जुदा जुदा हो जाते हैं और उन जुदा जुदा खातों पर ही सरचार्ज नियमानुसार वाजिब होता है तब ही लगाया जाता है, अन्यथा नहीं ।

(३) इस संबंध में ग्राम बेरी, तहसील सीकर के चन्द काश्तकारों की ओर से जिलाधीश सीकर के कार्यालय में शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर जिलाधीश ने समस्त तहसीलदारों व पटवारियों को स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया गया है । अन्य जिलों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने सक्यूलर्स जारी किये है वे मुझे अभी प्राप्त हुए हैं । इसलिये मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूं कि सप्लमेन्ट्री क्वेश्चन कर सकूं । इसलिए मुझे ५-७ मिनिट का मौका दें । लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है सरकार की तरफ से जो इसके बारे में सक्यूलर्स जारी हुए हैं वे साफ नहीं हैं, इसलिए सारे तहसीलदार और सारे पटवारीगण ज्वॉइन्ट खातों से सरचार्ज ले रहे हैं । इससे काश्तकारों को बड़ी तकलीफ होती है और जो कानून की मन्शा थी उसकी मन्शा के विपरीत काम हो रहा है । इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में और कलेक्टर्स को आदेश दिया जाय कि जो कानून की मन्शा है उसके मुआफिक काम किया जाय और उसके विपरीत काम नहीं किया जाय ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, जॉइन्ट खातों और उनके अन्दर जो स्पेसिफिक शेयर्स हैं १/४, १/३ और १/८ तो १/४, १/३ और १/८ इतने ही शेयर पर जो लैण्ड रेवेन्यू आती है उस पर सरचार्ज को लगाया जाय । यह अब एक्ट में भी प्रावधान हो गया है । आपके दिमाग में जो बात है वह पुरानी बात है । उसके सम्बन्ध में सक्यूलर्स निकाल दिये गये हैं । जिस जिले के सम्बन्ध में प्रश्न है वहां के कलेक्टर के पास इस प्रकार की शिकायत आने पर सभी तहसीलदारों को उन्होंने डिटेल्ड सक्यूलर्स निकाल कर पाबन्द कर दिया है । उस सक्यूलर की प्रति मैं आपको दे दूंगा उससे आपको कोई असन्तोष का कारण नहीं रहेगा ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : वहां के कलेक्टर की ही बात नहीं है बल्कि सारे राजस्थान पर एप्लाई कराने की बात है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सारे राजस्थन के लिए सक्यूलर्स जारी किये हैं, लेकिन जिस जिले की शिकायत है वहां के कलेक्टर ने शिकायत के आने पर तहसीलदारों को हिदायत की है उस सक्यूलर की बात है ।

श्री अब्दुल जब्बार : जब आपके यहां साफ तौर से ज्वॉइन्ट खाते लिखे हुए हैं तो क्यों नहीं अलग अलग खाते उनके खोल देते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अलग खोलने के प्रावधान हैं । उन प्रवधानों के अन्दर अलग डिवीज़न के होते हैं, पार्टीशन के होते हैं, ट्रान्सफर के होते हैं तो यह जब होते हैं तो उन सबकी विधियां हैं । केवल उन विधियों का पालन करने पर खाते का म्यूटेशन बदला जा सकता है, तो उसमें कोई रुकावट नहीं है ।

श्री अब्दुल जब्बार : प्रश्न यह उठता कि जब खाते दिये हुए हैं, तब दाखिला किया गया है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस मामले में वह प्रश्न नहीं है । सक्यूलर्स का सवाल करते हुए खाते पर पहुंच गये, जिसका कि सवाल नहीं था ।

श्री अब्दुल जब्बार : भाग (२) में....

श्री अध्यक्ष : आपसे बहस करूं या और प्रश्न पूछूं ।

श्री गोविन्दसिंह (पिडावा) : हम मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहते हैं कि किसी जगह पर सरकार के अधिकारियों की गलती से सरचार्ज जो वसूल कर लिया गया है उसको राज्य सरकार वापिस कर देगी । मुझे झालावाड़ जिले का मालूम है जहां मैं कलेक्टर से मिला हूं तो उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा सक्यूलर नहीं है, मैंने मंत्री महोदय से भी अर्ज किया था । वह १० वर्ष से वसूल हो रहा है और ज्यादा वसूल कर रहे हैं । तो हम आश्वासन चाहते हैं कि ज्यादा वसूल कर लिया गया है तो रिफण्ड कर देंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आश्वासन का सवाल नहीं है । जो नियम के विरुद्ध वसूल कर लिया गया है उसके लिए एडजस्टमेंट के लिए अलग से सक्यूलर निकाला गया है । जब वहां का सवाल आया था तो मैंने निवेदन किया था, यह प्रश्न इस बात से बिल्कुल भिन्न है ।

एक माननीय सदस्य : बांसवाड़ा जिले में सरचार्ज वसूल कर लिया गया है और गये अधिवेशन में आश्वासन दिया था लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस सम्बन्ध में से जो खाते वाले मामले हैं वह गये सेशन में इसका बिल पास किया है उसके अन्दर हमने कहा है कि डेफिनिट शेयर है तो डेफिनिट शेयर की लैण्ड रेवेन्यू केलक्यूलेट करेंगे सरचार्ज के परपज़ के लिए । पहले जब यह प्रावधान नहीं था उस वक्त की बात है वह अलग है । जब प्रावधान हो गया है उसके विपरीत वसूली हुई है, तो बात दूसरी है ।

श्री भगराज चौधरी : सरचार्ज के बारे में ज्वोइन्ट टिनेन्सी पर सरचार्ज नहीं लगेगा । जो कानून पास किया है वह अप्रेल माह में किया गया था, लेकिन मई के महीने तक वह होता रहा है । एक महीने तक मेरे खयाल से सब जिलों में वसूली होती रही, जिससे काश्तकारों को बड़ा पैसा खजाने में देना पड़ा । सरकार उसको एडजस्ट कर दे तो ज्यादा अच्छी बात हो । मेरे खयाल से जो काश्तकारों से ज्यादा वसूल किया गया है तो रिफण्ड नहीं करने की कोई वजह नहीं मालूम होती है । इसलिए उनको रिफण्ड होना चाहिए और आयन्दा से साफ, स्पष्ट सक्यूलर जारी किया जाय ।

Page No. 21

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कानून लागू होने के पश्चात् कानून की इच्छा के विपरीत अगर कोई वसूली हुई है तो उसका स्पेसिफिक इन्स्टान्स माननीय सदस्य बतावें तो निश्चित बात है कि कार्यवाही की जा सकती है।

श्री भगराज चौधरी : स्पेसिफिक इन्स्टान्स का सवाल तब पैदा होता है जब किसी जिले के अन्दर एक–आध घटना हुई हो। हर जिले के अन्दर घटनायें हुई हैं और हर गांव की घटनायें हैं, इसलिए मेरी समझ में एक उदाहरण देना उचित नहीं है। मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं कि किस किस जिले में अनियमितता हुई है। ऐसे सैकडों केसेज़ हैं। आप अपनी कमजोरी को छिपाते क्यों हैं? आपको मान लेना चाहिए कि आपकी गलती के कारण गलतियां ये हुई हैं, और किसानों को बीघोड़ी ज्यादा देनी पड़ी है। इसलिए आप उसे एड्जस्ट करिये और आयन्दा साफ तौर से कह दीजिये कि इस प्रकार बीघोड़ी की वसूल नहीं की जा सकती।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गंगानगर

५३८. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गंगानगर में कितने डाक्टर, लेडी डाक्टर, नर्स, दाईयें व कम्पाउन्डर हैं?

(२) उपरोक्त हॉस्पिटल का सालाना दवाइयों तथा सर्जीकल इन्स्ट्रूमेन्ट्स का बजट क्या है? वर्ष १९६२-६३ व १९६३-६४ के आंकड़े दें।

(३) उपरोक्त हॉस्पिटल में उपरोक्त वर्षों में कितने मरीज रजिस्टर हुए, इनमें मेडीको जूरिस्ट के पास कितने केसेज़ आये? कितने केसेज़ में एक्सरे लिया गया?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त हॉस्पिटल में मेडिको जूरिस्ट केसेज़ में ऐक्सरे प्लेट्स भी बदल दी गई तथा इस सम्बन्ध में डी. एम. ओ. की शिकायतें भी राज्य सरकार के पास पहुंची हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

(५) उपरोक्त हॉस्पिटल में कितने और कौन कौन डाक्टर ऐसे हैं जो दो वर्ष से अधिक समय से इसी अस्पताल में कार्य कर रहे हैं?

(६) क्या दो वर्ष से अधिक एक डाक्टर को एक ही अस्पताल में नहीं रखने का विभागीय निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो इस हॉस्पिटल के सम्बन्ध में क्या यह निर्णय लागू किया गया है?

(७) क्या उपरोक्त हॉस्पिटल के डी. एम. ओ. ने अपने घर पर एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी खोल रखी है? यदि हां, तो क्या उन्हें ऐसा करने का कानूनी अधिकार है और क्या उस डिस्पेंसरी में उपरोक्त हॉस्पिटल की दवाईयां तथा इन्स्ट्रूमेन्ट्स प्रयोग में लाये जा रहे हैं?

Page No. 22

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(८) क्या यह सही है कि डी. एस. ओ. हॉस्पिटल में जाने वाले मरीजों को अपनी प्राइवेट डिस्पेंसरी में इलाज कराने के लिए प्रेरित करते हैं ?

(९) क्या डी.एम.ओ.गंगानगर का गंगानगर से निकलने वाले साप्ताहिक अखबार 'चुनौती' के सम्पादक से कोई फौजदारी का मुकदमा चल रहा है ?

(१०) यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति में भी सरकार डी. एम. ओ., गंगानगर को गंगानगर में ही रखना उचित समझती है ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गंगानगर के स्टाफ की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) उपरोक्त हॉस्पिटल का सालाना दवाइयों तथा सर्जीकल इन्स्ट्रूमेन्ट का बजट आंकड़ों सहित निम्न प्रकार है :—

	१९६२—६३	१९६३--६४
दवाइयों का सलाना बजट	२५,०००	२८,०००
अतिरिक्त धनराशि	५,०००	
इन्स्ट्रूमेन्ट	१३,०००	१३,०००
अतिरिक्त धनराशि	१,३००	

(३) उपरोक्त हॉस्पिटल में सन् १९६२-६३, १९६३-६४ में रजिस्टर हुए मरीजों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

१९६३	७००७९
१९६४	४६२३२

(दिनांक १४-८-६४ तक)

जिसमें मेडिको जूरिस्ट के पास आये हुए मरीजों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

१९६३	५३३ केसेज़ आये, २५७ केसेज़ जिनमें एक्सरे लिया गया।
१९६४	६४५ केसेज़ आये, २५२ केसेज़ जिसमें एक्सरे लिया गया। (दिनांक १४-८-६४ तक)

(४) जी हां, ५-१२-६१ को एक मामले में कम्पाउन्डर की गलती से बदल दी गई थी। कम्पाउन्डर को इस गलती के लिये कठोर चेतावनी दे दी गई है और इसका इन्द्राज उसको सर्विस बुक में कर दिया गया है।

(५) उपरोक्त हॉस्पिटल में केवल २ डाक्टर एवं एक लेडी डाक्टर जिनके नाम क्रमशः डा. के. सी. कल्ला, डा. मोहन राजी पी. जैन एवं डा. सी. ललिता चोपड़ा ऐसे हैं जो २ वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं।

(६) जी नहीं, इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

(७) जी नहीं।

(८) इस प्रकार की कोई जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(९) अब नहीं, पहले मुन्सिफ मजिस्ट्रेट सी गंगानगर में चल रहा था।

(१०) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने यह जो धनराशि बताई है इसको देखते हुए मेडिको जूरिस्ट के पास आने वाले मरीजों का अनुपात है-उसको देखते हुए क्या यह धनराशि उचित है ? हजारों की संख्या में केसेज़ आये हैं, ७० हजार तक आये हैं और जो कोन्स्टेन्ट धनराशि देते हैं वह क्या उचित और पर्याप्त है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया था कि जब धनराशि की अतिरिक्त मांग आती है और जरूरत होती है तो उस समय जिस मद की धनराशि होती है उससे आवश्यकता पड़ने पर अनुदान दिया जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : १९६२-६३ में दी है, लेकिन १९६३-६४ में बन्द करदी गई है और १९६४-६५ में तो अतिरिक्त धनराशि नहीं है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जितनी मांगी गई है, वह दी गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक प्रश्न और है, एक्सरे प्लेट कम्पाउन्डर की गलती से बदल ली गई, क्या इस सम्बन्ध में डाक्टर, जिसने आदमी को भेजा था, जिसकी बांह टूट गई थी, ने यह रिपोर्ट की थी कि एक्सरे प्लेट बदल ली गई जिसके कारण केस पर प्रभाव पड़ा है, जो केस ३२५ का बनता था, वह ३२२ का बन कर रह गया है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो तथ्य मेरे सामने हैं वे पेश कर दिये गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या इस प्रकार और एक्सरे प्लेट बदली गई हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसकी इस विभाग को जानकारी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या विभागीय जांच आपकी ओर से की गई है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह इस समय नहीं कहा जा सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : विभागीय जांच की गई है, आपके द्वारा विभागीय जांच की गई है, जिसमें मेरी शहादत ली गई है, डाक्टर की शहादत ली गई है। प्रश्न का उत्तर जो दिया है उसमें सारे तथ्यों को छिपाया है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : माननीय सदस्य इस केस को लाये हैं तो जांच पुनः की जा सकती है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : प्लेट पर नाम दर्ज होता है या नहीं ? किसी की एक्सरे प्लेट ली जाती है तो उसमें नाम दर्ज होता है या नहीं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुरलीधरजी, कृपा करके मुझे एग्ज़ॉस्ट हो लेने दीजिये।

क्या यह सही है कि मरीज को बाकायदा हैड कॉन्स्टेबल ग्रेड के आदमी द्वारा लाया जाता है और जब प्लेट पर बाकायदा नाम होता है, मोहर होती है और उसका सम्बन्ध कम्पाउन्डर से नहीं होता है और डाक्टर एक्सरे करके

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हैड कॉन्स्टेबल को प्लेट हैंड ओवर करने की ड्यूटी होती है तो आपने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जैसा मैंने पहले कहा है, उस समय कम्पाउन्डर ही ड्यूटी पर था, टेक्निशियन छुट्टी पर था; इसलिए कम्पाउण्डर ही ड्यूटी पर आया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने जवाब दिया कि डाक्टर कल्ला और दो डाक्टर ऐसे हैं जो दो साल से अधिक से वहीं मौजूद हैं। यह स्वीकार किया है कि 'चुनौती' के सम्पादक से उनका केस चल रहा था। उन्होंने एक बार उदयपुर के एक सम्पादक के साथ मिसबिहेव किया और अपने दफ्तर से उसको धक्के मार कर बाहर निकाल दिया, उसके बाद केस चलता रहा। आपके पास रिपोर्ट आई किन्तु आपने डाक्टर कल्ला को ट्रान्सफर नहीं किया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस समय केस नहीं चल रहा है। दो साल से जो डाक्टर हैं उनका ट्रान्सफर हो जाय, ऐसा कोई नियम नहीं है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : केस के अन्दर यह फैसला दिया गया था मजिस्ट्रेट के द्वारा कि केस को झूठा बनाया गया है, मेलाफाइड इन्टेंशन थी; क्या यह आपकी जानकारी में है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आपने जानकारी प्राप्त करने का कष्ट किया है ? और अगर यह सही है तो आप क्या एक्शन लेंगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो उचित एक्शन होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उचित एक्शन क्या होगा, एक पत्रकार जाता है रिपोर्ट लेने के लिए....

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): नम्बर ज्यादा बढ़ गया है। जितनी क्वेरी करनी चाहिए उससे नम्बर बढ़ गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक पत्रकार समाचार लेने के लिए जाता है, उसको धक्के मार कर निकाल देते हैं। प्लेट बदली जाती है और जो जजमेंट होता उसमें मजिस्ट्रेट कहता है कि केस मेलाफाइड है, तो क्या एक्शन लेंगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। जो तथ्य सामने आयेंगे उनके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : विभागीय जांच भी इसकी हुई, इस शिकायत के बारे में ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अभी कोर्ट में केस हुआ है। फैसले की कॉपी आ जाय, उसके बाद....

श्री अध्यक्ष : विभगीय जांच की जायगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : देखा जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी जानकारी में है कि मेमोरेन्डम आये हैं, शिकायतें आई हैं कि डाक्टर कल्ला प्राइवेट डिस्पेंसरी चला रहे हैं। अगर दो २ बजे रात को कोई मरीज आये तो उसको भर्ती नहीं करते हैं। उसको कहते है कि इलाज कराना है तो प्राइवेट डिस्पेंसरी से दवाई लो।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस प्रकार की शिकायत नहीं आई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस प्रश्न के पूछने के बाद क्या आवश्यकता महसूस नहीं हुई जानकारी करने की ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : उत्तर तो दिया गया है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उत्तर पर्याप्त नहीं है। बकायदा लिखित के अन्दर शिकायतें हुई हैं, एक नहीं अनेक हुई हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : शिकायतें हुई हैं उनकी कॉपीज़ काफी मेम्बर्स के पास आई हैं और एड्रेस किया गया हेल्थ मिनिस्टर के नाम। मेरे पास भी प्रतिलिपि आई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या डाक्टर कल्ला को लेकर डाइरेक्टर मेडीकल एण्ड हेल्थ, डाक्टर मेहता ने प्रोटेस्ट नहीं किया है कि उस डाक्टर को वहां रखना अनुचित है, लेकिन फिर भी नहीं माना। वहां एक्सरे प्लेट्स बदली जाती हैं, प्राइवेट डिस्पेन्सरी रन कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में डाइरेक्टर मेडीकल एण्ड हेल्थ और मन्त्री महोदय के आपस में विवाद नहीं हुआ ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह तथ्य नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सत्य है कि डाक्टर मेहता ने प्रोटेस्ट किया कि डाक्टर कल्ला की वजह से डिसिप्लिन बिगड़ रहा है, वे दवाइयां बेच रहे हैं, एक प्राइवेट डिस्पेन्सरी रन कर रहे हैं, पैसा खाकर एक्सरे प्लेट्स बदल रहे हैं, केसेज़ को एक्सप्लोइट कर रहे हैं? यह प्रोटेस्ट किया है डा० मेहता ने और मैं चैलेंज करता हूं कि उनके प्रोटेस्ट को नहीं माना।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह सत्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह।

(१२ मध्यान्ह)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप एक बात बता दें। क्या डा० कल्ला का कभी ट्रान्सफर हुआ या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं है, जब उन्होंने कह दिया कि इसकी जांच करेंगे। पत्रकारों के मामले में भी वे कह चुके हैं। इसके बाद में कोई ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।

श्री रामकिशन (वैर) : हांडा साहब एग्ज़ास्ट हो गये क्या ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गंगासिंह।

पटवारी की शिकायत

५३६. श्री गंगासिंह (हिन्डौली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि श्री मोहनलाल पटवारी के खिलाफ ग्राम ऊमर (तहसील हिन्डौली) में रहने वाले फौजी परिवारों के साथ दुर्व्यवहार करने सम्बन्धी आपके पास कोई शिकायत आई है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(२) क्या यह भी सही है कि श्री मोहन लाल पटवारी ने श्री देवीलाल जो कि फौज में सिपाही है, के पिता श्री खानाराम से जमीन के सिलसिले में २५) रुपये रिश्वत के लिए हैं ? क्या इस सम्बन्ध में आपके पास कोई शिकायत आई है ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या यह भी सही है कि मोहनलाल पटवारी अब टी० आर० ओ० का हेल्पर बन कर तहसील हिन्डौली में काम कर रहा और उसके खिलाफ शिकायत करने वाले फौजी परिवारों को नाजायज तंग कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे पटवारी का वहां से तुरन्त ही तबादला करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। उप जिलाधीश नैनवा द्वारा जांच जारी है।

(२) श्री मोहनलाल के विरुद्ध रिश्वत लेने की शिकायती दरख्वास्त प्राप्त हुई है। इसकी विभागीय जांच उप जिलाधीश, नैनवा द्वारा की जा रही है।

(३) जी नहीं।

श्री गंगासिंह : अध्यक्ष महोदय, शिकायत हुए भी साल भर का समय हो गया है। यह जांच कब तक होती रहेगी ? जब रिश्वत की शिकायत हुई और वह भी फौजी के बाप से ली गई और इसके लिए एस० डी० ओ०, तहसीलदार आदि से इन्क्वायरी हुई और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट फाइनल कर दी, मगर अभी तक उसको वहां पर वैसे का वैसा ही रखा गया है, आपने उसको सस्पेन्ड नहीं किया। आपने जब उसे सस्पेन्ड नहीं किया तो इस कारण दूसरे कर्मचारियों के दिल में कोई असर नहीं होता और उनके दिल खुलते हैं और वे इस तरह से दूसरे किसानों को परेशान करते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि साल भर तो हो गया है, अब कब तक यह इन्क्वायरी चलती रहेगी और उस व्यक्ति को सजा नहीं मिलेगी ? आज तक उसको सजा नहीं मिली, तो यह कहां तक उचित है ? इसलिए मेरा यह निवेदन है कि उसको सस्पेन्ड किया क्यों नहीं गया ? जब रिश्वत लेना साबित हो चुका है ; अब तक पटवारी को क्यों रियायत दी जा रही है ? इसके कारण तहसील भर के एरिया में पटवारी लोग यह समझते हैं कि विधान सभा में प्रश्न आया, फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ और वह खुद भी कहता है और लोगों को जिन्होंने शिकायत की, उन्हें चिढ़ाता है कि आपने शिकायत की, मगर

(श्री गंगासिंह)

शिकायत से हमारा क्या हुआ, गवर्नमेंट मेरा कुछ नहीं कर सकती है। हमें इस बात का दुःख होता है जब हम इस प्रकार की बात सरकार के सामने रखते हैं और सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे बदमाश व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। जिसके खिलाफ सही शिकायत है उसके खिलाफ फौरन कार्यवाही होनी चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने उस पटवारी को उस स्थान पर नहीं रखा है। उसको पटवारी से हटा कर प्रोसेस सर्वर बना दिया है। जहां तक इन्क्वायरी का प्रश्न है मैंने ऐसे आदेश दे दिये हैं कि wthin a month इसकी सारी कार्यवाही खत्म हो जानी चाहिए और मैं आशा करता हूं कि निश्चित समय में इसका निर्णय हो जावेगा।

श्री गंगासिंह : वह पहले भी पटवारी नहीं था। वह पहले भी चपरासी ही था और चपरासी से पटवारी बना दिया गया। अब बहुत से पटवारियों का नम्बर नहीं रहा तो उसको भी हटा दिया गया, आपने इन्क्वायरी में उसको नहीं हटाया। इसके अलावा आपने उसको अब टी० आर० ओ० के पास हेल्पर रखा है और वह वहां पर पूरे तहसील की डाक, तामीलें वगैरह ले जाता है और उसने वहां पर दादागीरी जमा ली है। तो मेरा यह निवेदन है कि ऐसी रिश्वत की शिकायत वाले को इस तहसील एरिया से क्यों नहीं हटाया? उसको हटाया जाना चाहिए और आयन्दा जब उसका कुसूर साबित हो जाय तो उसको सस्पेन्ड किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द चौधरी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): जमीन पर नाजायज कब्जे, दौसा।

स्थगित प्रश्न

[१३ अगस्त, १९६४]

जमीन पर नाजायज कब्जे, दौसा

२२०. **श्री मूलचन्द चौधरी** (दौसा) : क्या स्वयत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या दौसा नगरपालिका की टॉउन सर्वे रिकार्ड नं० ५५७१ की जमीन पर चेयरमैन ने कब्जा कर लिया है?

(२) क्या चेअरमैन के नाजायज़ कब्जे के कारण ही नागरपालिका सदस्य श्री छाजु लाल माली और आर. टी. ओ. श्री नन्दकिशोर ने भी सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा किया है?

(३) नाजायज़ कब्जे वाली जमीनों को खाली कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और ये कब्जे कब तक हटा दिये जायेंगे?

(श्री मूलचन्द चौधरी)

(४) क्या स्टेशन के प्लॉट भी जो बिना नीलाम किये दे दिये गये हैं, वापिस लिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं ।

(३) उपरोक्त स्थिति में प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(४) स्टेशन के कोई प्लॉट अभी बिना नीलाम नहीं दिये गये हैं बल्कि कब्जे के आधार पर व नेशनल हाई वे के लिए दुकान हटाने के लिए उनकी एवज़ में जमीन पास-पड़ोस की जमीन की औसत दर के हिसाब से दिये जाने के लिये नजूल कमेटी के चैयरमेन (जिलाधीश, जयपुर) को बोर्ड द्वारा सिफारिश भेजी हुई है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): क्या यह सही है कि इन तथ्यों के विषय में एस. डी. ओ., कलेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर ने जांच की और आपने ५ फरवरी को आश्वासन दिया था कि यह इन्क्वायरी हमारे पास गई है और हम अप्रैल तक इसका निर्णय ले लेंगे और आपने अभी तक इसका निर्णय नहीं लिया, इसका क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : कुछ शिकायतें बहस के समय दूसरे लोगों द्वारा प्राप्त हुई थीं। वे उसके एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर को जांच के लिए भेजी गईं और एस. डी. ओ. से जांच कराई। एस. डी. ओ. की जांच के बाद स्थिति है वह यह है। जो ७५७१ की जमीन के बारे में कहते हैं कि चैयरमेन, नगरपालिका, दौसा ने टाउन सर्वे रेकॉर्ड नं० ५५७१ की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर रखा है, बल्कि ५५७० नं० पर जो रामसहाय के नाम की पुख्ता साल थी उसमें दो कोठे श्री गंगासहाय व मांगीलालजी के हैं। ५५७१ नं० का कुछ हिस्सा अलबत्ता ५५७३ के साथ नजराने पर भगवती प्रसाद पुत्र रामसहाय को सालिका बोर्ड ने दिया था, बाकी हिस्सा ५५७१ के में खाम घर हरनारायण के भाई देवी सहाय व रघुनाथप्रसाद पुत्र लक्ष्मी नारायण के हैं। इस कदर ५५७१ पर कोई नाजायज कब्जा चैयरमेन ने नहीं किया है। ५५७१ का कुल रकबा २,३२२ वर्ग फीट है, इसमें से १५६ 2/9 गज जमीन १ रुपया ४ आना प्रति गज की दर से (खाम मकान होने के कारण) सालिका बोर्ड ने ६-१२-४६ को भगवतीप्रसाद राधेश्याम पुत्र रामसहाय को बेची थी ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : आपने गंगासहाय व मांगीलाल बताये हैं ! वे चैयरमेन के खास काका हैं।

श्री दौलतराम सारण : यह तो परिवार का कोई आदमी हो सकता है ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : शामिलात में हैं । गंगासहाय खुद उसका पिता है।

श्री दौलतराम सारण : भाई भी हो सकता हैं, काका भी हो सकता हैं, कोई भी हो सकता है, इससे मैं इन्कार नहीं कर सकता। जैसी स्थिति है, जो फैक्ट है वह है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : आपने जो जवाब दिया उसमें आपने माना है कि कब्जा है; पट्टा नहीं दिया। वे गंगासहायजी उनके पिता हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैंने चैयरमेन के लिये कहा है। आपने चैयरमेन के लिये ही पूछा है उसके बारे में मैंने बताया है और जो तथ्य थे उनको सामने रखे। पुराने वक्त से कब्जे में हैं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : वे जब चैयरमेन हैं और वे उनके पिता हैं और संपरिवार रहते हैं तो जब दूसरों से नजराना लिया तो उनसे क्यों नहीं लिया? इसको एस. डी. ओ. व कलेक्टर ने प्रमाणित माना है। आपने किसकी जांच को सही माना है।

श्री दौलतराम सारण : उनके पिता ने या किसी कोई रिश्तेदार ने कब्जा नहीं दिया है। यह जमीन उनके पुराने वक्त से कब्जे में चली आ रही है जैसा मैंने निवेदन किया न० ५५७१ में से जो रकबा मैंने बताया वह एक रुपया चार आने प्रति गज की दर से खाम मकान होने के कारण बोर्ड ने ६-१२-५६ को भगवतीप्रसाद राधेश्याम पुत्र रामसहाय को बेचो थी।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : जिसका कब्जा था उससे नजराना नहीं लेने का क्या कारण था?

श्री दौलतराम सारण : जो हिस्सा ५५७३ के साथ है वह भगवतीप्रसाद पुत्र रामसहाय को दिया।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : यह दूसरी जमीन है। मांगीलाल के कब्जे में है उस जमीन का नजराना नहीं लेकर कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है?

श्री दौलतराम सारण : मेरी इन्फोर्मेशन के मुताबिक चैयरमेन के पास ऐसी कोई जमीन इस नम्बर की नहीं है जैसा कि आपने बताया है। किसके पास किस किस नम्बर की जमीन है, ये सारे तथ्य मैंने रखे हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : प्रश्न यह है कि दौसा में जितने मकान कच्चे थे उनको पक्का बनाया तो सबसे नजराना वसूल किया गया, फिर चैयरमेन के पिता व काका से नजराना क्यों नहीं वसूल किया गया? जब कि एस. डी. ओ. से रिपोर्ट की गई तो उनसे नजराना वसूल करने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री दौलतराम सारण : मैंने बताया कि नजराना १।) रु० प्रति गज के हिसाब से लिया गया है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : वे दूसरे मकान हैं। तीसरे भाई रामसहाय के लड़के हैं, उनसे लिया है, इनसे नहीं लिया है। कलेक्टर और एस. डी. ओ. की रिपोर्ट हैं। आपने सदन में माना है कि रिपोर्ट आई है, फिर उस पर आपने क्या एक्शन लिया? एस. डी. ओ. और कलेक्टर की रिपोर्ट आ गई फिर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय और जांच करवा लें, जो माननीय सदस्य ने कहा है उसके बारे में।

Page No. 30

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : प्रश्न नं० (२) के बारे में मंत्री महोदय ने 'जी नहीं' कहा है, वह भी ठीक नहीं है। इसकी जांच कराई है डिप्टी डाइरेक्टर ने, मेरे बयान हुए हैं। मैंने प्रमाणित करवाया है। फिर भी उसको जमीन देने की कार्यवाही की गई है, उसने डंडा बनवाया है, उसको निलम्बित करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। आपने जो इस प्रश्न का जवाब दिया है वह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट मामला है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय यह सब जांच करवा लेंगे।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : तीनों चारों सत्रों में यह प्रश्न किया गया है, मैंने प्रिविलेज भी मूव किया था। अप्रेल में एक महीने के अन्दर जवाब दे दूंगा, यह आश्वासन भी मन्त्री महोदय ने इस सदन में दिया था; वह आश्वासन पूरा नहीं किया गया है। मैंने प्रिविलेज भी मूव किया पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। एक साल हो गया; इस तरह से सदन को इन्सल्ट की गई है, यह बड़ा सीरियस मामला है। इस सदन में मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था, वह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है हालांकि एक वर्ष हो गया है। यह आश्वासन प्रोसीडिंग्स में मौजूद है।

श्री दौलतराम सारण : आश्वासन दिया था उसके मुताबिक जांच करवाई और जांच की रिपोर्ट से जो तथ्य सामने आये वे सब मैंने निवेदन किये। छाजूलाल का आप कब्जा बता रहे हैं, छाजूलाल इन्कार करता है कि उसका कब्जा नहीं है, मूलचन्द नाम के व्यक्ति का कब्जा बताते हैं। अदालत में मामला चल रहा है इसलिये कार्यवाही का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। एस. डी. ओ. को फिर से लिखा है कि क्या असलियत है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : तीनों एन्क्वारीज़ की रिपोर्ट्स आ गई थीं तब आपने कहा था कि निर्णय कर लेंगे, आपने क्या निर्णय लिया है? तीनों एन्क्वायरीज़ आपके सामने मौजूद थीं। आपने उस वक्त सदन में कहा था कि जरूर इर्रेगुलेरिटी हुई है, १ अप्रेल तक इसका निर्णय दे देंगे।

श्री दौलतराम सारण : जांच करवा लेंगे, यह कहा था मैंने।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : यह बिलकुल गलत कहा जाता है। आपने निर्णय लेने का कहा था, प्रोसीडिंग्स में आपकी भाषा मौजूद है, उसे देख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा!

स्थगित-प्रश्न

(१४-८-६४)

हसनपुरा कच्ची बस्ती, जयपुर

*२६. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

वी प गे:—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर म्युनिसिपल वार्ड नं० ३४ में हसनपुरा की कच्ची बस्ती को बसाने की योजना १९६१ में अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड द्वारा बनाई गई थी, तथा मंजूरी के लिये सरकार के पास भेज दी गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि इस बस्ती के दक्षिण में स्थिति बॉल बेयरिंग फैक्ट्री (एन. ई. आई.) के मालिकों ने इस बस्ती की भूमि की मांग एक फाउण्डरी लगाने के लिये की ?

(३) क्या यह सही है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड द्वारा भेजी गई स्कीम की स्वीकृति उपरोक्त उद्योगपतियों की मांग के कारण रोक दी गई ?

(४) क्या यह सही है कि हसनपुरा बस्ती का एक हिस्सा फैक्ट्री को दे भी दिया गया तथा बाकी के प्लॉट्स देने की योजना चल रही है ?

(५) क्या यह सही है कि इससे सैकड़ों मजदूरों के मकान नष्ट हो जायेंगे ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में रिलेवेन्ट फाइल ट्रेस आउट नहीं हो सकी है, इसलिये इसका उत्तर अगले टर्न पर दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गन्ने की फसल, तहसील दिगोद

५३०. **कुंवर श्री महेन्द्रसिंह** (दिगोद): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कृषि विभाग ने तहसील दिगोद बड़ोद के कुछ भाग में पंचायत समिति सुलतानपुर को गन्ने की फसल व बगीचा लोगों को न लगाने की राय दी है ?

(२) क्या यह सही है कि यदि इस एरिया में गन्ना व बगीचा लगाया जायेगा तो वाटर लेवल शीघ्र ऊपर आ जावेगा ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या के लिये क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

१— जी हां ।

२— जी हां ।

कृषि विभाग ने इस क्षेत्र के लिये भूमि के हिसाब से कापरेटेन की अलग २ सिफारिशें की है । जो क्षेत्र बहुत ही ज्यादा समस्या वाले हैं उनके लिये पानी के निकास का प्रबन्ध सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

Page No. 32

प्रशासन में सुधार हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन में दिए गए सुझावों पर अमल

५३४. श्री मोहन राज (बाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) हरिश्चन्द्र माथुर कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार को कब प्राप्त हुई ?

(२) क्या राज्य सरकार ने उक्त रिपोर्ट में सुझाये गये प्रशासन-सुधार के उपायों पर अमल करना आरम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो ऐसे उपायों अथवा सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की सूची सदन की मेज पर रखें ?

(३) क्या यह सही है कि राज्य सरकार उक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत प्रशासन-सुधार के सुझावों में से किन किन पर अमल किया जाय इसका निश्चय करने हेतु एक नई कमेटी का निर्माण करने पर विचार कर रही है ?

उत्तर

(१) १४ नवम्बर, १९६३ को।

(२) कमेटी के जिन प्रस्तावों पर मंत्री-मंडल की स्वीकृति हो चुकी है, उनको अमल में लाने के लिए सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं। स्वीकृत प्रस्तावों व उन पर की जा रही कार्यवाही के ब्योरे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान नहर का पानी

५३६. श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : क्या राजस्थान केनाल विभाग मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान नहर में मई सन् १९६४ से लेकर १५ जुलाई १९६४ तक कुल कितनी बार और कितने क्यूसेक पानी छोड़ा गया और वह पानी किस कार्य में लिया गया ?

(२) अगर राजस्थान नहर में उक्त अवधि में कभी भी पानी छोड़ा गया तो वह पानी कहां से प्राप्त किया गया ?

उत्तर

(१) राजस्थान नहर में मई १९६४ के महीने में कोई पानी नहीं छोड़ा गया। जून १९६४ के महीने में १२ जून तक ८४ क्यूसेक्स से १५८ क्यूसेक्स तक और २६ जून से ३० जून तक ३५ क्यूसेक्स से २०० क्यूसेक्स तक पानी छोड़ा गया। यह पानी राजस्थान नहर बनाने के काम में लाया गया। १ जुलाई १९६४ से १५ जुलाई १९६४ तक राजस्थान नहर में ५०० क्यूसेक्स से १२०० क्यूसेक्स तक पानी छोड़ा गया। इस पानी में से कुछ हिस्सा नहर बनाने के और कुछ हिस्सा सिंचाई के काम में लाया गया।

जून के महीने में राजस्थान नहर में दो बार पानी छोड़ा गया और जुलाई के महीने में १५ जुलाई तक एक बार पानी छोड़ा गया।

(२) पानी जो जून के महीने में राजस्थान नहर में छोड़ा गया था वह भाखर

(श्री केनाल विभाग मंत्री)

नहर से लिया गया था और जो पानी जुलाई के महीने में राजस्थान नहर में लिया था। वह हरिके बैराज से लिया गया था और वह पानी राजस्थान के ही हिस्से का ही पानी था।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चीनी के लिये दरख्वास्तें—सांभर

१२६. श्री अमरसिंह (दूदू) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(अ) गत आखातीज के सावे पर एस. डी. ओ. सांभर के पास कुल कितनी दरख्वास्तें चीनी के वास्ते आई और उनमें से मंजूर कितनी हुई ? नामवार लिस्ट सदन की मेज पर रखें।

(२) वितरण का आधार क्या था ?

उत्तर

(१) कुल १०५ दरख्वास्तें उनमें से ८६ व्यक्तियों को चीनी दी गई। वान्छित लिस्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) लड़के की शादी के लिये ३० किलो, एक लड़की की शादी के लिये ३५ किलो, दो लड़कियों की शादी के लिये ५० किलो तथा तीन लड़कियों की शादी के लिये ६० (साठ) किलो चीनी वितरण का आधार था।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कों का निमार्ण

१३०. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अकाल राहत कार्यों में १ अप्रेल, ६४ से ३० जून, ६४ तक किस किस जिले में कितना कितना रुपया किस किस मद में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया व उसमें से कितना २ रुपया खर्च हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) अकाल राहत कार्यों में किस किस जिले में कितने मील लम्बी कंकर रोड बन चुकी है व कितने मील में अर्थवर्क पर कंकर डालना अभी शेष है।

(३) जिन जिन जिलों में सड़कें अकाल राहत कार्यों में बनी हैं उनकी सूची मय मीलों के सदन की मेज पर रखें।

(४) अकाल राहत कार्यों में जो जो सड़कें अधूरी बनी हैं उन सड़कों को पूरा कराने के लिये राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(५) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के सड़क कार्यक्रम में उक्त सड़कों को मेटल्ड करने की कोई योजना बनाई जा रही है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करदी गई है।

(श्री अकाल सहायता मंत्री)

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) इस विषय में अभी कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। इस वर्ष फेमिन मद में काफी धनराशि व्यय की जा चुकी है. अतः अधिकद्रव्य खर्च करने की स्थिति में राज्य सरकार नहीं है।

(५) इस वक्त इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई जा रही है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पिलाई की वसूली-गिरवा क्षेत्र

१३१. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) गिरवा क्षेत्र में मन्दार के तालाब से किन किन गांवों में पिलाई होती है और कुल कितनी पिलाई की रकम वसूल होती है?

(२) वर्ष १९६३ में मन्दार, थूर व लोहेरा में कितनी बार पिलाई की गई, क्या यह सही है कि पूरा पानी नहीं दिया गया तो भी पूरी पिलाई वसूल हो गई है? यदि हां, तो अधिक वसूल की गई रकम लौटाई जायेगी या अगले साल में जोड़ली जायेगी?

उत्तर

(१) मन्दार, ब्रामणों की हूडर, डांगियों की हूडर, थूर कबीता, सौभरां व थीकलवास करीब ४५,०० रु० सालाना।

(२) मन्दार, थूर व लोहेरा में क्रमशः १४२ एकड़, २५६ एकड़ व २० एकड़ रकबा सिंचित हुआ; पानी तीन बार दिया गया अतः नियमानुसार पूरी पिलाई वसूल की गई जो वाजिब है और उसे लौटाने का प्रश्न नहीं उठता।

नाजायज भूमि के पट्टे—ग्राम काया, तहसील गिरवा

१३२. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) गिरवा क्षेत्र में गांव काया, तहसील गिरवा उदयपुर में कितने ऐसे आदिवासी हैं जिनके पास ५ बीघा या ३ एकड़ भूमि का इससे कम भूमि है और कितने ऐसे किसान है जिनके पास इससे अधिक भूमि है?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम काया में कई ऐसे आदिवासी हैं जिनके पास ५ बीघे से कम भूमि है और साथ ही उनके कब्जे में कुछ नाजायज भूमि और है जिसको वे तीन चार साल से काश्त कर रहे हैं? क्या सरकार वह भूमि उनके खाते करने का प्रबन्ध करने का विचार रखती है?

(३) क्या यह सही है कि काया गांव में आये दिन किसानों से वह भूमि छुड़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है?

Page No. 35

उत्तर

(१) गांव काया, तहसील गिरवा में २४६ आदिवासी व्यक्तियों के पास ५ बीघा से कम भूमि है और १६५ आदिवासियों के पास ५ बीघा से अधिक भूमि है।

(२) जी हां, गांव काया में २४६ आदिवासी व्यक्तियों के पास ५ बीघा से कम भूमि है, बरुए जिन्स गिरदावरी सम्वत् २०१८ जिन काश्तकारान ने नाजायज कब्जे शुदा रकबे में काश्त की है वह रकबा काश्तकारान के नाम रेग्युलराईज़ हो चुका है।

(३) जी नहीं।

(१२.७ म० प०)

बूंदी जिले में गन्ने की फसल को क्षति सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय हरिप्रसाद शर्मा ने बूंदी जिले में गन्ने की फसल को नुकसान हुआ है उस सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी थी। कृषि मंत्रीजी कृपया वक्तव्य दें।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले में गन्ने की खेती में पाइरीला व व्हाइट फलाई नाम के कीड़ों का प्रकोप हुआ है। पहली रिपोर्ट के आधार पर करीब ४००० एकड़ में ये कीड़े बतलाये गये। आगे किये गये सर्वे से करीब ६ हजार एकड़ भूमि इन कीड़ों से अवाप्त है। यह सितम्बर मास की बात है। इस समय गन्ने की खेती सघन हो जाती है और गन्ना भी बढ़ कर ६ से ८ फीट बड़ा हो जाता है। फौरन ही विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर प्राप्त साधनों द्वारा खेती पर दवा छिड़कने का काम चालू कर दिया गया। चूंकि दवा छिड़कने का कार्य हाथ से चलने वाले यंत्रों से सुचारु रूप से नहीं चला, विभाग ने ३० मोटर से चलने वाले यंत्र इस क्षेत्र में भेज दिये हैं।

साथ ही केन्द्रीय पौध संरक्षण संस्था को कहा गया कि :

(१) वह २० मोटरों से चलने वाले यंत्रों से सुसज्जित टोली मदद के लिये भेजे, व

(२) हवाई जहाज से दवा बिखेरने का इन्तजाम करे;

इस संस्था ने १५ यंत्र, दो अफसर, ३ तकनीकी असिस्टेन्ट्स, एक मेकेनिक व अन्य स्टाफ व दो मोटरें भेज दी हैं जो विभागीय अधिकारियों के साथ पिछले हफ्ते से काम कर रही हैं। जयपुर, कोटा, अजमेर व भीलवाड़ा से भी मदद भेजी गई है। यह सब मिल कर प्रायः बिना रुके काम कर रहे हैं और खास कर नैनवा पंचायत में, जहां इन कीड़ों का ज्यादा जोर है, काम तेजी से चल रहा है। कार्यकर्त्ता बिना छुट्टी मनाये काम कर रहे हैं और करीब ३५० बीघे में एक रोज में दवा छिड़क दी जाती रही है। १५ अक्टूबर तक १,७५० बीघा जमीन में दवा छिड़की जा चुकी थी।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हवाई जहाज से दवा छिड़कने के प्रबन्ध के सिलसिले में कुछ एक्सपर्ट्स ने मौका देखा और यह निर्णय दिया कि साधारण हवाई जहाजों से यह काम इसलिए नहीं हो सकता कि कीड़ों से प्रभावित खेती टुकड़ों में विभाजित है और यह बड़े बड़े पेड़ों से घिरी हुई है। इसके लिये एक हैलिकोप्टर प्राप्त करने का प्रबन्ध किया जा रहा है। अगर वह मिल गया तो हवाई जहाज से दवा छिड़कने का प्रबन्ध हो सकेगा।

राज्य सरकार ने राजस्थान एग्रीकल्चर पेस्ट्स एण्ड डिज़ीज़ेज़ एक्ट, १९५१ की धारा २ के अन्तर्गत घोषणा निकाल दी है। जिलाधीश ने यह जानकारी दी है कि कुछ काश्तकार इस कार्य में सहयोग नहीं दे रहे हैं। कार्य सुचारु रूप से सारे क्षेत्र में चले, इसका प्रबन्ध किया जा रहा है।

इससे यह साफ है कि राज्य सरकार जो आवश्यक व संभव था या है वह कर चुकी है या कर रही है। खेती में बीमारी हो जाती है और यथा-सम्भव उसको दूर करने का प्रयत्न किया जाता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि करोड़ों रुपया खर्च करके प्रोजेक्ट एरिया में नहरों का काम हुआ, वहां वाटर लोगिंग के कारण गन्ने की फसल को बड़ा आघात पहुँचा। यह पहले ही सरकार के ध्यान में लाया गया कि वाटर लोगिंग के कारण गन्ने की फसल को और गेहूं की फसल को और दूसरी फसलों को बड़ा नुकसान पहुँचेगा। फिर भी किसानों को, पंचायत समितियों द्वारा हजारों रुपये का गन्ना लाकर बांटा गया और उन्हें यह एड्वाइस किया गया कि गन्ने की फसल बोने से आपको अत्याधिक लाभ होगा। गन्ने की बीमारी की सूचना सरकार को मिली तभी से अगर सरकार उस बीमारी को दूर करने का प्रयत्न करती तो वहां गन्ने की फसल को बचाया जा सकता था। आज प्रोजेक्ट एरिया में गन्ने की फसल बोने वाले लोगों को करीब १० लाख रुपये का नुकसान हुआ है। जिन अधिकारियों को डी. डी. टी. छिड़कने के लिये लगाया गया है वे वहां पहुंचते ही नहीं हैं और मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। आपके अधिकारी कर्त्तव्यपरायण नहीं हैं। आपने कहा कि हवाई जहाज द्वारा दवाई छिड़कने का प्रबन्ध किया जायगा तो जब मुर्दा मर जायगा उसके बाद डाक्टर पहुँचेगा, उससे क्या फायदा; वहां गन्ना समाप्त हो गया है, वहां दो किस्म के कीड़े लगे हुए हैं।

एक जो नीचे से लगता है उसके कारण उस गन्ने की फसल बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाती है और दूसरा, ऊपर के पत्तों पर लगता है जो सारे रस को चूस लेता है। इस समय करीब करीब सारे बूंदी जिले में गन्ने की फसल समाप्त हो चुकी है, उसके बावजूद भी मंत्रीजी कहते हैं कि हवाई जहाज की व्यवस्था की जा रही है, मिलेगा तब इलाज करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि किसानों की दयनीय अवस्था है, प्राजेक्ट एरिया के किसान निराश हो गये हैं। वे गेहूं बोते हैं तो वह फसल भी नहीं होती है, इससे भी उसको निराशा होगी। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस प्रोजेक्ट से हमें आशायें थीं कि

Page No. 37

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

इससे बड़े से बड़ा फायदा होगा, किसान खुशहाल होंगे, उसके बजाय किसानों को तबाही देखनी पड़ती है। उस पर भी सरकार यह कहती है कि हवाई जहाज से दवाइयां छिड़केंगे, पर पता नहीं वह दिन कब आयेगा और कब आप उनको बचा सकेंगे ? क्या सब कुछ बर्बाद हो जायगा तब ?

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्रीजी ने कहा कि व्हाइट फ्लाई हैं उनके कारण गन्ने की फसल को तबाही है। मैं निवेदन करूंगा कि व्हाइट फ्लाई कोई एक दिन में पैदा नहीं होती है। पहले वह एग ले करती है, फिर लारवा निकलता है, फिर डेवलप करता है; यह पीरियड इतना शोर्ट नहीं होता जितना कि मंत्रीजी बताते हैं। सितम्बर महीने में गन्ना ४-५ फुट पहुंच गया, उस वक्त तक व्हाइट फ्लाई ने चाट कर उसको साफ कर दिया। क्या आपके डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर और विलेज लेवल वर्कर्स में से किसी ने रिपोर्ट नहीं की कि व्हाइट फ्लाई डेवलप हो रही है ? व्हाइट फ्लाई, रेड सेसम आदि कुछ ऐसी बुनियादी डिज़ीज़ेज़ हैं जो गन्ने की पैदावार के साथ जन्म लेती हैं। मुझे आश्चर्य होता है, मन्त्रीजी आज कह रहे हैं कि व्हाइट फ्लाई होने का पता लगा तब २० मोटर से चलने वाली मशीनें भेजी हैं, ३० पम्प भेजे हैं फिर हवाई जहाज से दवाई छिड़कने का प्रबन्ध कर रहे हैं। गन्ना बोने का टाइम फरवरी में होता है। मार्च-अप्रैल में गन्ना बाहर आता है; फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर तक आप का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सो रहा था क्या, जो इस डिज़ीज को लोकेट नहीं कर सका ? गन्ना और कोटन के साथ यह डिज़ीज़ लगी ही रहती है, इसका इनको पता होना चाहिए था। इसलिए स्पष्ट नजर आता है कि वहां के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की है। व्हाइट फ्लाई वाटर लोगिंग एरिया में गन्ना, गेहूं वगैरह को नुकसान करती है। वाटर लोगिंग एरिया के लोगों को क्रोप पैटर्न की जानकारी न होने कारण उनको फायदे के बजाय नुकसान होता है। गेहूं, ज्वर आदि की फसल सफल नहीं हुई है और गन्ने की फसल भी खराब हो गई है। जो क्रोप पैटर्न नहीं समझ रहे हैं उससे भी काफी चोट पहुंची है।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, गन्ने की बीमारी के सिलसिले में बूंदी जिले का प्रश्न सरकार ने बूंदी जिला को एपेडेमिक एरिया घोषित किया है। अभी कोटा जिला परिषद् की मीटिंग हुई थी वहां पर भिन्न भिन्न पंचायत समितियों के प्रधान आये थे, उन्होंने भी बूंदी जिले को समस्या सामने रखी और मांग की कि कोटा जिले में भी यही बीमारी फैल रही है, इसलिए उन्होंने मांग की कि कोटा जिले को एपिडेमिक क्षेत्र घोषित किया जाय ताकि दवाइयां मुफ्त में मिल सकें और बीमारियां कम की जा सकें। लेकिन वहां के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर ने इसके लिए अपनी मजबूरी जाहिर की। मेरा निवेदन है कि यह बीमारी केवल बूंदी क्षेत्र में ही नहीं कोटा जिले में भी है। यहां भी गन्ना काफी मात्रा में उगाया गया है और यहां भी काफी

Page No. 38

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जर्म्स फैले हैं इसलिए इस क्षेत्र को भी एपेडेमिक घोषित किया जाय ताकि दवाइयां जल्दी भेजी जा सकें।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना टेक्निकल ज्ञान दर्शाया; उसको ज्यादा टेक्निकल ज्ञान हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है इस क्षेत्र में जब से किसानों ने पेस्ट्स होना बताया तबसे वहां के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो कुछ रिसोर्सेज़ उनके पास थे, हाथ के औजारों से दवाइयां छिड़कने की कोशिश की, लेकिन वह पेस्ट बढ़ता गया और काफी इलाके में फैला तब उन्होंने यहां की सहायता मांगी और यहां वालों ने भारत सरकार से बात करके जो कुछ स्थिति बनी उसका मैंने जिक्र किया। हवाई जहाज के बारे में मैंने कहा कि हेलिकोप्टर मिलेगा तो उसके लिए कोशिश करेंगे। खास करके यहां पर कोटा के इलाके में होने का जिक्र किया, मैं इसके बारे में दर्याफ्त करके किस इलाके में यह बढ़ा है और कहां पर ट्रोल मेज़र्स की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखकर जितना भी साधन जुटाया जा सकता है उसके लिए विभाग की ओर से पूरा प्रयत्न करेंगे और डिज़ीज़ को कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे ताकि नुकसान बचाया जा सके। विभाग के सभी लोग बिना किसी छुट्टी और लेहतलाली के जितना काम कर सकते हैं, कर रहे हैं। राजस्थान सरकार और विभाग को इसके लिए पूरी चिन्ता है।

अभी माननीय सदस्य जिन्होंने प्रस्ताव रखा था वे बोल रहे थे, वह मेरी समझ में नहीं आया। वे कह रहे थे कि प्रोजेक्ट एरिया में करोड़ों एकड़ जमीन में वाटर लोगिंग है, वे कई बातों को एक साथ जोड़ रहे थे। वाटर लोगिंग की अलग प्रोब्लम है। करोड़ों एकड़ का सवाल नहीं है, कुल ६-७ लाख एकड़ में है जिसमें करीब १ लाख एकड़ में सीरियस प्रोब्लम है। कहीं ५ से १० और कहीं २० से ८० हैं। इस इलाके का कुल रकबा वाटर लोगिंग का करीब १ लाख एकड़ बनता है। इसका ड्रेनेज कैसे हल किया जाय? कुछ स्कीम्स सेंक्शन हो चुकी हैं लेकिन यह काफी बड़ी प्रोब्लम है। इसके लिए ४-५ करोड़ रुपयों की योजना है। इसको हल करने का अलग प्रश्न है और अलग डील किया जा रहा है। इसके बारे में विभाग एग्रीकल्चर और सिंचाई दोनों जागरूक हैं, जहां वाटर लेवल ० से ५ का है उसके लिए इमीज़ियेटली २२ लाख की स्कीम चम्बल बोर्ड से स्वीकार करा चुके हैं, इसको पहले ट्रीट करके जमीन को बचाया जा सकता है, इसकी तैयारी की जा रही है। इसलिए विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि सरकार के पास जितना सामर्थ्य है साधन के रूप में, इन्स्ट्रूमेन्ट्स के रूप में, दवाइयों के रूप में, धन के रूप में, उनको ध्यान में रखते हुए हम कोशिश बराबर बचाने की कर रहे हैं।

(१२·२८ म० प०)

स्थगन-प्रस्ताव

रबी की फसल के लिये अच्छे बीज की अनुपलब्धि सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह के द्वारा एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी गई है कि रबी की फसल के समय किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज नहीं मिल रहा है उसके बारे में कृषि मंत्री जी स्पष्टीकरण करें।

श्री नाथूराम मिर्धा(कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग, राजस्थान, बीज उत्पादन व वितरण योजना के अन्तर्गत सामान्यतया उन्नत बीज से सम्बन्धित है। राजस्थान में करीब २६१.१० लाख एकड़ भूमि पर अनाज उत्पादन होता है। गेहूं की खेती ३१·१५ लाख एकड़ पर होती है। विभाग खास तौर से गेहूं का बीज वितरण करता है। पिछले दो वर्षों में २.५२ लाख मन व २·४५ लाख मन व २.४५ लाख मन गेहूं का बीज वितरण किया गया। इस वर्ष का लक्ष्य ४ लाख मन बीज वितरण का था परन्तु गेहूं के बीज की २ लाख मन की अधिक मांग आई। इसका कारण अच्छी वर्षा व मंहगाई है। राज्य सरकार ने १.०२ लाख मन गेहूं पंजाब से व ३८,००० मन सूरतगढ़ फार्म से उपलब्ध कर दिया है व दो लाख मन से ऊपर बीज पंचायत समिसियों द्वारा ३०-६-६४ तक खरीद लिया था।

सन् १९६२-६३ में ६० लाख रुपये पंचायत समितियों को बीज के लिये दिये गये। सन् १९६३-६४ में इस मद में ४० लाख रुपये दिये। इस वर्ष पंचायत समितियों को एक करोड़ बत्तीस लाख रुपया दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त पंजाब व सूरतगढ़ के बीज पर करीब ३६ लाख रुपया खर्च होगा।

चना व जौ के बीज विभाग सीमित मात्रा में ही दे सकता है। इस वर्ष कुछ इलाकों से चने की मांग आई और विभाग ने ७०,००० मन चना उपलब्ध कराया जबकि पिछले दो वर्षों में पंचायत समितियों ने केवल ३६,००० मन चने से ज्यादा किसी वर्ष नहीं खरीदा।

जहां तक कीमत का सवाल है विभाग ने पहिले ही यह निश्चय कर दिया है कि गेहूं की कीमत जो खाद्य विभाग से निर्धारित है और उस पर जो प्रीमियम है उससे ज्यादा कीमत काश्तकार को न पड़े। सरकार ऊपर का खर्चा स्वयं वहन करेगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था किस प्रकार की है? बीज किस प्रकार प्रत्येक जिले को एलॉट किया जायगा, इसका आधार क्या होगा?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये बीज के सारे आंकड़े जो मैंने बताए हैं हमने सब पंचायत समितियों के मार्फत रिक्वयरमेंट्स कलेक्ट किये थे और जो रुपये दिये हैं, पंचायत समितियों के मारफत दिए हैं, जितने भी रुपये मांगे थे बीज के लिए, उसके साथ बीज जहां अवेलेबल नहीं है वह भी पंजाब से लाकर पंचायत समितियों की जिस मात्रा में डिमांड थी उस प्रोपोर्शन में, जितना हम कर सकते थे, जो उन्होंने खुद अपने स्टॉक अलग-अलग

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कर दिए हैं वह उनकी खुद की बात है। लेकिन जो कुछ एडीशनल डिमांड थी उनकी बीज की, उनमें से जिनकी थोड़ी डिमांड थी उनको पूरा करने की कोशिश की, लेकिन जिनकी बहुत ज्यादा थी,प्रोपोर्शनेटली जो कुछ अवेलबल था, उनको माल सीधा पंजाब से पहुंचाने की व्यवस्था की है और कई हिस्सों में तो पहुंच भी चुके हैं और बाकी में भी जा रहा है और इसका सारा वितरण का एरेंजमेंट पंचायत समितियां ने पंचायतों के मार्फत किया है।

श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया (बनेड़ा) : जैसे खाद्य मंत्री ने अभी बताया जो गेहूं के बीज दिए गए हैं उनके रेट्स सरकार के द्वारा फिक्स किए गए हैं उसके अनुसार किसान से वसूल होंगे। हमारी पंचायत समिति में गेहूं आज के करीब ४-५ महीने पहले सरकार ने बूंदी से दिलाए थे, जो ३०), ३१) रुपए मन के हिसाब से और ७६ रु. क्विंटल के हिसाब से आ पड़ती है। सरकार ने ६४ रु० क्विंटल मुकर्रर किया है, तो हम पंचायत समिति वाले किसानों को ७६ रु० में दें या ६४) रु० में ? यह जो फर्क होगा, कौन देगा ? दूसरी बात भीलवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर ने हम लोगों को सूचना दी कि हम आपको चना सप्लाई करने को तैयार हैं बशर्ते कि ८३ रु० के भाव से पेमेंट करना होगा और आपने ४० रु० मिनिमम रेट किया है। अब कहां ४०) और कहां ८३) ? और उस भाव से किसानों को दिया और कम से कम ये फीगर्स बताए। ८३ रु० प्रति क्विंटल के भाव सारे राजस्थान में आज दिन तक चने का नहीं हुआ है और जो व्यापारी देते हैं उससे भी कम देते हैं। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का भाव ८३) रुपये है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल से पहले जो बीज वितरण की समस्या सरकार के सामने या पंचायत समितियों के सामने थी वह उन्नत बीजों की हो सकती है, परन्तु इस साल गेहूं के सामान्य तौर पर न मिलने के कारण,चने और जौ के भाव बहुत ऊंचे होने के कारण केवल उन्नत बीजों को लोगों तक पहुंचाने की समस्या नहीं है बल्कि वास्तव में बीज जमीन में डाल सकें और बीज उचित कीमत पर किसान को उपलब्ध हो सके, यह समस्या हमारे सामने है और मंत्री महोदय ने अपने बयान में इतना ही कहा है कि जो सामान्यतया पंचायत समितियों को सरकार की तरफ से मदद मिलती है उस रूप में या अपने ओन बजट से, जितनी मदद कर सकते थे वह उन्होंने किया, और उतने का सरकार ने इन्तजाम किया। बहरहाल सरकार ने उन्नत बीज का जितना इन्तजाम किया करती थी उसमें बढ़ोत्तरी करके इन्तजाम किया है, लेकिन जो बड़ी समस्या थी, बड़े पैमाने पर किसानों को हर किस्म के बीज दिलाये, खास तौर से चने, जौ और गेहूं, उन्नत के अलावा भी सामान्य तौर पर मिल सके, वह व्यवस्था सरकार की ओर से कोई नहीं।

बहुत से इलाकों में अब की बार फैमिन पड़ा है, फ्लड्स आई हैं और इसलिए समस्या इस हद तक हुई है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, जो इस भाव पर खरीद सकें। इसलिए

(श्री रामनन्द अग्रवाल)

कई इलाकों में समस्या इस बात की है कि लोगों को तकावी पर बीज उपलब्ध कराया जाय। मैं समझता हूं कि सरकार ने गेहूं के सम्बन्ध में जितनी व्यवस्था की है, एक तो उसमें काफी देरी हुई है, दूसरे वह बहुत अपर्याप्त है क्योंकि हम देख रहे हैं कि गेहूं खाने तक के लिए नहीं मिल रहा है और गेहूं ब्लैक मार्केट के अन्दर चला गया। इसलिए सरकार ने पंजाब से या आप ने सूरतगढ़ फार्म से जितनी व्यवस्था की है और जितना गेहूं के लिये एकरेज में काश्त होता है उसके हिसाब से इतना बीज कम है कि इस गेहूं के बीज का और भी प्रबन्ध सरकार को करना चाहिए और पंचायत समितियों को अधिक मात्रा में लोन देना चाहिए, लोगों को तकावी देनी चाहिए और देखे कि गेहूं कि कोई भी जमीन खाली न रहे जिससे गेहूँ न जाय।

दूसरे, जहां चने और जौ का सवाल है सरकार ने ब्लैक मर्केटियर्स और होर्डर्स के रहम पर किसान को छोड़ दिया है। मैं समझता हूँ, आइन्दा आने वाली फसल पर ४० रुपये क्विंटल के मिनिमम भाव फिक्स किए हैं। सरकार यह उम्मीद करती है कि सामान्यतया भाव आगे जाकर रबी की फसलों पर १६ रु.का हो जायगा, अगर सरकार यह संभावना मानती है तो क्या सरकार का फर्ज नहीं है कि किसान को, जिसकी फसल १६ रु० मन के ऊपर बिकने वाली है, उसमें आप कम से कम इस प्रोपोर्शन रेट पर इस १६ रु० या १८ रु० पर उसको उपलब्ध करते, बावजूद इस बात के कि मांग करने के, बावजूद इस फेक्ट के कि पिछली फसल पर रबी पर जबकि चना बाजार में आया था उस समय बाजार में ४० रु० क्विंटल था और उसके बाद सरकार ने उसका कोई मेग्ज़ीमम रेट फिक्स नहीं की, कन्ज्यूमर्स के रेट्स फिक्स नहीं किए, किसान के लिए कोई रेट्स फिक्स नहीं किए। इसके अलावा सरकार की यह पोलिसी रही कि उसको निकासी को जारी रखा। ३३ परसेंट के नाम पर लोगों ने सेंट-परसेंट निकाला, इसकी वजह से भाव बढ़कर ७०)–७५) तक गए। लोगों के पास पहले तो पैसा नहीं है, फिर इतने महंगे भाव पर लेकर बीज नहीं डाल सकेंगे,बहुत सी जमीन खाली पड़ी रह जायगी और हम बहुत बड़े पैमाने पर जो 'ग्रो मोर फूड' करना चाहते हैं और अन्न की समस्या हल करना चाहते हैं, वह हल न हो सकेगा।

इसलिए अच्छा होगा कि सरकार खुद इन स्टॉक्स को जो कि मौजूद हैं, डिक्लेयर्ड हैं और काफी मात्रा में हैं, इनको एक्वायर करले, एक रीज़नेबल रेट पर, आप अधिक से अधिक ६५)० रु० में एक्वायर करके किसानों को दे दें या आपके दिल में बहुत सोफ्ट कॉर्नर है, होर्डर्स और ब्लैक मार्केटियर्स के लिए, तो फिर आप सब्सीडाइज कीजिए किसानों को, ताकि किसान १८) रु० मन से ज्यादा भाव न बढ़ाएं। इस समस्या को आप अभी भी हल नहीं कर रहे हैं, इससे यह हालत रही है कि बहुत सी जमीन बगैर फसल के रहेगी। जहां तक जौ का सवाल है, अभी तक सरकार ने जौ को रोक के बारे में कुछ नहीं किया, अभी भी जौ पंजाब में लगातार यहां से जारहा है। रेवाड़ी के अन्दर ४० रु० मन का भाव है। हमारे अलवर जिले में यहां से जाता है और फिर खैरथलमंडी और फिर ऊंटों से रेवाड़ी जाता है। इस तरह से लोगों को ठीक कीमत

Page No. 42

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पर जौ भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए जौ के स्टॉक को एक्वायर करके और सरकार वाजिबी कीमत पर किसानों को दे। सरकार अपने स्टॉक बनाए और अपने जरिए वितरण करे, वर्ना जो अभी सरकार ने किया है वह नाकाफी है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, बीज और उसके वितरण के विषय में माननीय मन्त्री महोदय ने सवाल उठाया और यह कहा कि पंचायत समितियों को दिया है। एक बात मैं खास तौर से नोटिस में लाना चाहता हूँ कि हमारे जिले में यह समस्या है कि पंचायत समितियों के जरिये से बीज वितरण किया जाय, लेकिन वह कोऑपरेटिव समितियों और दूसरी समितियों के जरिये से किया जाय, जो कोऑपरेटिव के मेम्बर नहीं हैं उसको बीज पंचायतों के जरिये दिया जाय। कई पंचायत समितियों ने यह कर दिया है कि कोऑपरेटिव और समितियों का कोई ध्यान न रखा जाय और आगामी पंचायत के इलेक्शन्स को ध्यान में रख कर किया जाय। इससे यह स्थिति पैदा हो गई है कि एक एक आदमी को सौ-सौ मन बीज मिल रहा है और बाकी को कुछ नहीं। इसके लिए जिला कलेक्टर को कहा कि इसका समाधान करना चाहिये जिससे बीज सब को सही रूप में मिल जाय। उन्होंने कहा कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, पंचायत समिति जैसा चाहे वैसा करे। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके लिए स्पष्ट रूप से कोई नीति सरकार को पंचायत समितियों को देनी चाहिये। बीज का वितरण इस प्रकार से करना है कि हर किसान, जो इसका नीडी है उसको बीज मिल जाय, नहीं तो बीज वितरण में पूर्ण रूप से धांधली होगी।

अनेक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह बर्मा।

श्री चन्द्रसिंह बर्मा (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, खाद्य मन्त्रीजी ने यह बताया कि पंचायत समितियों की ओर से बीज और खाद की मांग आयी थी उसको आपने पूरा किया है। मैं आपकी मार्फत खाद्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पंचायत समिति, बिलाड़ा की मांग एक लाख की थी, उसकी अगेन्स्ट में आपने ४० हजार ही मन्जूर किया है। आप इसको एक लाख तक स्वीकार करें ताकि जो बीज चाहते हैं उनको पूरी तरह से बीज मिल सके। जोधपुर परगना में यह ऐसा इलका है जहां आवश्यक है। खाद्य मन्त्रीजी इसके लिए आश्वासन दें।

श्री अमरसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, दो बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ। पंचायत समितियों में बीज दिया जा रहा है, वहां पर यह बन्दिश लगा दी गई है कि बीज के साथ दो-चार बोरी खाद भी लेना पड़ेगा। खाद लेना बुरी बात नहीं है। दिक्कत यह है कि ऐसी जमीनें हैं जो बांध के जरिये या मेड़ बन्दी में भरी रहती हैं, उनमें यदि बनावटी खाद दिया जाय तो दूसरा और तीसरा पानी उसमें और चाहिये जो कि उनको मिलेगा नहीं। गेहूं आदि जल जावेंगे। इसलिए खाद लेने के लिए कॅम्पल्शन नहीं होना चाहिये। यह

Page No. 43

(श्री अमरसिंह)

उन्हीं लोगों पर छोड़ दिया जाय। वे आवश्यक समझें तो लें और न समझें तो न लें। बीज भी गरीबों के लिए मंहगा है।

दूसरा यह है कि जो जौ की मात्रा है वह अपर्याप्त है। इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि जो डिक्लेरेशन कलेक्टर के पास दिया हुआ है उसके लिए उनको यह हिदायत हो जाय कि बीज के लिए पंचायत समितियों से जो मांग है वह पूरी हो जाने के बाद ही कन्ज्यूमर्स को दिया जाय। एक महीने में जौ की बुआई हो जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल।

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे बांसवाड़ा जिले में बरसात इस साल कम होने की वजह से जिस जमीन में गेहूं होता था उसमें गेहूं न बोकर किसानों का यह इरादा है कि चना बोया जाय। काफी तादाद में वहां पर था, लेकिन सरकार द्वारा रुकावट न करने के कारण गुजरात में चला गया सारा चना और आज भी जा रहा है जब कि किसानों को बोने के लिए १६), १७) व २०) रुपए का किलो चना मिल रहा है। इस तरह से किसानों को चना खरीदने में परेशानी हो रही है और चना नहीं मिल रहा है। जिला परिषद् ने मांग की थी कि व्यापारियों के पास जो चना है उसको लिया जाय। व्यापारियों को बुला कर चना देने की मांग की, लेकिन व्यापारियों ने हाई कोर्ट में अपील कर दी और चना देने के लिए इन्कार कर दिया। कुछ लोगों से चना मिला और बाकी से नहीं मिला। इसलिए खाद्य मन्त्रीजी से इतना ही कहना चाहता हूं कि काश्त की जमीन पड़ी हुई है, अतः चने की व्यवस्था अविलम्ब करें, और फिक्स भाव बांध दिये जांय जिससे वाजिब तौर पर उनको मिले। बांसवाड़ा में लोगों ने ४६) से लगाकर ४७) रु० क्विन्टल में खरीदा था। आज ६०) रु० क्विन्टल है और बिक रहा है। व्यापारियों से वाजिब भाव में लिया जाय और काश्तकारों को दिया जाय, नहीं देंगे तो अगली काश्त का नुकसान होने वाला है और खेती पड़ी रहेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में बीज की बड़ी गम्भीर समस्या है। मैं यह समझता था कि इधर के लोगों ने कुछ कहा हो, उधर के लोग भी दबाव डालें....

श्री अध्यक्ष : आप भाषण शुरू न करें, सुझाव हो तो दें।

श्री हरिराम चौहान : बीज की समस्या को हल किया जाय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! संक्षेप में आपके यहां से सुझाव नहीं आया है इसलिए सुझाव पेश कर दें, दो-चार मिनट में।

श्री हरिराम चौहान : दो-चार मिनट में ही कह देता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप तो समां बांध रहे हैं।

श्री हरिराम चौहान : समां नहीं है।

आज सरकार उस इलाके में न खाने का इन्तजाम कर सकी है और न काम का इन्तजाम कर सकी है, न ही रहन–सहन का इन्तजाम कर सकी है।

श्री चन्द्रसिंह वर्मा (बिलाड़ा) : बीज का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : बीज पर आ रहे हैं।

श्री हरिराम चौहान : बीज की समस्या है वह उनके सामने ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज उनको यह पता नहीं है कि यह सरकार उनको बीज सस्ते भाव पर दे सकी है। आज उनके पास बाजार भाव में खरीदने के लिए पैसा नहीं है। खरीदने के लिए पैसा है तो ठीक तौर से बीज मिलता नहीं है और यह सरकार पूरी तरह से गारन्टी दे नहीं रही है। खास तौर से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं उन जगहों पर ठीक प्रकार से बीज देना है, सस्ता देना है। जहां बीज पड़ा हुआ है फालतू, वहां पर सरकार उसको अपने कब्जे में नहीं ले रही है। सरकार किसी भी भाव में बीज खरीदे लेकिन किसान को बीज सस्ता मिलना चाहिये, वरना ठीक तरह से बीज नहीं खरीद सकेंगे। कोटकासिम में पचासों गांव तबाह हो गये हैं और सरकार की ओर से मदद नहीं दी गई है। बीज–चारे के लिए परेशान हैं, हर तरह से परेशान हैं। लड्ढा साहब पहुंचे थे; उन्हीं बातों का आश्वासन दोहरा दिया था। कागजी कार्यवाही चल रही है। खास रियायत नहीं दी गई।

इसी तरह से राजस्थान के दूसरे इलाकों में भी समस्या है। उन तमाम जगहों के हालातों को देख कर ठीक प्रकार से बीज का इन्तजाम कर दें तो ठीक है वर्ना टाइम निकल जायगा, बीज का इन्तजाम हुआ भी तो किस काम का ? इन्तजाम हो भी नहीं सकेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, जो मात्रा बीज की कृषि मन्त्रीजी ने बताया वह पर्याप्त नहीं है। दो लाख मन गेहूँ और ७० हजार मन चना बताया। अकेले गंगानगर बुआई क्षेत्र को लें और उन लोगों को निकाल दें इस हिसाब में से जो ४०) रु० मन बीज लेकर डाल सकते हैं, तो आप समझिये कि १४ लाख बीघा धरती भाखरा की, और १४ लाख ही एग्रीकल्चरेबल लैंड गंग केनाल की, और कम से कम १० लाख एग्रीकल्चरेबल लैंड राजस्थान केनाल की आ चुकी है, तो कैसे यह पूरा होगा ? बारिश अच्छी हो गई है। लोगों ने हल चलाये हैं, एक बीघा में १० सेर का हिसाब लगायें और ५० परसेन्ट भूमिहीन मान लें तब भी यह पूरा नहीं होता है। भूमिहीन किसान हो, सरकार गिरवी रखती है, तो दो लाख मन गेहूं का बीज और ७० हजार मन चने का बीज केवल सरकार की धरती को काश्त करने वाले लोग हैं, जो किश्तों पर जमीन लिये हुए हैं किश्त देते हैं, इन्स्टॉलमेन्ट देते हैं, हजारों रुपये साल के वे ४०) रु० मन के हिसाब से धरती में बीज नहीं डाल सकते खरीद कर। यह आपका हिसाब एक डिस्ट्रिक्ट में भी पूरा नहीं होता। यह बीज अच्छे बीज के नाम पर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

दिया जा रहा है । सरकार ने इस abnormal स्थिति में बीज सप्लाई करने के लिये स्पेशल एफर्ट क्या किये हैं ? ज्यादा से ज्यादा बीज, अच्छे से अच्छा बीज, कम से कम रेट में ठीक समय पर बुआई से पहले किसान को देने की सरकार ने क्या कोशिश की है ? जहां अच्छी बरसात हो गई है वहां बुआई का समय आ गया है, वहां जल्दी से पहुंचाने का क्या प्रबन्ध किया है ? इसका उत्तर अन्न मन्त्री के बयानों में कहीं नहीं है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट ही कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

पंचायत समितियों से उनकी वहां की आवश्यकता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की है या नहीं ? आज बीज और खाने के अन्न की समस्या दिन पर दिन विषम होती जा रही है । तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी आवश्य आश्वासन चाहूंगा कि यथा सम्भव वह पूर्ण कोशिश करेंगे कि चोरी-छिपे राजस्थान से बाहर गेहूं, जौ, चना, बाजरा, मक्का आदि खाद्यान्न नहीं जावेगा और इस सम्बन्ध में वे कोई न कोई ठोस कदम उठावेंगे ।

इसके पश्चात् निवेदन करूंगा कि आप जो भी भाव मुकर्रर करें, उस पर स्टिक रहें, उसे बाद में बार बार बदलें नहीं; अगर बदलेंगे तो यह आपकी अदूरदर्शिता का परिचायक होगा, स्टेबिलिटी की कमी होगी और सर्वसाधारण में आपके प्रति विश्वास टूट जावेगा। तो जो कुछ भाव आप तैय करें कम से कम दस-पन्द्रह सप्ताह के लिये उस पर स्टिक करें ।

जो माननीय सदस्य बांसवाड़ा से आये हुए हैं उनके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है । जो कुछ भी उन्होंने निवेदन किया वह बिलकुल सच है और बांसवाड़ा जिला, बहुत सा उदयपुर का हिस्सा और डूंगरपुर जिले में सूखा सा पड़ रहा है । मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करें और जो जमीन इस समय चाही के योग्य है दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र में, वहां जल्दी से अच्छे से अच्छा बीज पहुंचाने की व्यवस्था करें । इस सम्बन्ध में जन-साधारण की आवश्यकता की पूर्ति यदि पूरी न हो सके तो जिस हद तक भी सरकार पूरी कर सके करें, ताकि जन-साधारण के मन में शान्ति हो और यह खास समय जो चने की खेती का आ रहा है उस वक्त उचित भाव पर चने का बीज उनको मिल सके ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जैसी कि बीज के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है, मैं अपनी राय देना चाहता हूँ सरकार को कि वह कैश पेमेन्ट में करने के स्थान पर काइण्ड में वसूली करे । सरकार बीज जो किसानों को दे वह बड़ी के रूप में दिया जावे ताकि सरकार के गोदामों में अनाज आ सके । इससे सरकार इस स्थिति में रहेगी कि सही ढंग से उसका वितरण कर सके ।

दूसरी चीज, जो कैश पंचायत समिति को दिया जाता है और पंचायत समिति वह क्रय-विक्रय संघों को देती है १० रुपया एक्स्ट्रा

(श्री अब्दुल जब्बार)

एक्सपेन्डीचर के लिये तो वह दस रुपया एक्स्ट्रा एक्सपेन्डीचर का जो दिये जाने की बात जैसी कि अभी २७ सितम्बर को मीटिंग में मुझे मालूम हुई, उसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि यह पैसा जो आप बीच की एजेन्सियों के मार्फत किसान के लिये देना चाहते हैं तो इन बीच की एजेन्सियों को न देकर सीधा यह दस पर्सेन्ट जो रुपया आप किसान को देने की बात कहते हैं, जो सौ रुपया देने की बात करते हैं, उसके साथ मिला कर ११० रुपया किसान को ही दे दीजिये तो इससे किसान का भला होगा और इस तरह से सरकार की एक्स्ट्रा एक्सपेन्डीचर की सही यूटीलिटी भी हो जावेगी ।

गंगानगर से आये हुए माननीय सदस्य ने बताया कि पंचायत समितियां आज तक इस पोज़ीशन में नहीं हैं कि कितने टन या मन पर्टीक्यूलर बीज की उनके हल्के मे जरूरत पड़ेगी इसकी डिमान्ड वे सरकार को भेज दें, आज फसल बोने का समय आ गया है पर अभी तक यह डिमान्ड पहुंची नहीं है, इस कारण पुनः वही स्थिति न हो जावे कि समय पर बीज ही न मिलने से बुआई ही न हो । पहले तो फैमिन पड़ने से लोगों के पास बीज के लिये भी अनाज नहीं है, फिर अगर डिमाण्ड न होने से समय पर अगर बीज भी सरकार से उनको नहीं मिला तो बुवाई चला जावेगी, तो सरकार इस बारे में भी आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करे । अगर सरकार ने इन सुझावों पर अमल किया तो हर हालत में राजस्थान के सभी लोगों को फायदा होगा ।

श्री केसरीसिंह (पाली) : मैं जानकारी चाहूंगा कि क्या यह सही है कि सूरतगढ़ फार्म में जो बीज पैदा हुआ था वह बहुत सा बाहर भेज दिया गया है, बावजूद फूड कमिश्नर के यह कहने पर भी कि इसके भेजने से यहां कमी पड़ जावेगी ? अब बाहर से मंगाने की जरूरत पड़ रही है । क्या इसमें सरकार ने अदूर-दर्शिता का परिचय नहीं दिया ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : फूड पॉलिसी डिक्लेयर करते समय फूड ग्रेन लाइसेन्सिंग एक्ट में अमेन्डमेन्ट किया कि २५ परसेन्ट एक आदमी जो एक्सपोर्ट करना चाहता है अनाज वह सरकार को देगा, बफर स्टॉक के लिये । उस समय सरकार यह किस भाव से खरीदेगी, यह नहीं बताया । अगर व्यापारी देगा तो वह किस भाव से खरीदेगा ? आपने भाव निर्धारित कर दिये तो मैं सुझाव दूंगा कि उन्हीं के आधार पर पंचायत समिति, पंचायत या गवर्नमेन्ट की कोई भी डिस्ट्रिब्यूटिंग एजेन्सी को अधिकार दिया जावे कि जिनके पास जितना स्टॉक है वह चाहे ट्रेडर हो, लाइसेन्स होल्डर हो, कोई भी हो, उसके पास से अनाज प्राप्त करेगा उन्हीं रेटों पर और किसान को डिस्ट्रिब्यूट करवा दें ।

मैं और निवेदन करना चाहता हूं दूसरी बात की जब अनाज की स्केयर्सिटी पिछले एक साल से चली आ रही है तब बीज के नाम से सरकार ने स्टॉक मेन्टेन किया या नहीं ? और नहीं किया, तो क्यों नहीं किया ? स्टॉक मेन्टेन करने की उस समय सरकार की क्या नीति थी और क्यों नहीं वह मेन्टेन कर पाई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कई बातें कहीं । मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े समय में उन सबको थोड़ा थोड़ा जवाब दे दूं ।

जहां तक बीज का प्रश्न है मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि क्योंकि पिछले साल हमारे यहां अकाल था, इसलिये जितना प्रोडक्शन व्हीट का होना चाहिये था, नहीं हुआ । इसलिये यह शोर्टेज सरकार के खयाल में थी । इसके अलावा खरीफ के वक्त बरसात अच्छी हुई तो इस साल बीज की आवश्यकता अधिक होगी, यह बात भी सरकार के बराबर ध्यान में थी । इसलिये इसके बारे में शुरू से सरकार सतर्क थी ।

जहां तक पंचायत समितियों से पूछने का सवाल था । हमने बरसात अच्छी होने से पैदा हुए आसार को देखते ही उसी वक्त, अगस्त के फर्स्ट वीक में ही, सभी पंचायत समितियों को ताकीद जारी करदी थी कि वे अपनी डिमाण्ड जल्दी से जल्दी हमें भेज दें कि कितना उन्होंने खरीद लिया है, क्योंकि उनके पास प्रोवीज़न रहता है इसके लिये और कितना और चाहिये, तो कई ने जल्दी हमें अपनी डिमाण्ड बता दी, कई ने देर की तो हमारे प्रोडक्शन सेक्रेटरी ने पांच-पांच छ-छ रिमाइन्डर्स कलेक्टर और बी.डी.ओ को दिये, पत्र लिखे ।

(१ म. प.)

तो इस प्रोब्लम के बारे में जहां तक सतर्कता का प्रश्न है उसके बारे में हम शुरू से सारी स्थिति को जानकारी में रखते थे और शुरू से ही जैसा आपने कहा और मैंने कहा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट का काम इम्प्रूव्ड सीड देने का है और हमने उस मर्यादा को पहले से ही छोड़ने का विचार कर रखा था । इस दृष्टिकोण से जैसा मैंने कहा कि पंजाब से १ लाख मन बीज खरीदा है और यह कोई बहुत ऊंची वैराइटी का या जिसकी प्योरिटी के बारे में कह सकें कि वह बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है । लेकिन फिर भी हमने कमी होने के कारण उस बीज को खरीदा है ।

इसके अलावा सूरतगढ़ फार्म से ८० हजार मन बीज हमें हर साल मिलता है और वहां एक लाख मन से भी ज्यादा बीज पैदा होता है और इस समय चूंकि सारे हिन्दुस्तान में बीज की समस्या है और भारत सरकार के नीचे यह सूरतगढ़ फार्म है इसलिए राजस्थान को इस साल सूरतगढ़ फार्म से ३८ हजार मन अलॉट हुआ है । हमने बहुत कहा कि पूरा का पूरा बीज हमें दे दिया जाये; सूरतगढ़ फार्म के मेनेज़मेन्ट से और भारत सरकार के कृषि मंत्रीजी से कहा, परन्तु उन्होंने हमारी बात स्वीकार नहीं की और हमें सिर्फ ३८ हजार मन ही बीज अलॉट किया । इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें दूसरे राज्यों को भी देना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके व्हीट का एरिया जितना है उसमें कुछ न कुछ अच्छी वैराइटी का बीज नहीं जायेगा तो दूसरे प्रान्त प्रोडक्शन से वंचित रह जायेंगे ।

हमारा पिछला दो साल का डिस्ट्रिब्यूशन २॥ लाख मन के करीब था । इस समय हमने २। लाख प्लस १ लाख ४० हजार, इस तरह से कुल मिलाकर ३॥ लाख मन के ऊपर हमने बीज को खरीद कर बेचने की कोशिश की

Page No. 48

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है। इसके अलावा जितनी पंचायत समितियों की, रुपयों की मांग थी और उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर बीज लोकली अवेलेबल है, लेकिन उसकी कीमत का पता नहीं, सरकारी कीमत है या नहीं; फिर भी हमने कहा कि जितना खरीद सकते हैं उतना खरीद लिया जाये और अभी भी पंचायत समितियां बीज खरीद रही हैं। जैसा मैंने कहा कि पिछले सात-आठ रोज से ७०-८० लाख रुपया हमने पंचायत समितियों को चने के बीज को खरीदने के लिए दिया है। खास करके गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर इतना गेहूं और चने का एरिया हैं। वे तो, मेरे खयाल से, चुनाव लड़ रहे थे और कितना एरिया है कितना नहीं, मैं समझता हूं मैं मौके पर बीज के कामको ही कर रहा था। वहां पर जब कि इतना पोटेन्शिल एरिया है वहां की बीज की मांग को पूरा किया जाये ! चने के बीज के लिए ५० लाख रुपया हमने वहां की एक पंचायत समिति को दिया। इसलिए वहां का कोई भी एरिया बिना बन्धान के नहीं रहेगा। इसका मैंने इन्तजाम कर लिया है। गेहूं का जहां तक प्रश्न है, उसकी मांग कुछ और थी, लेकिन उसके बाद में जो ३८ हजार मन मिला है वह उसी जिले को दे दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : दे दिया या दिया जावेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, दे दिया। इसलिए जहां तक गंगानगर का प्रश्न है एक माननीय सदस्य ने कहा और जहां तक राज्य सरकार का सवाल है मैंने एक लैटर डेवलपमेन्ट कमिश्नर की मार्फत सब पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को लिखवाया कि बीज की जरूरत को दूसरे बेसिस पर न मान कर जिन लोगों को रियल नीड है, जिनको सचमुच जरूरत है, केवल उन्हीं को दिया जाये और इसमें किसी दूसरी प्रकार की अनियमितता नहीं हो सकेगी, इसका हमने इन्तजाम किया था। इसका हमने विशेष तौर पर प्रिकॉशन लिया है। जहां तक राज्य सरकार के आदेश देने का सवाल है, इसको हम पहले से ही सोचते थे और इसके लिए पहले से ही पंचायत समितियों को चिट्ठी लिख दी थी। सब के साथ न्याय किया जाएगा....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : बातें तो धार्मिक पुस्तकों में पहले ही हैं कि सब के साथ न्याय करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए ...

श्री नाथूराम मिर्धा : धर्म की बात तो आप इस समय छोड़ो। धर्म को जाने दो, राजनैतिक हॉल में बैठे हो। क्यों धर्म की बातें करते हो ? हमने सब को लिखा है।

श्री रामकिशन (वैर) : क्यों वहां पर कलेक्टर ने कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे गलत कहते हैं। उनको अधिकार है सारा करने का।

श्री रामकिशन : मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब ज्यादा प्रश्न न पूछें तो अच्छा रहे। अभी तो इस पर ३ दिन और बहस चलेगी।

श्री रामकिशन : मैं तो आपको करेक्ट करना चाहता हूं। मेरा मतलब यह था कि आपने कहा था कि कलेक्टर्स को कह दिया है। हमने वैर पंचायत समिति को लिखित सूचना दी है, उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। वहां पर सरकार कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने यह कहा है कि या तो यह कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। अब जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं दे और पंचायत समिति भी नहीं दें तो फिर क्या हो ? उस समय कलेक्टर तो थे नहीं, एडीशनल कलेक्टर को मैंने लिखकर दिया। अब वहां पर बीज की सख्त जरूरत है। पहले वहां पानी भरा हुआ था और अब वह निकल गया है और बाढ़ वाला इलाका खाली हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके अतिरिक्त जितना बीज हमारे पास है उसको हम देंगे, अगर गलती हुई है तो उसको हम देख लेंगे। वैर की कोई शिकायत नहीं आई, इसलिए मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता।

एक दूसरी बात जो ढाबरियाजी ने कही कि ३३) रु० पहले भाव थे। मैं आपको बताऊं कि यह प्राइज़ फिक्स की है बाद में; पहले व्हीट की रेट पर कोई कन्ट्रोल नहीं था। इन्प्रूव्ड व्हीट बी० डी० ओ० और एग्रीकल्चर ऑफिसर ने ऊंचे भावों पर भी खरीदा है। इसलिए जहां तक कन्ट्रोल की बात नहीं हो तब तक यह प्रश्न हमारे सामने नहीं था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : हम कैसे बीज बेच सकते हैं, क्योंकि कैश के ऊपर बेचना पड़ता है और ६४ रुपया गवर्नमेन्ट का भाव है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह पहले का खरीदा हुआ है इसलिए बेच सकते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : लाइसेंसिंग ऑर्डर में यह भाव रखेंगे तभी बेच सकेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके अलावा एक रुपया सब्सिडी और २४ रुपये मेग्ज़िमम रेट है उसके लिए जो व्हीट ऊंचे भाव पर लिया है वह गवर्नमेंट की सब्सिडी होगी, यह मैं पहले ही कह चुका हूं। इसके अलावा यह बात कही गई कि बीज काइन्ड में ही बेचा जाये और कैश में नहीं। मैं आपको बताऊं कि पंचायत समिति जिस समय बीज देती है उस समय तो भाव ऊंचे होते हैं और जिस समय बीज लेती है उस समय भाव नीचे होते हैं। इसलिए बहुत हैवी लोसेज़ होते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने पंचायत समितियों के सारे सुझावों पर विचार करके यह निर्णय लिया कि बीज को कैश के रूप में ही दिया जाये।

इसके अलावा विट्ठल भाई ने बांसवाड़ा के लिए कहा। वहां पर कलेक्टर महोदय ने विशेष प्रयत्न किये हैं। हालांकि वहां पर प्राइसेज़ फिक्स नहीं थीं फिर भी कलेक्टर ने एफर्ट्स करके और कुछ महाजनों से लेकर इन्तजाम किया है। हाईकोर्ट में भी मामला गया। तो हमारे ऑफिसर ने स्पेशल एफर्ट्स किये कि चना देकर बीज के रूप में पहुंच जाये। इसलिए जहां तक बीज के पहुंचने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

का प्रश्न है और जितनी इसके लिए कोशिश की जा सकती थी लोकल तरीके से और बाहर से मांग कर, वह हमने बराबर की है और जो हमारी प्रोब्लम एग्ज़िस्ट करती थी उसको आंक कर जितने बड़े पैमाने पर कोशिश करने की आवश्यकता थी वह हमने की। जितनी व्यवस्था हम कर सकते हैं सारे एफर्ट्स को माननीय सदस्य गौर करेंगे तो मैं समझता हूं कि जितनी प्रोब्लम को हम सोल्व कर सकते थे, उसको हमने किया है और जितने मेग्ज़ीमम एफर्ट्स करने की जरूरत थी, हमने किये हैं। और अब खासतौर से क्योंकि हमने चने के ऊपर पाबन्दी लगा दी है तो जिन लोगों ने चना नहीं खरीदा है तो अब चने का भाव उतर गया है और उस भाव के उतर जाने से उसका लाभ किसनों को बीज के समय मिलेगा, क्योंकि अभी भी कई जगह बीज नहीं बोया गया है। कई जगह, चाहे वह घग्घर की जमीन हो या कामां पहाड़ी की जमीन हो, वहां पर बुआई नहीं हुई है। वहां पर बुआई हो, इस बात का राज्य सरकार की तरफ से पूरा इन्तजाम किया गया है।

श्री रामकिशन : कामां के पहाड़ी क्षेत्र में तो आज भी पानी भरा हुआ है वहां कैसे बीज बोएंगे ? यह आप नहीं जानते हैं।

(१.१२ म० प०)

निर्दलीय सदस्य द्वारा कांग्रेस दल में सम्मिलित होने विषयक सूचना

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि माननीय सदस्य श्री नत्थी-सिंह (गोविन्दगढ़), विभाजन संख्या १२३, ने मुझे सूचना दी है कि उन्होंने राजस्थान विधान सभा की कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : For what price, Sir ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): जानवर तो बिकते ही रहते हैं, क्या बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Some cases withdrawn, some licences given ? What price ?

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : मैं बता दूं कि क्या प्राइस दी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

(शोरगुल)

श्री नत्थीसिंह : हमें भी कहने का अधिकार है कि क्या प्राइस दी है....

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : कीमत बता दी जाय तो बढ़कर बोली लगाई जाय।

श्री नत्थीसिंह : वहां जाकर बैठते हैं हरिरामजी के घर पर और यहां आकर यह कहते हैं....

(शोर गुल के कारण अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : तोता खूब पढ़ाया है भाई।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग) : सब तोते बनने वाले हैं।

(१.१४ म० प०)

मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से एक और घोषणा करूंगा कि वर्तमान मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना मिली है। माननीय सदस्य श्री लक्ष्मणसिंह, श्री मुरलीधर व्यास, श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री हरिराम चौहान ने प्रस्ताव की सूचना दी है, जो इस प्रकार है :

"(१) इस सदन का मत है कि राज्य सरकार खाद्यान्न और जीवनोपयोगी वस्तुओं के निरन्तर बढ़ते हुए भावों का नियन्त्रण करने में असफल रही है,

(२) राज्य में चारों ओर भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है, और

(३) प्रशासन में अव्यवस्था और पक्षपात बढ़ता जा रहा है,

अतः यह सदन वर्तमान मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करता है।"

जो माननीय सदस्य इस राय के हैं कि इस प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार किया जाय कृपया अपने स्थान पर खड़े होजायं।

(विपक्ष के, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा एवं श्री रामानन्द अग्रवाल के अतिरिक्त, अन्य माननीय सदस्य खड़े हुए)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): More than required.

श्री रामकिशन (वैर) : जो बैठे रहेंगे वे विश्वास के प्रतीक हैं यह व्यवस्था भी हो जानी चाहिये। जो बैठे रहते हैं वे विश्वास के प्रतीक हैं या अविश्वास के प्रतीक हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई।

(विराम)

विभिन्न पार्टियों से विचार-विमर्श करके इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए समय निर्धारित किया जायगा।

शेष स्थगन-प्रस्ताव विषयक

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन-प्रस्ताव पी. डब्ल्यू. डी. के कर्मचारियों के बारे में था, वह बड़ा इम्पोर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन-प्रस्ताव आपका भी सामने है और ३–४ और थे जो विचार रखने के लिए रखना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं होने के कारण उनको कल लिया जायगा।

श्री रामकिशन : इसलिए नहीं लिया गया है कि सरकार स्वयं गिर जाय। मेरा भी था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की दिलचस्पी थी इस विषय में, इसलिए समय ज्यादा लग गया।

(श्री अध्यक्ष)

(विराम)

अनुपूरक अनुदान की मांगें, १९६४–६५।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो स्थगन-प्रस्ताव रह गये हैं वे कल लिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव भी उनमें शामिल है।

श्री रामकिशन : मेरा बाढ़ वाला ?

श्री अध्यक्ष : आपके बाढ़वाले पर भी विचार किया जायगा।

(१-१६ म० प०)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २९–अकाल सहायता

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री, अकाल सहायता) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ६४-अकाल सहायता के संबंध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५०,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। कटौती प्रस्ताव, श्री विजयसिंह झाला।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :

(१) मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ६४-अकाल सहायता में १००) रु० की कटौती की जाय (अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता उपायों के अभाव पर बहस करने हेतु)।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :

(२) मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ६४-अकाल सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त काम नहीं शुरू करने पर बहस करने हेतु)।

(३) मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ६४-अकाल सहायता में १००) की कटौती की जाय (फेमिन रिलीफ कार्यों में रुपयों के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु)।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) :

(४) मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ६४-अकाल सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (पाली जिले में अकाल राहत कार्यों में जिला स्तर पर किये गये धन के आवंटन-पर बहस करने हेतु)।

(५) मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ६४-अकाल सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (पाली जिले में अकाल राहत कार्यों में किये गये सड़क कार्यों को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लिये जा रहे सड़क योजना में सम्मिलित किया जावे, पर बहस करने हेतु)।

(६) मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ६४-अकाल सहायता में १ रु०) की कटौती की

(श्री तेजाराम गहलोत)

जाय (पाली जिले में अकाल राहत कार्यों में किये गये सड़क कार्यों को पूरा कराने व उनकी मरम्मत व देख रेख की सुव्यवस्था कराने पर बहस करने हेतु ।)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) :

(७) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४-अकाल सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान में कमी वाले क्षेत्रों के लिये समुचित योजना न बनाने पर बहस करने हेतु)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

(८) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४-अकाल सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान में अकाल समस्या के समुचित समाधान के लिये योजना बनाने पर बहस करने हेतु)।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) :

(९) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४-अकाल सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (कुशलगढ़ में अकाल सहायता देने में सरकार के राजनीतिक पक्षपात बरते जाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) :

(१०) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४-अकाल सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (अकाल क्षेत्र घोषित करने में पक्ष-पात पर बहस करने हेतु) ।

(११) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४-अकाल सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (अकाल क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर लगे मजदूरों को दी जाने वाली रेट में पक्षपात पर बहस करने हेतु) ।

(१२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४-अकाल सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (अकाल क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को समय पर पैसा, दवाइयां आदि न देने पर बहस करने हेतु) ।

(१३) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४-अकाल सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (अकाल क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का राजनैतिक उपयोग किया जाने पर बहस करने हेतु) ।

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा) :

(१४) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४-अकाल सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (जिला बांसवाड़ा में अकाल पीड़ितों को सहायता देने में सरकार असफल रही उस विषय पर बहस करने हेतु) ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर):

(15) Demand No. XXIX, Major Head 64-Famine Relief, be reduced be rupee one (to discuss the cases of delayed payment, non-payment, less payment to the people in famine stricken areas).

(16) Demand No. XXIX, Major Head 64-Famine Relief, be reduced

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

by rupee one (to discuss the sufference of famine striken people in the absence of cheep grain shops, medical aid and water).

(17) Demand No. XXIX, Major Head 64- Famine Relief, be reduced by rupee one (to discuss the Governments attitude of completely neglecting famine code in famine striken area).

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) :

(१८) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४—अकाल सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (अकाल ग्रसित जनता को ठीक प्रकार सहायता न दे सकने पर बहस करने हेतु) ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

(19) Demand No. XXIX, Major Head 64-Famine Relief, be reduced by rupee one (to discuss less famine relief works in Tehsil Sanchor district Jalore).

श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर सिटी—पश्चिम) :

(20) Demand No. XXIX, Major Head 64-Famine Relief, be reduced by rupee one (to discuss failure of Government to give relief to famine striken people).

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) :

(२१) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४—अकाल सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में समुचित व्यवस्था नहीं कर सकी इस पर बहस करने हेतु) ।

(२२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४—अकाल सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (अकाल सहायता क्षेत्री भावना से समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर विचार करने हेतु) ।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू) :

(२३) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४—अकाल सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (अकालग्रस्त क्षेत्रों में सहायता की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं होने पर बहस करने हेतु) ।

श्री रामकिशन (वैर) :

(२४) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४—अकाल सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार की अकाल पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान न कर पाने की असफलता पर विचार करने हेतु)

श्री गंगासिंह (जायल) :

(२५) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४—अकाल सहायता में १००) रुपये की कटौती की जाय (अकाल ग्रस्त क्षेत्र में किये गये व्यय के औचित्य पर विचार करने हेतु) ।

Page No. 55

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :

(२६) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४–अकाल सहायता में १००) रु० की कटौती की जाय (अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त राहत कार्य शुरू न कर सकने के प्रश्न पर बहस करने हेतु) ।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) :

(२७) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४–अकाल सहायता में १००) रु० की कटौती की जाय (अकाल ग्रस्त क्षेत्र में किये गये व्यय के औचित्य पर बहस करने हेतु) ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (मांडल) :

(२८) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४–अकाल सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (सहायता कार्यों में किये जाने वाले व्यय में फिजूल खर्ची को रोके जाने पर बहस करने हेतु) ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारीचूण्डावत (भीम):

(२६) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४–अकाल सहायता में १) रु० कटौती की जाय (अकाल कार्य करने वाले श्रमिकों को पेमेन्ट समय पर नहीं मिलने पर बहस करने हेतु) ।

श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) :

(३०) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४–अकाल सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार ने अकाल पीड़ित लोगों की सहायता सही तरह से नहीं की है इस पर बहस करने हेतु) ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर):

(३१) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४–अकाल सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (अकाल सहायता कार्यों में राज्य सरकार द्वारा असावधानी पर विचार करने हेतु) ।]

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, आज जो मांग अकाल–ग्रस्त क्षेत्र के बारे में है तो निश्चित रूप से यह माना जायगा कि कुछ क्षेत्रों में अच्छे कार्य हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ राजनैतिक कारणों के कारण कुछ क्षेत्रों को वंचित रखा, और मैं समझता हूं कि सरकार को प्रारम्भ से जितना सतर्क होना चाहिए था उसके कार्य के बारे में उस सतर्कता से कार्य नहीं हुआ । अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में करीबन चार बार विज्ञप्तियां निकलीं कि कौन कौन से गांव अकाल–ग्रस्त घोषित किये गये हैं । पहले पहल हमारे उप–मन्त्री ने दौरा किया । उस दौरे के बाद में जो उन्होंने एक सूची दी और उस सूची से यह स्पष्ट जाहिर होता था कि दर असल में ऐसी भयंकर स्थिति नहीं है जैसी कि होनी चाहिए । उसके बाद में और विज्ञप्ति निकली उसमें कुछ क्षेत्रों को और जोड़ा गया । इस प्रकार से सरकार ने दूसरी बार विज्ञप्ति निकाली कि यहां पर अब बारिश का समय हो गया है वहां के कुछ लोगों को यह शिकायत थी कि वहां पर अकाल–ग्रस्त एरिया घोषित किया जाय, वहां की स्थिति शान्तिपूर्ण है, लेकिन हमारे यहां के मन्त्री

(श्री विजयसिंह झाला)

महोदय ने उस समय जवाब दिया कि क्योंकि बारिश होने वाली है इसलिए उस एरिया को अकाल-ग्रस्त नहीं घोषित किया जाता है। ऐसी स्थिति में यह साफ है कि प्रारम्भ में जो सतर्कता बरतने की थी अकाल की समस्या के बारे में उस सतर्कता को प्रारम्भ में नहीं बरता और इसके कारण जो बहुत से ग्रामों को सहायता मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पाई।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जहां पर ऑफिसर्स थे उनको समय पर सारी स्थिति का अध्ययन करके सरकार के सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए थी। वह रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं हुई इसके कारण वह बहुत से गांवों को सहायता नहीं मिल पाई।

इसके अलावा राजनैतिक कारण भी थे कि जहां से आपोजियशन पार्टी के सदस्य जीते उन लोगों के यहां बराबर मन्त्री महोदय को सूचित करने पर भी, यहां तक कि पर्सनली हम लड्ढा साहब से और मैं हमारे संबंधित मिनिस्टर साहब से मिला और नाथद्वारा तहसील के कुछ ग्रामों के बारे में जो कि वहां से जुड़ी हुई कुम्भलगढ़ और देवगढ़-भीम तहसीलों के गांवों से जुड़े हुए हैं और जिनकी उनके समान स्थिति है उसके होने पर भी वहां पर सहायता कार्य चालू नहीं किये गये। तीन साल से वहां पर बारिश नहीं होने के बावजूद और आज भी वहां की स्थिति दयनीय है और अभी भी उदयपुर के आस पास के गांवों में इस साल भी बारिश नहीं हुई इस कारण से मक्का की फसल नष्ट हो गई और आगे की फसल होने की सम्भावना नहीं है; इसलिए गत वर्ष जिस प्रकार कि राजनैतिक कारणों से सहायता नहीं दी गई उसी प्रकार इस वर्ष भी अगर कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किया गया और किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई तो सम्भव है कि वहां पर स्थिति बहुत ही भयंकर हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा तहसील के अन्दर और कुम्भलगढ़ तहसील के अन्दर एक-एक सेर आटे के लिए लोगों ने चोरियां की हैं।

मैं समझता हूँ जहां जहां पर ऐसी संकट-पूर्ण स्थिति है बल्कि दो माइल के दूरी के एरिया को अकाल-ग्रस्त घोषित किया क्योंकि वहां पर कांग्रेस के सदस्य उम्मेदवार हैं लेकिन पास ही के दूसरे गांवों को अकाल-ग्रस्त घोषित नहीं किया जाय, यह बहुत अन्याय होगा। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि जब इस प्रकार स्थिति उत्पन्न हो कि किस क्षेत्र को अकाल-ग्रस्त घोषित किया जाय उसको घोषित करने का अधिकार केवल एक ही पार्टी इन पॉवर को ही नहीं होना चाहिये बल्कि जितने विरोधी पक्ष के लोग हैं, नेता हैं जिनके सामने भिन्न भिन्न जगहों की आवाज आती है उन सब की एक कमेटी बनाकर उसमें डिसीज़न लें कि किस आधार पर अकाल ग्रस्त घोषित किया जाय और किस आधार पर रकम खर्च होनी चाहिये और उसी आधार पर अकाल ग्रस्त क्षेत्र को सहायता मिलनी चाहिये तब तो जहां संकटपूर्ण स्थिति होगी वहां के लोगों को सहायता मिल जायगी, यहां तक कि जिला परिषद् का निर्माण हुआ

(श्री विजयसिंह झाला)

वहां पर भी उनको वंचित रखा गया । यहां तक कि उस क्षेत्र में जो एम. एल. एज़. थे उनको भी मेम्बर नहीं रखा उनको तो रखना चाहिये था । उनको नहीं रख कर नोमीनेटेड मेम्बर्स कांग्रेस पार्टी के रख दिये । इसलिये मैं कहता हूं कि जहां पर भयंकर स्थिति है वहां सभी पार्टीज को मिल कर काम करना चाहिये लेकिन दूसरी पार्टीज के लोगों को इसलिये शामिल नहीं किया जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि उनका प्रभाव बढ़ जाय ।

इसके अलावा जहां पर काम हुए वहां पर मजदूरों को समय पर मजदूरी मिलनी चाहिये थी, लेकिन बहुत से क्षेत्रों में समय पर मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली । इसके बारे में लोगों ने स्थगन–प्रस्ताव भी रखे, इसलिये कि मजदूरों का पेमेन्ट बहुत से क्षेत्रों में बाकी है । भीम और आस–पास के एरिया में जिन लोगों ने सात–सात दिन तक काम किया उनको ७ दिन की मज़दूरी केवल १ रुपया ३० नये पैसे मिली है, इसी तरह मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि तारीख २२-६-६४ से तारीख २८-६-६४ तक करीब ४ हजार मज़दूरों को एक हफ्ता काम करने की मज़दूरी केवल १.६८ नया पैसा चुकाई गई है । इसी तरह तारीख १ मई से ७ मई तक करीब ४ हजार मजदूरों को १.२० नया पैसा चुकाया हुआ है । इसका कारण यह था कि सौ–सौ मजदूरों पर एक मेट था और उनके काम का मैजर-मेन्ट ओवरसियर को करना चाहिये था लेकिन उसने मेज़रमेन्ट न करके सारा मेज़रमेन्ट मेट से कराया जिसको टैक्निकल गाइडेन्स नहीं होने से या मजदूरों से उसने पैसा मांगा और जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनका सही नाप नहीं लिया और नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों ने सात-सात दिन काम किया उनको एक सप्ताह में १.२० नये पैसे मिले जब कि ३३.७४-७ दिनों में मिलने चाहिये थे उसके बजाय १.२० नये पैसे मिले । इस प्रकार से जितना पेमेन्ट मेज़रमेन्ट के आधार पर होना चाहिये था उतना सही पेमेन्ट नहीं हो पाया । इसके अलावा चुनाव के दिनों में फेमिन कोड के ऊपर भी पेमेन्ट हुआ है । फेमिन भी राजनैतिक आधार पर है । अकाल घोषित भी राजनैतिक आधार पर होता है, यह अकाल ग्रसित एरिया के लिये अच्छा नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार का पक्षपात न हो ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

श्री महेन्द्रसिंह

(अनुपस्थित)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो कट मोशन्स हैं वे इस प्रकार हैः—

"(१) माग संख्या २६ मुख्य शीर्षक ६४, अकाल सहायता में १) रु० की कटौती की जाय (अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त काम नहीं शुरु करने पर बहस करने हेतु) ।

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

(२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४. अकाल सहायता में १००) रु० की कटौती की जाय (फेमिन रिलीफ कार्यों में रुपयों के दुरुपयोग पर बहस करने हेतु ,,

अध्यक्ष महोदय, फेमिन के प्रश्नों को, अकाल के प्रश्न को हम राजनैतिक दृष्टी से सोचें, यह बहुत ही बुरी बात है। लेकिन आज का अनुभव यह कहता है कि जहां जहां पर हम गये वहां पर हमने पाया कि इसको राजनैतिक दृष्टीकोण से सोचा गया है। जहां पर वर्षा नहीं हो वहां पर फेमिन है, ऐसी बात नहीं हैं। जहां पर पहले वर्षा हो जाती हैं और बाद में नहीं होती वहां पर भी फसल खराब हो जाती है और जो बीज किसानों ने बोया था वह खराब हो जाता है और बाद में उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर इस प्रकार का काल पड़ा। खरीफ की फसल तो खराब हो ही गई लेकिन रबी की फसल के लिये भी उनके पास साधन नहीं रहे। मावली में लोगों ने मक्का और ज्वार बोया था वहां वर्षा की कमी के कारण फसल अच्छी नहीं हुई। कुओं में जितना पानी भरना चाहिये था उतना नहीं भरा। तलाबों में भी बहुत कम पानी आया उदयपुर के तालाबों में हर वर्ष ओवर फूला होता था इस वर्ष ओवर फूलो नहीं हुआ। वहां पर आज भी स्थिति खराब है, अगर अभी से कदम नहीं उठायेंगे तो खरीब की फसल ठीक नहीं होगी और रबी की फसल भी ठीक नहीं होगी। मैंने वहां के कलेक्टर से कहा कि मशीनों की आवश्यकता हैं मशीनें मंगा कर जहां **जहां पर रिजवोयर** हैं वहां पर मूविंग पेम्पिग सेट लगाकर सिंचाइ की सुविधा बढ़ाइये, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जहां जहां पर अकाल क्षेत्रों में काम हुए हैं वहां पर कितनी ही अनियमितताएं हुई। जिस समय भीलवाड़ा में चुनाव हुआ उस समय मैं आसीन्द गया था, पहले वहां हर वर्क बेसिस पर काम हो रहा था लेकिन ज्योंही चुनाव नजदीक आया वर्क बेसिस पर काम करना समाप्त किया गया और डेली वेजेज पर काम करवाना शुरू कर दिया और चाहे कोई काम करे न करे चाहे दिन पर वृक्ष के नीचे सोता रहें बिना काम किये उनको पैसा मिलता रहा और लोग मनमाना पैसा लेते रहे। ज्योंही चुनाव खत्म हुआ वही पुरानी व्यवस्था फिर लागू कर दी गई। पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारी थे उन्होंने उनको डेढ़ महीने तक बैठाये रखा कोई काम नहीं लिया, इस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, उसके लिये कौन जिम्मेदार है। वहां नेशनल हाई वे उदयपुर का जो इन्चार्ज था उसको जब पूछा गया कि क्या बात है तो १–७–६४ को तमाम आदमियों को लेकर उदयपुर आ गया। वहां पर जगतसिंहजी ने कहा, क्यों लाये वापिस भेजो; फिर वापिस भेजा। उन मज़दूरों को इसलिये परेशान किया जाता है कि वे दूसरी संस्था या राजनैतिक पार्टी के मेंम्बर्स हैं। राजनैतिक दृष्टिकोण से काम करने से धन का दुरुपरोग होता है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार रिलीफ कार्यों के लिये भी राजनैतिक दृष्टिकोण से विचार किया जायगा तो देश का कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि उन क्षेत्रों में जहां इस वर्ष पानी की कमी है, सिंचाई नहीं हो रही है वहां पर विशेष तौर से मशीनें

(श्री सम्पतलाल बोहरा)

भेज कर कूओं से सिंचाई करने का प्रबंन्ध करना चाहिये और जहां पर इलेक्ट्रिसिटी लगा सकते हैं वहां इलेक्ट्रिसिटी लगा कर सिंचाई की सुविधा देनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४ पर मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं पहला कटौती प्रस्ताव पाली जिले में अकाल राहत कार्यों के लिये धन के बारे में है । दूसरा प्रस्ताव अकाल राहत कार्यों में किये गये सड़क कार्यों को पूरा करने के लिये चौथी पंच वर्षीय योजना में सम्मलित करने के बारे में है और तीसरा प्रस्ताव-जो कार्य अधूरे हैं उनको पूरा करने व देखरेख करने के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जैसे इलाके में अकाल कोई नई चीज नहीं है । हर दूसरे, तीसरे साल किसी न किसी इलाके में अकाल पड़ा ही करता है; लेकिन जैसा भंयकर अकाल पिछले वर्ष राजस्थान के १३ जिलों में पड़ा और उस अकाल का मुकाबला जिस धैर्य और सहास से हमारी सरकार ने किया उसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं । राजस्थान के १३ जिलों में जहां पर कि पीने को पानी की कमी थी, मवेशियों के लिये चारे की कमी थी जहां आदमियों के लिए रोज़गार की कमी था वहां हमारी सरकार ने रोज़गार दिया, चारा दक्षिण से लाकर, हिन्दुस्तान की दूसरी रियास्तों से लाकर दिया और जहां पर अच्छी वर्षा होने पर भी मनुष्यों के लिए पीने के पानी की कमी रहती है वहां पर हमारी सरकार ने गत वर्ष मोटर और गाड़ियों के द्वारा मवेशियों और मनुष्यों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की । इसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं ।

लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद में भी क्या हमारी जन-कल्याणकारी सरकार आम जनता को उस पैसे के सदुपयोग के द्वारा लाभ पहुंचा सकी है या नहीं, इसके सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो पैसा अकाल राहत कार्यों के लिए बांटा गया, उसका जिला स्तर पर सही तरह से आवंटन न होने से जो पैसा खर्च होने के बाद सरकार को श्रेय मिलना चाहिए वह नहीं मिला है । मैं आपके सामने पाली जिले की मिसाल देता हूं । पाली जिले में पांच तहसीलों में अकाल था, लेकिन वहां जिस तरह से पैसों का आवंटन किया गया उसको देखते हुए मैं कहूंगा कि केवल पाली तहसील को आठ प्रतिशत पैसे का आवंटन किया गया और बचा हुआ चालीस प्रतिशत दूसरी तहसीलों में आवंटन किया गया । मैं यह जानना चाहूंगा कि जब दूसरी पांच तहसीलों में भी अकाल था तो जन संख्या के आधार पर जिला अधिकारियों द्वारा पैसा बांटना उचित था । जिला अधिकारियों ने इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट फेमिन रिलीफ कमेटी को भी अपने विश्वास में नहीं लिया, बस एक बार फेमिन कार्य शुरू होने के पहले मीटिंग बुलाई गई । उसके बाद में उसकी मीटिंग करके उस कमेटी को अपने विश्वास में नहीं लिया । इसका नतीजा यह हुआ कि तहसील के तो सारे गांवोंमें राहत कार्य खोल दियेपांच, सात, गये, जब कि बाकी कीपांच तहसीलों में महीने में दस दिन राहत कार्य चलते थे । मैं यह निवेदन

(श्री तेजाराम गहलोत)

करना चाहूंगा कि गत वर्ष में जो कुछ हुआ वह तो ठीक है लेकिन भविष्य के लिए इसका ध्यान रखा जाय कि जो राहत कार्य खोले जांय वह किसी एक विशेष तहसील में ही न खोले जांय बल्कि जो अकाल ग्रस्त तहसीलें हैं उनको सही तरह चाहे जन संख्या के आधार पर या चाहे क्षेत्र के आधार पर पैसे का आवंटन किया जाय ताकि सब लोगों को और सब तहसीलों की जनता को राहत मिल सकें।

दूसरा निवेदन, अध्यक्ष महोदय, यह है कि पिछले वर्ष में काफी क्षेत्र में अकाल था और अकाल की वजह से सरकार ने अकाल राहतकार्य खोले। उनमें बहुत सी सड़कों के काम भी किये गये। वे सड़कें योजना की सड़कें नहीं थीं लेकिन अकालग्रस्त क्षेत्र में राहत देने के लिए बनाई गई। मेरा निवेदन है कि जो सड़कें बनी हैं उन सड़कों को चौथी पंचवर्षीय योजना में ले लिया जाय तो जो पैसा अकाल-राहत-कार्यों में लगा है उसका सदुपयोग हो सकेगा और जिस क्षेत्र में सड़कों पर काम किया गया है उनसे उस इलाके का और विशेष तोर पर प्रान्त का फायदा होगा। मैं मिसाल के तौर पर निवेदन करूं कि जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां जैतारण से चंडावल तक की सड़क—यह सड़क पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा स्वीकृत सड़क थी। इसका अर्थ-वर्क १८ मील का पूरा हो गया है, १२ मील तक मुड़ खुदवा दिया है और मुड़ डल चुका है। बाकी पी. डब्ल्यू. डी. ने मुढ़ खुदवा दिया है लेकिन राहत कार्य खत्म हो चुका है और मुड़ खुदे पड़े हैं। मेरा निवेदन है कि इस सड़क पर मुड़ डलवाया जाय।

राजोला से रूपावास वाली सड़क है, वह २२ मील की सड़क है। यह एक ऐसा इलाका है, जहां रेल के साधन नहीं हैं और न सड़क है। ऐसी स्थिति में इस सड़क के ऊपर केवल दो-ढाई मील के क्षेत्र में मुड़ पड़ना बाकी रह गया है। वैसे मुड़ खुदा हुआ पड़ा है। इसे भी डाला जाय।

भैसाणा से सोजत व नागा की वेरी से खटिया सीडा तक की ये छोटी मोटी सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० एजेंसी के द्वारा बनाई हुई हैं। इन पर मुड़ पड़ना बाकी है। इसको भी डलवाया जाय।

दूसरी सड़क कुमेलाव तालाब से अटबड़ा ग्राम तक की रेवेन्यू एजेंसो के जरिये बनी सड़कें हैं। इन सड़कों पर मुड़ नहीं पड़ा है। अगर मुड पड़ जाय तो यह पर्मानेन्ट हो जायगी। इसी तरह देवरीया से हुनावास कलां सड़क का हाल है। जेतारण से चंडावल के लिये देवरिया गांव में मुड़ खुदवाया गाया था और पच्चीस तीस हजार रुपयों का मुड़ खुदा हुआ पड़ा है। न तो जैतारण–चंडावल सड़क पर मुड़ डाले गये हैं और न रेवेन्यू एजेंसी देवरिया से हुनावास तक बनाई गई सड़क पर डाले गये हैं। जिन सड़कों का अधूरा काम पड़ा है उनको सरकार पूरा करवा दें ताकि आने वाले जमाने में ये सड़कें ट्रांन्स-पोर्टेशन के काम में आ सकें और वहां के निवासियों के लिये फायदेमन्द हो सकें।

इसी तरह से फेमिन के अन्दर ऐसे क्षेत्रों में जहां पीने के पानी की कमी हैं वहां टाकें

(श्री तेजाराम गहलोत)

बनवाने का कार्य शुरू हुआ। यह काम मंजूर हुआ, उसके बाद टांके खोदे गये। लेकिन फेमिन रिलीफ कार्य बन्द होने के कारण ये पूरे नहीं करवाये गये। यह पर्मानेन्ट नेचर का काम है। इसलिए जो 'काम शुरू हुआ है उसको पूरा करवाने की व्यवस्था करें।

अलावा इसके, अध्यक्ष महोदय, जो भी सड़कें हैं इनको चौथी पंचवर्षीय योजना बनाते समय उसके अन्दर लें क्योंकि इनके अन्दर ऐसी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेन्ट सड़कें हैं जो किसी तहसील हैड क्वार्टर को जिला हैड क्वार्टर से मिलती हैं। जैतारण चंडावल की सड़क पाली डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर को सीधा मिलाने वाली हैं। यह पन्द्रह–सोलह मील की है, इसको चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाय तो उपयुक्त होगा।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि जो अधूरे कार्य हैं उनको पी. डब्ल्यू. डी. या दूसरी एजेन्सी के द्वारा पूरा करवाया जाय। जो महत्वपूर्ण सड़कें अधूरी हैं उनको चौथी पचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : अध्यक्ष महोदय, अकाल सहायता के सम्बन्ध में जो मांग रखी गई है उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कई वर्षों में पिछले साल जिस प्रकार का अकाल पड़ा, वैसा अकाल पहले देखने में नहीं आया। मगर राजस्थान सरकार ने उस अकाल की स्थिति का जिस प्रकार से सामना किया, यह हम सब लोगों को अच्छी तरह से विदित है। जो अकाल क्षेत्र के मजदूर और किसान थे उन सब को काम दिया गया, उनके भरण–पोषण का इन्तजाम किया गया, उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई और उनके लिए अनाज वगैरह की व्यवस्था की गई। यह बहुत बड़े पैमाने की चीज़ है, इसको राजस्थान सरकार ने बड़ी अच्छी तरह अंजाम दिया है और अच्छी तरह से इन्तजाम किया है। अगर यह व्यवस्था ठीक नहीं होती तो जैसे हमने काफी सालों में देखा है कि थोड़ा सा, मामूली सा अकाल पड़ जाता है तो गांवों के लोग एक स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थानों में चले जाते हैं जहां वे अनाज, घास और बाकी की चीजों की व्यवस्था कर सकते हों। लेकिन इस वर्ष इस प्रकार की व्यवस्था सरकार ने की कि जहां पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर मवेशी हर साल चले जाते थे, कम वर्षा हो या ज्यादा वर्षा हो तब भी वे चले जाते हैं। लेकिन इस साल घास, नाज और पानी की व्यवस्था के कारण, जिस प्रकार पहले अकाल के समय में, थोड़े अकाल के समय में महसूस होता था, वैसा महसूस नहीं हुआ है। इस प्रकार के इन्तजाम को करने के लिए राजस्थान की जनता राजस्थान सरकार की आभारी है और महसूस करती है कि इस साल राजस्थान सरकार ने अकालग्रस्त क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी सेवा की है।

दूसरा निवेदन यह है कि अकाल के सम्बन्ध में जिस प्रकार से काम–काज की सरकार ने व्यवस्था की, सड़कें जगह जगह बनाईं, जगह जगह तालाबों की व्यवस्था की

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

ये सब काम पर्मानेन्ट नेचर के हैं इसलिए तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में जो सड़कें आती हैं उनको पूरा करना चाहिए। इसके साथ जो इमदाद दी है और जो तालाब जहां आवश्यक रूप से बनने चाहिए, जिनके लिए पंचायत समिति, जिला अकाल कमेटी और जिलाधीशों ने सुझाव दिये हैं, उनको पूरा करने की सरकार ने व्यवस्था की हो तो उससे वहां के लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले के अन्दर दो तहसीलों के अन्दर अकाल पड़ा—मांडल और आसींद इनके अन्दर सरकार की तरफ से कम से कम ८०-९० मील के करीब सड़कें बनी हैं। यह बहुत अच्छी चीज है। हम जो कोई भी योजनायें बनाते हैं, उनको पंचवर्षीय योजना में पूरा करने की कोशिश करते हैं, तब भी काम पूरा नहीं हो सके तो चौथी योजना में लेना चाहिए। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि इतना काम होने के बाद भी जो लोग शिकायत करते हैं, या बहुत से लोगों का कहना है कि राजनैतिक आधार पर मदद दी जाती है और दूसरे कारणों से दी जाती है; मगर जो माननीय सदस्य इस प्रकार की बातें करते हैं वे स्वयं इस बात को भूल जाते हैं कि किस तरह से इमदाद मिलती है। हमारे यहां जिन्सवारी होती है। वहां पटवारी और दूसरे लोग जिन्सवारी में शामिल नहीं रहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे यहां पर भी कई जगह जिन्सवारी नहीं हुई। क्योंकि इसमें रेवेन्यू ऑथरेरिटीज़ को कई तरह के रेकार्ड मेन्टेन करने पड़ते हैं इसलिये जान-बूझ कर इसमें गड़बड़ी करते हैं। लेकिन हमारा यह फर्ज़ है कि उनमें जिन्सवारी करावें। सरकार की यह कभी भी मंशा नहीं रहती कि जिस किसी को सहायता मिलनी चाहिये उसको न मिले। सरकार उसको सहायता देने से छोड़ना नहीं चाहती। इसलिये यह कहना कि किसी राजनैतिक कारणों से सरकार किसी को मदद नहीं देना चाहती, यह उचित नहीं है। जो इस प्रकार कहते हैं उनका इस प्रकार कहना नितान्त गलत है। मेरे यहां भी कई गांव रह गये जिनमें जिन्सवारी नहीं होने से जिन्सवारी में नहीं आ सके। लेकिन हम जानते हैं कि वहां के लोगों ने, पंचों ने और सरपंचों ने पटवारियों के साथ रह कर उनको सही परिस्थिति नहीं बताई। अगर वे उनको सही परिस्थिति बताते तो वे गांव भी उसमें शामिल हो सकते थे। मगर इन खामियों के कारण वहां की जिन्सवारी में गांव दर्ज नहीं हो सके और आठ जनों नुकसान दर्ज नहीं हो पाया और इसलिये वे गांव उस लाभ से वंचित रह गये। इन बातों को लेकर, लोग राजनैतिक रंग देकर राजनैतिक रंग मंच पर लाने की कोशिश करते हैं और कहते है कि सरकार की तरफ से भेद-भाव की नीति बर्ती जाती है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप स्वयं इस जिन्सवारी में पटवारी और तहसीलदार को साथ लेकर फिरें और उनको बतावें ताकि वे सही स्थिति सरकार के सामने रख सकें।

दूसरी सबसे बड़ी और अहम बात है वह समय पर पेमेंट मिलने की है। जितने भी काम पी० डब्ल्यू०डी०, इरिगेशन और रेवेन्यू

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

एजेन्सीज़ के जरिये हुए उनमें जो काम रेवेन्यू एजेन्सी के द्वारा कराये उनमें इस प्रकार की शिकायत बहुत कम मिलती है लेकिन जहां पर पी० डब्ल्यू० डी० और इर्रिगेशन से काम का सम्बन्ध है वहां पर लाखों आदमियों ने काम किया और ऐसी परिस्थिति में यह स्वभाविक ही है कि कभी कभी पेमेंट में देरी हो सकती है। इसके बारे में राज्य सरकार से निवेदन किया और जिस प्रकार से हमारी सरकारी मशीनरी घूमती है, जिस प्रकार से अपोइन्टमेंट वगैरह होते है उनको किस प्रकार से केरी आउट किया है उसके कारण कई जगह पेमेंट में देरी हो जाती है और बहुत से वेजेज अनपेड रह जाते हैं।

मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूँ कि हमारे स्टॉफ की कमी के कारण पेमेंट में देरी हुई और इस वजह से बहुत से लोगों को आठ आठ महिने हो गये, पेमेंट नहीं मिला और वे अनपेड है वेजेज चुकाये नहीं गये। इसका कारण यह था कि जब पेमेंट करने के लिये आते उसकी तो पहले सूचना तो नहीं मिलती थी कि फलां दिन पेमेंट के लिये आ रहे हैं इसलिये उस रोज जो मजदूर काम पर नहीं हाजिर होता था उसका पेमेन्ट अनपेड में रख दिया जाता था। अब तक वह पेमेन्ट नहीं हुआ है इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो पेमेंट आज आठ आठ महीनों से अनपेड पड़ा है उसको चुकाने का सरकार जल्दी प्रयत्न करें ताकि उन मज़दूरों को पैसा मिल जाए।

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

(१.४५ म० प०)

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन जिन क्षेत्रों में अकाल के समय, पी० डब्ल्यू० डी० और इर्रिगेशन के द्वारा काम हुआ है और जो काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, अधूरा पड़ा हुआ है, जहां सड़कें बनी मगर वहां पर मिट्टी डालनी रह गई या कहीं बजरी उस पर डाली नहीं गई हालांकि वह वहीं पर पड़ी है या कहीं १० मील में ६ मील का टुकड़ा बन गया, और ४ मील रह गई और कहीं १० मील सड़क बनने को थी वहां ६ मील बन गई और एक मील का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो ऐसे कामों को पूरा नहीं कराया जाता है तो वह १० मील पर जो खर्चा हुआ है वह सारा बेकार रहता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जिन कामों पर लाखों रुपये खर्च किये गये हैं उन लाखों रुपयों को वेस्ट होने से इन कामों को पूरा करके बचाया जावें।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : Point of order, Sir, their is no quorum in the House.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : No Minister.

(गण पूर्ति के पश्चात् पुनः)

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं निवेदन कर रहा था कि जिन जिन क्षेत्रों में और खास तौर से उन क्षेत्रों में जहां से मैं आया हूं, मैं अपने क्षेत्र की बात बतलाता हूं कि वहां जो सड़क आसींद से, दौलतगढ़ से होती हुई कानोड़ और बदनोर से रामगढ़ होती हुई रामपुरा या आसींद से गुलाबपुरा की तीन

Page No. 64

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

सड़कें ऐसी हैं जिन पर काम हुआ है और थोड़ा बहुत काम बाकी है और उसके कारण सारी सड़कें बेकार हो जाती हैं। अगर इन पर काम पूरा करा दिया जावेगा तो ये तीनों सड़कें काम की हो जावेगीं और इससे बड़ा लाभ होगा।

आप जानते हैं कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में हमारे बदनोर से ब्यावर और बदनोर से

(अश्रव्य)

ये तीन सड़कें ऐसी थीं जो तीसरी पंच वर्षीय योजना में थीं और उन पर भी सरकार ने काम कराया है लेकिन ये काम अधूरे पड़े हैं। ये आपकी योजना की सड़कें हैं। आपको वैसे ही बनानी तो पड़ेगी ही। इसलिये जो काम बाकी है अगर उसको पूरा करा दिया जावेगा तो इससे लोगों को काफी फायदा होगा और आपकी सड़कें भी पूरी हो जावेंगी और कमाई के साधन बढ़ेंगे।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा जो काम हुए उसके मुकाबले में इर्रिगेशन के कामों में बड़ी कमी रही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि सिंचाई विभाग को मेरे क्षेत्र से जो जो योजनाएं हमने बना कर भेजीं और जो सरकार द्वारा स्वीकृत हुई वे बहुत कम थीं, उसका तो हमें अफ़सोस है लेकिन उसके अन्दर भी इर्रिगेशन विभाग द्वारा सहयोग नहीं मिला। अकाल में सबसे बड़ा सहयोग और लोगों को सहायता तालाबों की होती है जो वर्षों तक काम आते हैं। अगर लोगों को पानी अकाल के समय मुहैया हो जावे तो बहुत राहत मिलती है और हमारे यहां हर दो या तीन साल के बाद अकाल पड़ता है और ऐसे काम करने से लोगों को काफी सहायता मिलती है। मगर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इर्रिगेशन विभाग ने इसमें किसी प्रकार का कोई खास सहयोग नहीं दिया। एक तो टीलोली का तालाब जो पिछले साल सैंक्शन हुआ था और फेमिन डिपार्टमेंट काम करना चाहता था लेकिन उस काम को इर्रिगेशन विभाग द्वारा ठेके पर दे दिया गया और जिससे वह काम लिमिटेड मज़दूर लगा कर कराया गया और उस वजह से वह पूरा नहीं हुआ। यदि यही फेमिन विभाग की ओर से होता तो सैकड़ों मजदूर लग जाते और काम पूरा हो जाता। इसी तरह से भोजपुरे का तालाब है उसमें कुछ काम हुआ है, लेकिन सिंचाई विभाग से पूरा कोऑपरेशन नहीं मिलने से वह भी अधूरा पड़ा है। अगर पूरा नहीं कराया गया तो दस–पन्द्रह हज़ार रुपये जो भी लगे हैं वे सब खतम हो जावेंगे और वह तालाब भी वाश ऑउट हो जावेगा। इसलिये अधूरा काम पड़ा हुआ है उसको पूरा कराया जाना चाहिये वर्ना लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि सरकार का इतना पैसा लगा और वह पैसा कुछ भी काम में नहीं आया। अगर हम पैसा खर्च करके बनावें और उससे सुविधा न मिले या उसका उपयोग न हो तो जितना पैसा लगाया जाता है वह भी बिल्कुल बेकार सा रहता है।

इसी तरह से मैं एक और निवेदन करूं कि पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा जो काम कराया गया, उसमें जिस प्रकार से गड़बड़ियां रहीं, मेरे क्षेत्र में एक दो ओवरशियरों को एडीशनल कलेक्टर को साथ लेजा कर रैड हैंडेड मैंने पकड़वाया पर अभी तक उनके

Page No. 65

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है केवल सस्पेन्ड कर रखा है; चार–छः महीने हो गये पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी तरह असिस्टेन्ट इन्जीनियर बदनोर में रहता था, उसके खिलाफ डेफिनिट सबूत दिया, अपने आंकड़ों से वह जाल में फंस गया; पर अभी तक उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सरकार ने काफी प्रयत्न करके पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा सहायता देने की कोशिश की पर पी. डब्ल्यू. डी. किस प्रकार काम करता है, यह किसी से छिपा नहीं है, ऐसे लोगों के हाथों में मज़दूरों के पेमेंट का रुपया मिल जाता है तो किस प्रकार काम किया होगा यह भली-भांति सबको मालूम है। पर ऐसे आदमियों को जिनके खिलाफ डेफिनिट चार्जेज़ होते हुए भी, जिन्हें एडीशनल कलेक्टर ने स्पोट पर पकड़ लिया, उसके खिलाफ अभी तक कार्यवाही नहीं करना इससे और लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिये मैं उपमन्त्राणी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह के भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाय और जिन लोगों को पेमेन्ट नहीं किया गया है उनको जल्दी से जल्दी पेमेंट किया जाय।

मैं एक और बात निवेदन करना चाहता हूँ, इस साल भी हमारे क्षेत्र में वर्षा की कमी रही है। तीसरी, वर्षा नहीं होने से मक्का और दूसरी किराणे की फसलें खराब हो गई हैं। इसलिये मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, इस साल भी जिस प्रकार सक्रियता से पिछले साल सहयोग दिया उसी प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी जहां जहां जो जो कमी है, और जिसे आप स्वयं महसूस करें, यह नहीं कि किसी के कहने से या और किसी वजह से, पर जहां आपको उचित जचे कि यहां आवश्यक है लोगों को मदद करना वहां आपको इमदाद करनी चाहिये। यह कष्ट प्रकृति के द्वारा आया है उसको दूर करने में आपको ज्यादा से ज्यादा सहयोग देना चाहिये।

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, इस प्रस्तुत मांग पर मेरा एक कटौती प्रस्ताव है। सभापति महोदय, पिछले साल जैसा कि सबको मालूम है, हमारे राजस्थान के करीब आधे हिस्से में भयंकर कहतसाली थी। राजस्थान सरकार ने बड़े धैर्य और साहस से इसका मुकाबला किया। पीड़ित जनता के लिये काफी राहत के कार्य सरकार ने किये। इसी तरह चूंकि हमारा राजस्थान एक बहुत लम्बा चौड़ा क्षेत्र है, हमारे यहां सिंचाई के साधन बहुत कम हैं। वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कई जगह वर्षा की कमी रहती है, मौके पर वर्षा नहीं होने से फसलों को बहुत नुकसान पहुँचता है और प्रति वर्ष राजस्थान में कहीं न कहीं अकाल पड़ता ही रहता है। वैसे पंच वर्षीय योजनाओं के द्वारा राज्य सरकार का ध्यान रहता है कि अधिक अन्न उपजाया जाय, पर हमारे राज्य की एक विशेष स्थिति है कि हमारे यहां अकाल पड़ते ही रहते हैं, ये अकाल हमारे यहां नहीं पड़ें और पड़ें तो हम उनका डट कर मुकाबला कर सकें, इसके लिये यदि राज्य सरकार कोई सक्षम योजना निकालें तो वह बड़ी लाभप्रद

(श्री भीमसेन)

रहेगी । चूरू, रतनगढ़, बीकानेर आदि हमारे इलाकों में अकाल पड़ता ही रहता है, वहां के लिये यदि कोई समुचित योजना बनाई जाय तो घग्घर का पानी काफी है । घग्घर की बाढ़ से अक्सर बड़ा नुकसान होता है घग्घर का पानी हर साल बढ़ता ही जा रहा है । जहां ५६ की बाढ़ में।चार हजार से ६ हजार क्यूसेक्स पानी आया था वहां दूसरी बाढ़ में घग्घर में १० हजार क्यूसेक्स पानी आया, तीसरी बाढ़ में १५ हजार क्यूसेक्स पानी आया, पिछले साल १८ हजार से २० हजार क्यूसेक्स पानी आया पर इस साल ३० हजार क्यूसेक्स के बराबर पानी घग्घर में आया जो राजस्थान की नहर योजना बन रही है उससे दुगनी मात्रा में पानी है । इतना पानी जिस राज्य को मिल सके, उसका समुचित उपयोग होना चाहिये । अगर राजस्थान राज्य इसका समुचित उपयोग करें तो राजस्थान के बहुत से हिस्सों में जो अकाल की बातचीत होती है वह काल्पनिक चीज हो सकती है । इसलिये राजस्थान सरकार को इस ३० हजार क्यूसेक्स पानी का किस प्रकार से समुचित उपयोग हो सके इसके लिये एक योजना बनानी चाहिये । राजस्थान में जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ता रहता है उन क्षेत्रों के लिये एक स्थायी स्टॉफ नियुक्त किया जाना चाहिये जिसकी जिम्मेदारी हो, कि।उन क्षेत्रों के लिये इस प्रकार की योजनाएं बनायें कि वह घग्घर की बाढ़ का पानी वहां पहुँचा सके और इस तरह से उन क्षेत्रों को सदा के लिये अकाल से मुक्त कर सकें । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस कार्य के लिये सरकार एक पर्मानेन्ट स्टॉफ की नियुक्ति करे ।

राज्य सरकार बार बार कहती है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में ट्यूब वेल्स योजना शुरू की है पर इस योजना की प्रगति बड़ी धीमी है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को बड़ी तेजी से कदम उठाने चाहियें ताकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां पीने के पानी की समस्या रहती है, अकाल पड़ता रहता है, वहां पीने का पानी मुहैया होगा तो अकाल के समय चारे का इन्तजाम मवेशियों के लिये हो सकेगा । वहां पानी की समुचित व्यवस्था होने से मवेशियों के लिये कैम्प्स अकाल के समय में खोले जा सकेंगे जिससे लोगों को और मवेशियों को अकाल के समय में परेशानी होती है उस परेशानी से राहत मिल सकेगी । इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का एक्सपेरिमेंटल ट्यूब वेल ऑर्गेनाइजेशन कार्य कर रहा है उसको अधिक मात्रा में बढ़ाना चाहिये और इस काम को तेजी से चलाना चाहिये ताकि जगह जगह ट्यूब वेल्स होने से लोगों को राहत मिल सके, वहां अकाल के समय में पशुओं के लिये कैम्प्स खोले जा सकें ।

पिछले अकाल में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान से बाहर से काफी तादाद में चारा राजस्थान में लाया गया और इसके लिये सरकार को काफी रुपया खर्च करना पड़ा । इस साल राजस्थान के काफी हिस्सों में खरीफ की बहुत अच्छी फसल है, राज्य सरकार को चाहिये कि उन स्थानों से चारा लेकर फोडर बैंक्स कायम करे ताकि अकाल के मौकों पर सरकार को राजस्थान के बाहर से चारा न मंगवाना पड़े, उन मौकों पर इन फोडर बैंक्स से

(श्री भीमसेन)

ही काम चला सकें। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां अच्छी तादाद में फसल हुई है वहां घास कटाने की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये और घास इकट्ठा करना चाहिये जिससे कि अकाल के समय में आसानी से समुचित व्यवस्था हो सके।

इसके अलावा सरकार को अकाल की समस्या का मुकाबला करने के लिये सक्रिय कदम उठाने चाहिये। इज़राइल देश में पानी की बहुत कमी है, पर इज़राइल देश के लोगों ने अकाल की समस्या का समाधान करने के लिये बड़े प्रभावशील कदम उठाये हैं, जो थोड़ा पानी उनके पास था, उसका इस तरह से योजना बना कर समुचित उपयोग किया है कि उससे इतनी बड़ी तादाद में फ्रूट्स पदा करते हैं कि उनसे वर्ल्ड मार्केट को कम्पीट कर रहे हैं। नदी के पानी को ऊंचा उठा कर उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उस पानी का समुचित उपयोग किया है। जब इज़राइल में थोड़े से पानी का इस प्रकार उपयोग किया जा सकता है तो घग्घर के पानी का हम उपयोग नहीं कर सकें, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को तत्परता से कदम उठाने चाहिये और इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

(२ म० प०)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल जहां जहां अकाल क्षेत्र में जो पिछले साल काम हुए हैं सड़कों के और कहीं कहीं ड्रम्स का काम हुआ है तो राज्य सरकार के जो काम अधूरे पड़े हैं उनकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए अन्यथा जो खर्च किया गया है उसका कोई उपयोग नहीं होगा। बीकानेर जिले में कई सड़कों का काम हाथ में लिये लेकिन वे सब अधूरे पड़े हुए हैं। राज्य सरकार के थोड़े से खर्चे से सड़कें पूरी की जा सकती हैं तो इससे जनता को लाभ होगा और सरकार की धन-राशि जो खर्च हुई है उसका उपयोग हो सकेगा। इसके लिए सरकार को चाहिए कि जो सड़कें बीकानेर जिले में अधूरी पड़ी है, जो अकाल के दौरान में शुरू की गई हैं, उन्हें पूरा किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ६४ में मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है। माननीय सभापति महोदय, दो सालों से हमारे बांसवाड़ा जिले में और पहाड़ी क्षेत्र में जो बांसवाड़ा और डूंगरपूर में और थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ और थोड़ा उदयपुर में आ जाता है या तो पानी ज्यादा गिरने से मक्का वगैरह की फसल गल गई और गल कर खत्म हो गई या फिर पानी कम गिरने से फसल बिल्कुल नष्ट हो गई। उसी तरह से गत वर्ष जानवरों ने मक्की की फसल बिल्कुल नष्ट कर दी। कपास और मूंगफली की फसल भी, जो शायद सरकार की अंधापन की वजह से मालूम नहीं, ऐसे कीटाणु लगने से नष्ट हो गई। उस समय भी राज्य सरकार का ध्यान हमने आकर्षित किया था फिर भी उसमें कुछ बात का पता सरकार को नहीं चल पाया।

(श्री हीराभाई)

गत वर्ष खरीफ की तमाम फसलों पर लगातार डेढ़ महीने तक पानी गिर गया और फिर पानी बंद हो जाते ही फसल सूख गई। और रबी की फसल का सवाल नहीं क्योंकि पानी गिरा ही नहीं। उसकी ओर भी हमने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया लेकिन उन कागजों को भी सरकार ने रद्दी कागजों की टोकरी में फेंक दिया होगा। उसी ढंग से लगातार यह एरिया तीन साल से अभावग्रस्त एरिया बन चुका था बांसवाड़ा में और वहां पर कम से कम वहां के ६० परसेंट लोग इस अकाल से पीड़ित हुए और पूरी तरह से शिकार हुए। जब हम लोगों ने मांग की कि अकाल पड़ गया है और तमाम रबी की फसल खराब हो गई और खरीफ की फसल सूख गई है इसलिए यहां के लिए जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें ताकि यहां के लोग जीवित रह सकें वरना यहां के लोगों का बुरा हाल होगा। लेकिन हमारी सरकार ने तो कानों में रूई लगाकर रखी है, हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती ही नहीं। या तो दुनियां में चोर का नाम चलता है या फिर अच्छे काम करने वाले का चलता हैं। दोनों का नाम चलता है, या तो बेईमानों, बदमाशों और ऐसे लुच्चे लोगों का नाम लोग बार बार लेते हैं। इसी तरह से सरकार को ओछे नाम से बोलें तो भी उनको बुरा लगे और हाथ जोड़कर निवेदन करें तो भी सुनवाई न हो। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जहां पेट के कारण राजनीति का प्रयोग किया जाय, वह सरकार नहीं कहलाती, वह हमेशा डकैत लोगों का ग्रुप बन जाती है, नहीं तो हमारे यहां पर तमाम सरपंचों ने अपना प्रस्ताव बनाकर सरकार को दिया कि हमारे यहां पर अकाल हो चुका है। अगर आप व्यवस्था नहीं करेंगे तो ठीक नहीं,तो हमइस्तीफा देने को तैयार हैं। तब जाकर यहां से हमारे एक माननीय सदस्य या कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते उन्होंने जाकर तमाम सरपंचों और कलेक्टर को उन्होंने परहेज किया कि बिना हमारी अनुमति के अकाल एरिया डिक्लेयर किया तो राजस्थान में कलेक्टर रहना मुश्किल हो जायगा। इस तरह की परहेज की वजह से वहां के लोगों में कोई रिलीफ का काम नहीं हुआ। यह सरकार तो कुर्सी से चिपक बैठी है, यह कभी उसको छोड़ने वाली नहीं है।

तो फिर निवेदन करता हूं कि क्यों जनता को परेशान किया जाता है ? इनकी पार्टीबाजी की वजह से लोगों की हानि होती है, लोग भूखों मरते हैं। हमारे कुशलगढ़ में लोगों ने अपने छोरे छोरी बेच दिये, कई मध्यप्रदेश में चले गए, खाने को अनाज नहीं मिला। सरकार के पीछे पड़े। काश्तकारों ने नौ-तोड़े जमीन प्राप्त करने के वास्ते अर्जी पेश की किन्तु मयाद बहार मानकर खारिज कर दी। अपने पोषण के लिए काश्त करनी शुरू की, आज उनकी फसलें नीलाम की जा रही हैं। अगर सरकार व्यवस्था करती तो आज हमारे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता और वापिस आकर खेती पर अनधिकृत कब्जा करने का मौका नहीं मिलता। सरकार ने व्यवस्था नहीं की। अभी भी लोग बेघर होने वाले हैं क्योंकि फसलें नीलाम हो रही हैं।

जोशीजी ने षड़यंत्र रचा कि जो सरपंच सफेद टोपी लगायेगा तो उसके एरिया में

(श्री हीराभाई)

रिलीफ का काम होगा । हमने जाकर कलेक्टर से कहा । उन्होंने कहा कि यह मामला हमारे वश के बाहर है, भाई हम क्या करें, हम सरकार के आधीन हैं, उनके मुहताज हैं, इसलिए हमसे कुछ नहीं होता । इधर आकर हम कहें तो कहेंगे कि कलेक्टर की रिपोर्ट गलत है इसलिये आप उनसे जाकर कहो । उधर कलेक्टर पर अंकुश कर दिया, तहसीलदार और विकास अधिकारी पर अंकुश कर दिया । श्री जोशी जी और वहां का कलेक्टर विकास अधिकारी को साथ लेकर गया और उनसे कहा कि यदि तुम कांग्रेस का फार्म भरदो तब तो रिलीफ का काम खोलेंगे और नहीं तो कुछ नहीं होगा । यह हमारी डेमोक्रेसी है । हम साफ कहने के लिए तैयार हैं कि उसने षडयंत्र किया और उनकी कूटनीति के कारण लोगों के पेट पर लात मारी जाय । लोगों ने वहां छोरे-छोरी पादरी लोगों को बेच दिए हैं । तो इस तरह से यह राजनीतिक षडयंत्र चला । मैं समझता हूं कि जनतंत्र के साथ डाका डालने वाली यह सरकार है इसमें सन्देह नहीं क्योंकि आज तक एक लाल पाई भी सरकार ने वहां खर्च नहीं की । कलेक्टर से हमने कहा कि मौके पर जाकर तो देख लो, वहां पर अनाज नहीं । हमसे कुछ दिन पहले कहा कि २० हजार रुपये आ जायेंगे लेकिन एक लाल पाई खर्चा किया हो तो कलेक्टर से पूछ लीजिए, लेकिन एक्शन लिया नहीं । एक्शन लें कैसे ? आपस वालों का ही षडयन्त्र था । एक्शन लेने जायेंगे तो अपना जूता अपने ही सिर पर लगा देंगे । वे तो सरवेन्ट हैं सरकार के । मेरे जैसा होगा तब तो अधिकारी होगा तब भी जूता मारूंगा । पर उन लोगों ने कुछ नहीं किया । क्या करेंगे अधिकारी होकर उनका । वे तो कहेंगे तू भी रख, मैं भी रक्खूं । इस तरह से विकास के कामों में तमाम रोक लगा दी सही और सच्चे आदमियों को काम करने पर । एक सरपंच ने १४–१५ दिन तक सफेद टोपियां लगा लीं । किन्तु बाद में सरपन्चों को कहा कि तुम जबर्दस्ती कांग्रेसी बनाना चाहते हो तो हम बलिदान देने को भी तैयार हैं, पर वे अच्छा काम तो करें, परन्तु कांग्रेस की नीति पक्षपात की है, इसलिए हम जिस संस्था की नीति अच्छी है वह नहीं छोड़ेंगे हम ! तब उन सरपंचों के खिलाफ कई तरह के खयानत के तथा और २ तरह के, किसी में क्या गलती निकाली किसी में क्या केस निकाले पर दलाली कायम कर दी । राजा लोगों की गद्दी है । हमारे तो कुशलगढ़ का राजा कांग्रेस का पक्का दलाल है । उस राजा ने वहां जाकर कहा अगर सरपंच कांग्रेसी बन जावें और मेरे पास आवें तो सरपंचों को कलेक्टर और मुखाड़िया साहब से कह कर बरी करा दूंगा । तुम कांग्रेसी बन जाओ । उनको जबर्दस्ती इस तरह से कांग्रेसी बनाया ।

एक सोश्यलिस्ट सरपंच थे । वे कांग्रेसी बन गये तो केस ढीले छोड़ दिये । फिर सोश्यलिस्ट हो गये तो कोशिश कर रहे हैं कि इनको सजा करा दें । तो इस तरह की पार्टी बाजी बनाकर जनतंत्र की हत्या नहीं करनी चाहिये ।

अगर हत्या जनतंत्र की करनी है तो खुले आम डकैती डिक्लेअर करना चाहिये, सामने मैदान में आ जावें । हम भी हाथ दिखाने को तैयार हैं । पर पर यह क्या; एक

(श्री हीराभाई)

तरफ भ्रष्टाचार करें, लोगों को भूखों मारें और दूसरी तरफ कहें कि कांग्रेसी हो जाओ तो बरी, नहीं तो सजा भुगतो। ऐसी सरकार जनता का क्या भला कर सकती है। अकाल के गीत गाते रहेंगे, कौन सुनेगा ? इस तरह से वोट लेना, सरकार बनाना हमारी हिन्दुस्तान की राजनीति और नीति के खिलाफ है।

श्री सभापति : यह तो आप अविश्वास के प्रस्ताव के वक्त कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी तो अकाल के बारे में कहें।

श्री हीराभाई : लोगों को भूखों मारा जावे जानबूझ कर अकाल के समय भी तो इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है, पार्टी बन्दी इसमें भी करें तो यह अनीति है। तीन साल से अकाल पड़ता रहा, पर अनाज की व्यवस्था नहीं।

कांग्रेस के नेता बने हैं कुशलगढ़ दरबार। वहां गढ़ में अनाज देने की दूकान खुलवा दी। वहां पर भी अनाज लेना है तो कांग्रेसी बनो। नहीं तो नहीं मिले। आप लोग कांच में अपनी शक्लें देखो। अब लोग जो कांग्रेस से नफरत करते हैं, वहां नहीं जावेंगे तो भूखों मर जावेंगे और आखिर चोरियां करेंगे। वैसे हो रख छोड़े हैं बेईमान थानेदार पुलिस वाले। तो इस अकाल में भी वे स्वार्थ साधन कर रहे हैं। अकाल सहायता और अकाल की आग बुझाने के लिए भी आज की हुकूमत का यह रवैया है। अगर सभापति महोदय, मैं गलत कहता होऊं तो सरकार इसकी जांच करा ले कि गये साल और इस साल में एक भी आने पाई का राहत–कार्य कुशलगढ़ में नहीं कराया।

जहां कुशलगढ़ में काफी चावल पकते थे, गये साल कितनी पका और मक्का कितना पका उसके आंकड़े देख लें। और गये साल जब कि अकाल पड़ा कितना उत्पादन हुआ ? जांच करा लें यही नहीं हमारी विरोधी पार्टी के लोगों से भी पूछ लो, उनसे भी जांच करा लो। सरकारी अधिकारियों को, कलेक्टर वगैरह को आप जांच के लिए कहेंगे तो उनका तो विश्वास हम नहीं करते। वे आज यहां बैठकर भले ही नहीं कहें अपनी पार्टी के डर से। पर प्राइवेट में उनको आप पूछ लें, वे सच सच बता देंगे। गढ़ी इलाके में कितनी साल का उत्पादन हुआ। वहां हर साल ज्यादा से ज्यादा होता है। पर इस साल एक मण साल पैदा नहीं हुई। उसमें से अधिक से अधिक दस बीस सेर से ज्यादा नहीं पकेगी। बागीडोरा की यही हालत है।

तो यह हालत है। आप कहें कि हम तो देते हैं। अधिकारी नहीं करते तो कान पकड़ कर बाहर निकाल दो ऐसों को। सीधा रस्ता हो सकता है सरकार के लिए। पर हम हाथ भी जोड़ें, फिर भी नहीं करो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): सब सच्ची बात है।

श्री हीराभाई : फसलें लोगों की खराब हो गई। जो थोड़े बहुत इलाके में हुई है तो वह भी इस पूंजीपति सरकार के लोगों

(श्री हीराभाई)

को देना है। ये पूंजीपति साहूकार सरकारी एजेन्ट बन चुके हैं। १८) रु. मन पर लोगों को उधार दी है। सरकार ने इन्हीं पूंजीपतियों के दलालों के हक में भाव तय किये हैं। एक मन उधार लेंगे तो ६०) रु० हो जावेगा। तो मैं बताता हूं कि जो थोड़ा वहुत हुआ वह भी इन दलालों के हाथ जावेगा, सारे लोग अकाल में जाने वाले हैं अगर सरकार उनकी मदद इस साल भी नहीं कर पाई तो। आप चाहें तो इसकी जांच करा लें, फिर तो आपकी इच्छा पर है। हमारे से जितनी हिम्मत होगी करेंगे, जब जनता में जागृति आवेगी तब हम आपको भी बता कर छोड़ेंगे।

फिर मेरा दूसरा सुझाव है। बांसवाड़ा जिले में विकास के जितने रुके हुए काम हैं, सड़कों के काम हैं वे हाथ में लीजिये। सड़कों के बारे में पहले कहा कि एमर्जेन्सी है। पर मैं कहता हूँ गरीब लोगों को राहत देने के लिये तो एमर्जेन्सी है, पर सरकारी भवनों के लिये लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं वहां एमर्जेन्सी नहीं है। पुलिस के विभाग के भवन बन रहे हैं, रेस्ट हाउस बनता है। वहां पांच पांच लाख रुपया खर्च किया जाता है। वहां पर एमर्जेन्सी लागू नहीं है, किन्तु बड़े काम नहीं लिये जावेंगे। तालाबों के लिए कई बार कहा। पांच साल से सर्वे हो रहे हैं। कांग्रेसी लोग चुनाव के समय तो तालाबों का सर्वे शुरु कर देते हैं और फिर चुनाव होते ही बन्द कर देते हैं। गये साल पंचायतों के चुनाव होने वाले थे तो सर्वे शुरु की और चुनाव आगे बढ़ गये तो उनको छोड़ दिया। परसों से वापिस इनको शुरू किया है। और अगर ये चुनाव भी आप आगे बढ़ायेंगे तो सर्वे बन्द हो जायगा, उसको वहां से हटा देंगे। नाम किसी का नहीं लूंगा, कई बार पूछते हैं कि आप कौन हैं। मैं कहता हूं कि मैं समाजवादी हूं। हमें भी धोखा होता है कि समाजवाद और कांग्रेस में बहुत फर्क है। अगर नाम उनका ले लूं तो ये बेचारे को निकाल देंगे।

श्री सभापति : रहने ही दो आप।

श्री हीराभाई : उस ढंग से इस प्रकार की भावना रख कर काम मत करो। राजनीति में किसी प्रकार परेशान न करिये। लोगों की मांग के अनुसार वहां काम कराइये, वहां जाकर जांच कराइये और उनके हित के काम शुरू कर दें और फिर वोट लें तो लें। लेकिन काम नहीं करावें और इस प्रकार शुरु करें काम और फिर बन्द करें, इससे तो वहां की जनता को बागी बनाना है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

गये साल वहां की जनता के साथ एक कांड किया। इस साल की फसल भी खराब थी। जाकर देखना है तो देखें, वह तो फिर कट जावेगी। आप के गिरदावर लोग तो कभी रिपोर्ट नहीं देंगे और देंगे तो सरकार नहीं देने देगी और डिक्लेयर नहीं करेगी।

जितने तालाब सर्वे के लिये जाने हैं लिये जायं, नहीं तो भयंकर आगे अकाल होगा। अकाल है और फिर अकाल पड़ेगा। सर कर व्यवस्था करनी चाहिये।

(श्री हीराभाई)

दूसरी बात यह है कि जहां पांच हज़ार लोग पीड़ित होते हैं वहां सिर्फ पांच हजार रुपया मंजूर करते हैं किसी काम के लिए, तो क्या आप बारह महीने में एक दिन ही पेट भरना चाहते हैं। यह गलत बात है। वहां का एरिया कृषि का है। व आस-पास उद्योग और कारखाने हैं। कृषि के सिवाय और कोई वास्ता नहीं। राहत कार्य कब शुरू करेंगे ? मई-जून में, पानी जब गिरने लगेगा ? जनवरी से जब तक आप व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक अकाल की समस्या हल नहीं हो सकती। पर अकाल का मुकाबला करना तो तहसील स्तर या पंचायत समिति स्तर पर यह ऑथोरिटी दी जाय। पांच सात आदमियों की एक कमेटी, जिसमें एम. पी. एम एल ए, प्रधान, कलेक्टर आदि हां, मुकरर की जाय, यह नहीं कि हर साल अकाल आगया और कमेटी मुकर्रर करेंगे. वही कमेटी हर साल के लिए रिपोर्ट देती रहेगी और लोगों का पेट भी भरती रहेगी।

जितनी सरकार ने लापरवाही बरती है उसका हमेशा हम विरोध करते रहे हैं और आयन्दा के लिए सरकार ने सतर्कता नहीं बरती तो लोग अकाल के शिकार होकर मरेंगे।

श्री सभापति : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय सभापतिजी, इस मांग संख्या २६ पर मैंने चार कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। पहले प्रस्ताव में मैंने यह कहा है कि सरकार ने अकाल क्षेत्र घोषित करने में पक्षपात पूर्ण नीति अपनाई है। दूसरे में जिन गांवों ने अकाल क्षेत्र में होने वाले काम के लिए मजदूर लगाये थे उनको जो रेट्स दी गई थी उनमें भी पक्षपात किया गया। तीसरे प्रस्ताव में बताया है कि जो वहां पर मजदूर काम करते थे, फेमीन रिलीफ एक्ट के अनुसार जो सुविधायें उनको मिलनी चाहिये थीं वे उनको सरकार ने उपलब्ध नहीं कीं। चौथा मेरा कटौती प्रस्ताव है, वह यह है कि जो लोग उस काम पर लगाये गये थे उन लोगों का राजनैतिक उपयोग किया गया।

ये चारों प्रस्ताव मैंने इस मांग के बारे में पेश किये हैं। पहले प्रस्ताव के बारे में जैसा कि अभी कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने आपके द्वारा, माननीय सभापति, इस सदन के सामने यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और उसके आस पास का एरिया था जहां अकाल पड़ा उसको सरकार ने अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया। उसी तरह से माननीय सभापतिजी, इसी हाउस में पहले भी बहस हुई थी उस समय भी कहा था और आगे भी कहना चाहता हूं कि मैं भीलवाड़ा जिले में अकाल की कमेटी है उसका सदस्य हूं, उस कमेटी में भी कहा कि बनेड़ा तहसील, शाहपुरा तहसील और कोटड़ी तहसील के गांव जो अकाल से पीड़ित हैं उनकी जो रिपोर्ट रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ने दी वह गलत रिपोर्ट कलेक्टर और एस. डी. ओ. के पास पहुंची और उसी मीटिंग में यह तय हुआ कि इसका रीचैकिंग होना चाहिये। और उसके बाद यह साबित हो जाय कि इनको जिन्स

Page No. 73

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

गिरदावरी में अकाल क्षेत्र घोषित करने की नौबत आयी तो किया जाना चाहिये। माननीय सभापतिजी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसी ने भी रीचेकिंग की कोशिश नहीं की और कम से कम उनमें से अधिक से अधिक गांव ऐसे है कि जिनमें चार परसेंट भी पैदावार नहीं हुई। उन लोगों को अकाल पीडित घोषित नहीं किया और कोई रिलीफ का काम नहीं चलाया। यही कारण है कि वहां पर रहने वाले लोग हैं उन्होंने अपनी उदरपूर्ति के लिए सेठों का सहारा लिया। मुझे शर्म के साथ इस असेम्बली में कहना पड़ेगा, मुझे तो महसूस होती है, सरकार चाहे शर्म महसूस करे या न करे। ऐसे ऐसे एक एक किसान के रुक्के लिखे हुए हैं, मेरे पास एविडेन्स मौजूद हैं, किस प्रकार एक किसान ने रुक्का लिखा कि एक मन अनाज खाने के लिए देंगे, मक्की, जौ या गेहूं, उसके बदले एक मन कपास रिटर्न करूंगा। इस प्रकार के कारनामे जिस स्टेट में हों वह स्टेट अपने को वेलफेयर स्टेट कहने का क्या हक रख सकती है, थोथा दावा है। जिस स्टेट ने साहूकारी कानून बनाया लेकिन उसको ताक में उठा कर रख दिया, उसको लागू नहीं करना चाहतो इसलिये कि नवम्बर के चुनाव आरहे हैं पंचायतों के ये निकल जायं जिससे उन पर कानून का असर न पड़े। १५) रु० मन की मक्का के बदले में ४०) रु० मन का कपास दिया जावेगा। इस प्रकार का अत्याचार इस स्टेट में इसी कारण से होता है कि कानून बनाने के बाद भी सरकार उसको लागू नहीं करती और किसानों पर इस प्रकार के अत्याचार चलने देती है। यदि वहां पर समय पर सरकार की ओर से रिलीफ के कार्य चलाये जाते तो कोई ऐतराज नहीं होता और जो लोग भूखे थे, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब थी उनको उन बनियों का शिकार होने से बचाया जा सकता था।

दूसरा कटौती प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया उसमें कहा है कि जो मजदूर उस काम को करने के लिए एम्प्लोय किये गये है, राजस्थान के चाहे किसी इलाके में वे हों, चाहे वे बाडमेर में हों, चाहे बीकानेर में हों, चाहे जोधपुर के इलाके में हों उनकी रेट्स समान होनी चाहिये, उसमें फर्क नहीं होना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, इन रेट्स के बारे में इसी सदन में काफी चर्चायें हुई हैं, मिनिमम वेजेज एक्ट के आधार पर १.४५ पैसे रोज दिये जाने चाहिये थे, उनको दूर रखिये लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से भी १ रु० १२ नये पैसे देने चाहिये थे वे भी बहुत सी जगह नहीं दिये गये और ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर तीन वर्ष के बच्चे को भी ॥ रु० रोज के हिसाब से इस सरकार ने पे किया है और इसका कारण मैं बताना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में एक जगह अकाल की स्थिति इन्होंने डिक्लेयर की और जब तक भीलवाड़ा में चुनाव तिथि घोषित नहीं हुई, चुनाव की घोषणा नहीं हुई तक तक वे पहुंचे ही नहीं। इन्हीं गांवों में जहां ४॥ महीने में १ लाख २० हजार रुपये की मंजूरी दी जो चुनाव की घोषणा से पहले के दिनों में थी। फिर उसके चुनाव का निश्चय हो गया इसलिए वहां पर चुनाव होने का एक महीना था उससे १५ दिन पहले वहां पर कुल डेढ़ महीने में इसी सरकार ने उस क्षेत्र में चुनाव जीतने की दृष्टि से पांच लाख से बढ़ा कर

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

उसको सात लाख रुपया कर दिया और आज जो यह डिमान्ड आयी है इसी तरह के कामों पर एक्सेस खर्च करने से आयी है न कि मजदूरों की और न ही कामों की संख्या बढ़ी है। यह एक्सेस दिया गया है। इसका सुबूत स्वयं मंत्री महोदय से कहलवाना चाहूँगा कि क्या यह सही नहीं है कि हमारे भीलवाडा जिले के आसींद क्षेत्र में काम करने वाले आपके एक क्लर्क ने मजदूरों की झूंठी लिस्ट बनाकर नाजायज ढंग से रुपया ड्रा करके जबकि उन लोगों का पेमेंन्ट हो चुका था पहले और फिर उनको एक गांव में जाकर पेमेंन्ट करने की कार्यवाही की, उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ? क्या आपने उसको जेल में डाला जिसने जाली लिस्ट मजदूरों की बना कर पेमेन्ट करने के लिए ऐसा किया ? मुख्य मंत्री उस क्षेत्र में गये चुनावों पर असर डालने के लिए। जिस प्रकार कैरों के लिए आयोग ने कहा कि एक डाक्टर को साथ लेकर गये, उसी माफिक मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव के समय मुख्य मंत्री गये वहां पर एक डॉक्टर ही उनके साथ नहीं, विकास अधिकारी, कलेक्टर, इन्जीनियर सबको साथ लेकर गये और जितने रिलीफ कार्य चल रहे थे उनमें ज्यादा पेमेन्ट कराया इसलिए कि वोट मिले और यह सही सबूत है कि उस सारे जिले में यही इलाका था कि वहां पर चुनावों में सबसे ज्यादा वोट मिले। यह ज्वलन्त सबूत है कि ४।। महीने में जहां १ लाख २० हजार रुपया नहीं दिया वहां पर १।। महीने में ७ लाख रुपया दिया गया। मंत्री महोदय इसका

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरफ ३।। रु० रोज मजदूरों को मिले और बीकानेर में दूसरी तरफ १ रु० १२ पैसे मिले यह हमारे प्रान्त में एक ही मजदूर के साथ इस प्रकार का भेद भाव किया गया। पत्थर तोड़ने की अधिक से अधिक रेट ३।।) रुपया है। जो मजदूर पत्थर तोडने का काम करते हैं, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आसींद और मांडल में ३।।) रुपये रोज की रेट कितने मजदूरों को दी और कितने पत्थर तोड़े और जांच कराना चाहूँगा कि इस सदन के तीन आदमियों को वहां भेजा जाय और उसकी जांच की जाय जिनको ३।।) रु० डेली पेमेन्ट हुआ, उन्होंने वहां पर पत्थर तोडने का काम किया या नहीं, यह वह देखें। इसकी जांच आवश्यक है वरना मेरा यह चार्ज है कि मजदूरों के वोट लेने के लिए उनको एक्सेस पेमेन्ट किया गया।

तीसरा मेरा प्रस्ताव है उसमें मैंने कहा है कि मेन्युअल के माफिक मजदूरों को सुविधायें देनी चाहिये। सरकार ने उनको वे सुविधायें नहीं दीं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उन सुविधाओं को देने के लिए यह कटिबद्ध थी या नहीं। जो हालत वहां है वह मैं कहना चाहता हूं। मेन्युअल के माफिक उनको उन कामों के लिए एम्प्लॉय किया है, उनसे काम कराते हैं तो उनके लिए दवाइयों का इन्तजाम होना चाहिये, हॉस्पिटल का इन्तजाम होना चाहिये। उस अकाल कमेटी की मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट हैल्थ ऑफिसर मौजूद थे, जिलाधीश मौजूद थे। हमने एक घंटे से ज्यादा उस बात पर बहस की कि आप कम्पाउन्डर्स को भेजिये, हॉस्पिटल्स का इन्तजाम

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

कीजिये, दवाइयों का इन्तजाम कीजिये और मूविंग वान रखिये ताकि मजदूरों को जगह जगह जाकर दवाइयां दे सके। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि कहीं भी इस प्रकार का इन्तजाम नहीं किया गया। जब डी. एम. एच. ओ. को पूछा कि आप यह इन्तजाम क्यों नहीं करते तो वे कहते हैं कि बजट नहीं है। कलेक्टर को पूछा कि आप इसका इन्तजाम क्यों नहीं करते तो वे कहते हैं मेरे पास भी बजट नहीं है। हमने कहा, सरकार को लिखिये। जवाब यह आया कि कम्पाउन्डर्स, डाक्टर्स नहीं हैं, इन्तजाम नहीं कर सकते। आपका मैन्युअल कहां गया? क्यों नहीं आपको कहा जाय कि आपको कानूनी तौर पर करना चाहिये उससे भी आपने उनको वंचित रखा है। इसको भी आप स्वीकार करेंगे या नहीं कि आपकी यह गलती है या नहीं? कह देंगे कि हमने इन्तजाम किया। लेकिन हम कमेटी के मेम्बर्स हैं और हमारे सामने घटनायें घटी हैं। आप इसका 'हां' में जवाब देते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप असत्य बोलने के आदी हैं और एक बार नहीं हजारों बार आप असत्य बोलते हैं और आगे भी बोलेंगे।

चौथा प्रस्ताव है वहां के लोगों का राजनैतिक उपयोग करना। थोड़े से उदाहरण मैंने पहले दे दिये हैं और ये इसलिए दिये कि बीकानेर का जो इलाका है, पुरानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे वे वहां से जीत कर आये, उनके अकाल क्षेत्र का एरिया था, वहां पर इसीलिए रेट कम दी, यह जताने के लिए कि तुमने विरोधियों को वोट दिये हैं और वहां पर ज्यादा पैसा दिया जहां कांग्रेस का कैंडिडेट जीत कर आया।

यही नहीं, बल्कि जिस वक्त चुनाव हुए, मैं कहना चाहता हूँ सभापति महोदय, जिस बदनौर के अन्दर मुख्य मंत्रीजी की मीटिंग हुई, उनकी मीटिंग में बहुत कम आदमी थे, मोटरें आस-पास दौड़ायी गई और मजदूरों को जो काम कर रहे थे यह कहा गया कि चलो तुम्हारा पेमेन्ट होगा, उनको इस प्रकार भुलावा देकर मुख्य मंत्रीजी की मीटिंग में लाकर इकट्ठा किया गया। यही नहीं, जिस दिन पोलिंग था, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या जिस रोज पोलिंग का दिन था आसींद, बदनोर और मांडल के इलाके में उसी दिन मजदूरों को पेमेन्ट आपके डिपार्टमेन्ट ने किया या नहीं? मजदूरों को खास तौर से यह कहा गया कि तुम उस दिन जाना, पेमेन्ट होगा और मजदूर आये तो कहा कि कांग्रेस को वोट दे आओ और फिर पेमेन्ट होगा और वे वोट देकर आये और फिर पेमेन्ट उनको हुआ। दैवी प्रकोप हो और देश के लोग तबाह हों, उनको राहत या सुविधा पहुंचाने का सवाल हो, वहां यदि पार्टी बाजी और राजनीति का सवाल आता है तो मैं समझता हूं इस प्रान्त के लोगों का भविष्य ठीक दिशा में नहीं हो सकेगा। न वर्तमान में है और जो बातें हम और आप देख रहे हैं उन सब को अच्छी तरह से जानते हैं।

यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, घास का इन्तजाम जिस प्रकार से किया गया और उसकी क्या हालत हुई, बड़ी शोचनीय बात है। हमारी सरकार कहती है कि हमारे

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

यहां घास की कमी थी, घास बाहर से मंगाया। ज्यादा पैसे से मंगाया और कम पैसे में देने की बात आयी। माननीय सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि घास की कमी थी। उन्हीं दिनों में अकाल के दिन थे, भयंकर घास की मांग थी, आपने हजारों मन घास एक्सपोर्ट किया गुलाबपुरा स्टेशन से वह किस आधार पर किया? क्यों बाहर भेजा आपने? भेजा या नहीं, इसका जबाब दीजिये। जब हमारे यहां घास की कमी थी इसीलिए घास मंगाया गया था, लोगों को इसकी जरूरत थी। लेकिन चूंकि अपने आदमियों को इसमें फायदा देना था उस घास को एक्सपोर्ट किया गया और हमारे प्रान्त से बाहर उसको भेजा गया जब कि हमारे यहां घास की बड़ी भारी जरूरत थी। यही नहीं, इसके अलावा भी जो काम आज हमारे यहां होते हैं उनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आप पार्टी बाजी रखिये, उसके लिए मुझे कोई एतराज नहीं है; लेकिन ऐसे समय में जब कि अकाल पड़ता है, दुर्भिक्ष पड़ता है या कोई दैवीय प्रकोप होता है; जैसे बाढ़ आती है, उस समय यह, कहें कि इस इलाके से कांग्रेस का आदमी नहीं जीता और इससे जीता है और इसके आधार पर आप कहें कि इनको ज्यादा पैसा दें और इनको कम दें, तो मैं समझता हूं कि न तो यह समाजवादी सरकार है और न लोकतंत्रीय सरकार है। अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपका न तो इस कुर्सी पर बैठना स्वाभाविक है और न आप बैठे रह सकते हैं। हां, आप कह दें कि हनुमानगढ़ में हम जीत गये। वह भी हमारे सामने जीत हुई। हम जानते हैं, आपके क्या क्या कारनामें हुए? वह तो अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा उसमें बतायेंगे कि आपने कैसे कैसे व्यक्तियों का शोषण किया। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि चारों कटौती प्रस्तावों को लेकर जो हमने बातें कही हैं, मुझे दुख होता है कि हमारी सरकार सुन लेती है और हमारी तरफ से बोलने में कोई आंकड़े में जुबान की इधर उधर हो जाती है तो उसका तो जल्दी से जवाब दे देते हैं लेकिन सही बात जो हम कहते हैं उसका जवाब नहीं देना चाहते है। मेरी एक एक बात का जवाब मैं तारीखवार और आंकड़ेवार चाहता हूं और इसी के आधार पर कहना चाहता हूं कि यह जो आपने हमारे सामने डिमाण्ड रखी है ५० लाख रुपये की जब कि आपने यह कहा कि ४ करोड़ २४ लाख रुपये आपने पहले बजट में इसके लिए मन्जूर किये थे तो यह फिर ५० लाख रुपया खर्च किया गया है वह सिर्फ ५० लाख रुपया इसी राजनैतिक आधार के ऊपर लोगों को ज्यादा पेमेन्ट करके और कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया होगा। इस पैसे से किसी को रिलीफ दी गई हो ऐसी बात नहीं है। समय काफी हो चुका है इसलिए और अधिक न कह कर यहीं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति, श्री विट्ठल।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): मंत्रीगणों में से केवल श्रीमती प्रभा मिश्रा व

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

श्रीमती कमला बेनीवाल के होने पर) सभापति महोदय, आज क्या यहां का ठेका केवल महिलाओं को ही दिया गया है।

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा-सु०) : सभापति महोदय, मेरा कटमोशन इस प्रकार है : मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४-अकाल सहायता में १) रु० की कटौती की जाये (जिला बांसवाड़ा में अकाल पीड़ितों की सहायता देने में सरकार असफल रही उस विषय पर बहस करने हेतु)।

माननीय सभापति जी; बांसवाड़ा जिले में गत साल चौमासे की फसल, पानी कम होने के कारण; काफी खराब हो चुकी थी। हमने इस विधान सभा में सरकार के सामने कई मर्तबा ध्यान आकर्षित किया कि हमारे जिले में फसलें खराब हो गई हैं और वहां पर अकाल घोषित किया जाये और रिलीफ वर्क्स खोले जायें। लेकिन यह अंधी और बहरी सरकार को कितना भी कहें इसमें कोई सुनने वाला है ही नहीं और सुनेगा भी नहीं चाहे हम कितना ही चिल्लायें। और आज भी नहीं सुनेंगे क्योंकि बांसवाड़ा जिला ऐसा इलाका है जो कि वर्षों से जब से प्रजातंत्र हुआ तब से कांग्रेस वहां पर कभी फलीभूत नहीं हुई और दो सीटों से तो आज तक नहीं जीते। इसलिए जितनी भी बांसवाड़ा जिले में दिक्कतें आती हैं तो कह देते हैं कि वहां तो ठीक है, वहां देखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि मेरे से पहले माननीय सदस्य, जो कुशलगढ़ से आये हैं उन्होंने कहा कि वहां के ऑफिसरों से कहा जाता है कि वहां के लिए कोई राहत नहीं दी जाये और वहां के लिए ऐसी रिपोर्ट मत दो कि जिससे वे पनप सकें। मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं लेकिन डूंगरपुर जिले के लिए भी यही हालत है क्योंकि वहां से भी जीत कर ये लोग नहीं आते हैं।

तो हम लोग आपके सामने यह कहना चाहते हैं कि ऐसा वतीरा जो सरकार का बना हुआ है वह बहुत गलत है क्योंकि गई साल वहां पर अनाज की काफी दिक्कत रही और वहां के किसानों को काफी दिक्कतें आईं। सरकार ने समय पर अनाज को व्यवस्था सही ढंग से नहीं की और इसके कारण काफी लोगों को मध्यप्रदेश और दूसरी २ जगह जाकर मजदूरी करनी पड़ी और अपनी जमीन-जायदाद को बेचना पड़ा, अपनी बहन-बेटियों को बेचना पड़ा और कर्ज में फंसना पड़ा और उन्होंने अपनी जिन्दगी को किसी तरह गुजारा। कुदरत से अभी इस साल भी यही हाल है। अभी जब बरसात हुई तो फसल अच्छी दिखाई दी, थोड़ा हराभरा हुआ और हमने सोचा कि इस साल फसल अच्छी पकेगी लेकिन कुदरत से इस बार भी ऐसा सिलसिला है कि इस समय भी कई हिस्सों में फसलें खराब हो चुकी हैं। वहां के लिए अभी मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मैं कहूंगा कि हमारे राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष, श्री हरिदेव जी जोशी ने जब हरी भरी फसल को देखा वह कभी उस इलाके में पहुंच गये होंगे, गावों में तो नहीं, मोटर से गये होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि इस इलाके में मक्की अच्छी पक रही है तो उन्होंने एक स्टेटमेन्ट दिया था कि इस साल नेहरूजी की भभूती बांसवाड़ा, डूंगरपुर और

(श्री विट्ठल)

उदयपुर के हिस्सों में बिखेरने से मक्की की फसल अच्छी है। जोशी साहब को यह चाहिए था कि फसल पक जाने के बाद किसी तरह का स्टेटमेन्ट देते। लेकिन कुदरत की बात है कि यह स्टेटमेन्ट देने के बाद फसल बरसात की वजह से खराब हो गयी और सूख गई। जब जोशी जी ने हरी भरी फसल को देखा तो स्टेटमेंट दे दिया, आज भी स्टेटमेन्ट देना चाहिए कि फसलें खराब हो गयी हैं और लोगों को राहत मिलनी चाहिए, लेकिन वे ऐसा स्टेटमेन्ट अब नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि वहां का इलाका समाजवादी है। इस तरह से गलत स्टेटमेन्ट देकर लोगों को भड़काना बहुत बुरी चीज है और ऐसे बड़े आदमी को ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने नेहरूजी की बभूती छिड़की होगी लेकिन इस तरह से बात नहीं कहनी चाहिए और इस तरह से षड़यंत्र करना यह उस जिले के लिए बहुत बुरी चीज है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस साल के लिए जिन जिन इलाकों में फसलें खराब हो गयी हैं और वह मैं सदन के सामने बता देता हूं। बागीडोरा तहसील, शेरगढ़ पट्टा बिलकुल खराब हो चुका है, भूखिया डिस्ट्रिक्ट में खराब हो गया है और गढ़ी में भी फसलें खराब हो चुकी हैं। इसी तरह से इस साल मक्की नहीं हुई है और सूख गई है और अनाज के लिए बड़ी परेशानी होने वाली है।

दूसरी बात इस साल बरसात कम होने की वजह से वहां पर रबी की फसल तो होगी और हो सकता है कि जहां गेहूं पक सकता था वहां लोग चना जरूर बोयेंगे। गेहूं की फसल तो नहीं हो सकी क्योंकि पानी कम रहा। सरकार बीज की व्यवस्था भी सही ढंग से नहीं कर सकी है। इसलिए किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए उस जिले के लिए सरकार अभी से व्यवस्था करे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे से पहले माननीय सदस्य काफी कह चुके हैं इसलिए इतना कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो यह सदन बधाई का पात्र है क्योंकि आज राजस्थान सरकार के अन्दर स्त्रियों की सरकार ही नज़र आती है हुकुमत की कुर्सी पर आज महिलायें हैं।........

श्री विजयसिंह झाला : वह भी वृद्ध स्त्रियों के हाथ में है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माता और बहिनों की हुकुमत है।

सभापति महोदय, २८ करोड़ रुपये की ग्रॉन्ट एप्रोप्रियेट होने के लिए सदन के सम्मुख है और इसके अन्दर सबसे बड़ा मद है फेमिन रिलीफ का जिसके ऊपर विचार चल रहा है। मैंने भी कुछ कटमोशन्स इस मद में दिये हैं। ४ करोड़ २८ लाख रुपया इस मद में खर्च करने के बाद सरकार को ५० लाख रुपया खर्च करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। अगर सरकार इस मद में दो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करोड़ रुपया और भी खर्च करती तो मुझे और मेरी ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों को कोई एतराज नहीं होता। लेकिन सरकार ने यह ५० लाख रुपया भी खर्च किया तो अकाल क्षेत्र में कार्य करने वाले २ लाख से भी ऊपर मजदूरों के गलों को छुरी से रोंदने के बाद।

उन्होंने वे सारे कानून पिछले इसी सदन में एक एक्ट पास करके— राजस्थान फेमिन रिलीफ वर्क्स एण्ड एम्प्लॉईज़ एक्ज़ेम्प्शन फ्रोम लेबर लाज़ एक्ट पास करके खत्म कर दिये, जिनमें मिनिमम वेजेज़ एक्ट, इन्डस्ट्रियल एम्प्लायमेंट एक्ट, इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट और पेमेन्ट ऑफ वेजेज़ एक्ट हैं। जब सरकार जदूरों द्वारा काफी समय के संघर्ष के बाद प्र किये हुए इन अधिकारों को उस क्षेत्र में समाप्त कर रही थी, जहां कि लोग अकाल से मारे हुए थे, जहां प्राकृतिक कोप ने मनुष्य के जीवन को भयानक बना दिया था, जहां मृत्यु अपना भयानक नाच नाच रही थी, उस समय मैंने यह बात कही थी और मैंने साफ शब्दों में कहा था कि सरकार इन सब अधिकारों को इसलिए लेना चाहती है कि मजदूरों के जो डीलेड पेमेंट्स के केसेज़ हैं, जो मजदूरों के डेफर्ड पेमेंट्स के केसेज़ हैं, जो मजदूरों के रोंग पेमेंट के केसेज़ हैं, जो मजदूरों को सन्डे के राइट्स देने से जो क्लेम्स क्रियेट होते हैं, जो इस सिलसिले के अन्दर मजदूरों का शोषण हो रहा है, जो मजदूरों का विक्टीमाइजेशन होता है, उन सब को और जो अकाल ग्रस्त क्षेत्र में काफी तादाद में हुआ है सरकार एक दफा दबा देना चाहती है। उस समय बड़े गौरव से राज्य के मुख्य मंत्री ने हा था इस सदन में कि डिलेड पेमेंट्स के केसेज़ नहीं हैं। उन्होंने यह कहा था कि हम गौरव से कह सकते हैं कि इस अकाल में एक भी व्यक्ति नहीं मरा। उन्होंने इस बात को कहा कि कोई विक्टीमाइजेशन के केसेज़ नहीं हैं। सभापति महोदय, मैंने इसीलिए वह क्षेत्र चुना जहां कि राजस्थान के सबसे ज्यादा मंत्री आते हैं, और उस क्षेत्र के अन्दर जाकर मैंने जितना विक्टीमाइजेशन मज़दूरों का पाया उतना विक्टीमाइज़ेशन सारे राजस्थान में कहीं नहीं हुआ। वह क्षेत्र है नागौर डिस्ट्रिक्ट जहां से राज्य की कुर्सियों पर चार-चार मंत्री विराजमान है। जितना विक्टीमाइजेशन नागौर डिस्ट्रिक्ट के फेमिन के काम करने वालों के साथ हुआ, मैं यह चैलेंज करके कहता हूं कि इतना विक्टीमाइजेशन कहीं नहीं हुआ।

जहां से राज्य के चार-चार मंत्री आते हैं, वहां पर सड़कें बनायी गईं तो गलत पेमेंट्स ले लिया गया। कई जगहों पर सड़कों पर मिट्टी नहीं डाली गई लेकिन मिट्टी डालने का पेमेंट ले लिया गया। कई जगह मिट्टी डालने के बाद रोड़ी डाली गई और यह बता दिया कि मिट्टी उड़ गई। सड़क के मस्टर रोल्स के अन्दर गलत लेबर की भर्ती दिखाई गई। कई जगह तकाबी बांटने के अन्दर पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया।

मैं पालड़ी जोधा एक गांव का जिक्र करता हूं। ७६ हजार रुपये नागौर तहसील के २०० गांवों में तकाबी बांटने के लिए तहसीलदार नागौर को दिये गये, लेकिन तहसीलदार साहब नागौर ने पालड़ी जोधा के ठाकुर साहब अकेले को ही ५ हजार तकाबी के दिये और केवल २

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

गांवों के अन्दर उन्होंने ३५ हजार रुपये तकावी के बांट दिये जो कि २०० गांवों को बांटने चाहिए थे। एक गांव कुलड़ी और दूसरा पालड़ी, जोधा पालड़ी जोधा के ठाकुर साहब से मिलने का इत्तिफाक मुझे प्राप्त हुआ है। वे नागौर शहर के अन्दर रहते हैं और शराब के अन्दर धुत्त रहते हैं और तहसीलदार साहब मोहब्बतसिंहजी के साढू हैं। उन्होंने अपने कुत्ते का नाम जवाहरलाल नेहरू रखा है। जरा हुकमरान सुने, हुकूमत करने वाले सुनें। पालड़ी जोधा के ठाकुर साहब ने तो अपने कुत्ते का नाम जवाहरलाल नेहरू रखा है। उनका कहना है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारी जागीरें छीनी हैं इसलिए उनकी आत्मा मेरे इस कुत्ते के अन्दर प्रवेश कर गई है।

सभापति महोदय, मुझे कुछ सड़कों पर भी जाने का इत्तिफाक प्राप्त हुआ नागौर डिस्ट्रिक्ट की।

(किसी माननीय सदस्य के कुछ कहने पर) यह पालड़ी जोधा के ठाकुर साहब का किस्सा है। आप जाकर मिल आइयेगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि राज्य में एक भी व्यक्ति....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of information- Sir मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने सदन के अन्दर इस तरह की जो बात कही है तो किसी आदमी के लिए कुछ भी कहा जाय तो उसका इस सदन में कुछ महत्व नहीं है? यह बात बुरी है, वह प्राइवेट में कही जा सकती है। लेकिन उसके बारे में इस तरह से पब्लिसिटी हो और सदन के रेकॉर्ड में इस तरह की बात आए जब कि सारे सदन की सभी पार्टियों के माननीय सदस्यों के दिलों में भूतपूर्व प्रधानमंत्री के लिए इज्ज़त है, उसके बारे में रिजेन्टमेंट दिखाने की यहां ज़रूरत नहीं थी, उसका बिल्कुल उपयोग नहीं था। इसलिए इनको एक्सपन्ज कर दिया जाय। हमें भी दुःख है और उनको दुःख है और उस दुःख से उन्होंने यह कह दिया, लेकिन वह प्रोसीडिंग में नहीं जाना चाहिए। ऐसी मेरी धारणा है और चैयरमैन महोदय से अपील करूंगा।....

श्री सभापति : There is no need to expunge the remarks.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक्सपन्ज किया जाय!

श्री सभापति : No need to expunge.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस बात को कहने की आवश्यकता इसलिए है कि राज्य के चार-चार मंत्री नागौर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और मेरी आत्मा में यह कष्ट हुआ उसी नागौर के अन्दर स्वर्गीय प्रधान मंत्री के सम्बन्ध में जिनका कि राष्ट्रीय आदर है, इस प्रकार की अपमानजनक बात हो। वह उसी नागौर में हो। मुझे इस बात से कष्ट हुआ और मैंने इसे अपना परम कर्तव्य समझा कि सदन के १७६ सदस्यों को भी इस बात की सूचना दूं।

श्री सभापति : But you need not harp on it now. Carry on.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसी एरिया में नागौर से डीडवाना होती हुई जो सड़क मेड़ता तक गई है और जो ६० मील लम्बी सड़क है इसके निर्माण के अन्दर ५०) रु० पर हन्ड्रेड क्यूबिक फीट की काली रोडी डाली जानी चाहिए थी, लेकिन यहां की एक कमेटी तय कर ली जाय पांच व्यक्तियों की, कोई हों और वह जाकर आज भी चेक कर ले कि इस रोड के ऊपर ७ से १० रुपये पर हन्ड्रेड क्यूबिक फीट....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, मैं फिर एक मर्तबा अर्ज करूंगा कि आप उसके महत्व को समझें और पार्लियामेंट में यह बात हुई है उस स्थिति को निगाह में लाना चाहता हूं कि इस तरह की बात हमारे इस सदन की कार्यवाही में आये कि मैं यह कहूं कि मैंने हाण्डा साहब एक चिड़िया का नाम रखा है। यह बात हुई तो क्या बात हुई ? इसमें १७६ आदमियों को बतलाने की क्या बात है ? सदन में कोई व्यक्ति, टोम-डिक-हैरी, है जिसका कोई महत्व नहीं है वह नेशनल हीरो के लिए ऐसी बात कर लेता है तो हमारी जो भावना है उसको चोट लगती है उसके लिए मैंने अपील की है कि वह सदन की प्रोसीडिंग में नहीं आना चाहिए । मैं सभापति महोदय, आप से अपील करूंगा, उनकी गुड सेन्स को अपील करूंगा कि सदन की प्रोसीडिंग में ये बातें जाती हैं तो हमारी पोस्टेरिटी के लिए वह खराब बात रहती है। उसके अन्दर उस तरह सकता हूं की चीजों को नहीं लाना चाहिए। मैं सदन के किसी सदस्य को छिपकली कह सकता हूं तो क्या वह उसकी बेइज्जती हो गयी ? मैं इसको सदन की बेइज्जती मानता हूं, अगर प्रोसीडिंग में ऐसी बात जाती है तो ।

श्री सभापति : आपने जो बात कही है वह आपके टेस्ट का परिचय देती है और जो इन्होंने बात कही है वह इनके टेस्ट का परिचय देती है। दोनों ही बातें ठीक नहीं हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप एक्स-पन्ज कर दें दोनों को ।

श्री सभापति : कोई जरूरत नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस एरिया में जाकर देखेंगे तो उस सड़क पर जो नागौर से मेड़ता तक ६० मील बनी है उसमें ५० रुपये पर हन्ड्रेड क्यूबिक फीट वाली रोडी डाली जानी चाहिए थी, लेकिन उसके ऊपर ७-१० रुपये पर हन्ड्रेड क्यूबिक फीट वाली रोडी डाली गई है। यह काम जिन असिस्टेन्ट इंजीनियर ने किया है उनके खिलाफ बाकायदा कलेक्टर महोदय को शिकायत की गई, मि. काला के खिलाफ, लेकिन कलेक्टर ने उसके काम का चैकिंग मौके पर जाकर करना मुनासिब नहीं समझा । इसका भी एक कारण है। उसका कारण यह है कि कलेक्टर की कोठी पर जहां सैंक्शन्ड बजट के अनुसार ७,००० रु० खर्च किये जाने चाहिए थे वहां पर असिस्टेन्ट इंजीनियर काला ने १७,००० रु० खर्च कर दिये।

(३ म० प०)

इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी सड़कों के निर्माण हुए, जैसे राणोत से गुढ़ा

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बागान १४ मील है, खिंवसर से गुड़ा तक १३ मील सड़क बनी उस पर बाकायदा मिट्टी डाली गई और मिट्टी उड़ी हुई बतायी गई और दुबारा वर्क स्टार्ट किया गया।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त मुझे ताज्जुब हुआ जब मैं नागौर स्टेशन पर उतरा तो नागौर स्टेशन के पास ही हजारों मन कड़बी को बुरी तरह से फैंका गया था, उसका कोई उपयोग नहीं था। अभी भी कोई माननीय सदस्य चाहें तो नागौर स्टेशन पर उतरें और देखें कि किस प्रकार वहां पर कड़बी सड़ रही है आम तौर से किसान जिस तरह कड़बी का बागर बनाकर रखते हैं उस तरह से इस कड़वी को नहीं रखा गया। एक और घटना आलनियावास फोडर डिपो की बताना चाहता हूं। रहस्यमय ढंग से फोडर डिपो में आग लग गई। जो लोग अपने मवेशियों को लेकर मध्य प्रदेश या मालवा की तरफ जाते हैं उनके रास्ते पर यह एक इम्पोर्टेन्ट फोडर डिपो है जिसमें हजारों मन फोडर था। उस फोडर को एस. डी. एम. और तहसीलदार बेचते रहे, खाते रहे। पता तब लगा जब एक ट्रक फौरन वहां घुस गया। वह ट्रक भी जल गया और फोडर डिपो भी जल गया। कोई हिसाब लेने वाला नहीं रहा कि कितना जल गया और कितना फोडर प्रयोग में लिया गया।

इसके अतिरिक्त सभापति महोदय, सन् ६३ की १३ अप्रेल को ३ लाख रुपये फेमिन के लैप्स हो चुके थे नागौर में, उस समय मुख्य मन्त्री जी वहां पधारे तब दुबारा २ लाख रु० की ग्रान्ट स्वीकृत की और कलेक्टर को इस बात के लिए ताड़ना दी कि आपने सन् ६३ में फेमिन की इतनी बड़ी राशि गमा क्यों दी, प्रयोग क्यों नहीं की? उसके बाद जोश में आकर वहां के कलेक्टर परबतसर तहसील में पधारे और एक गांव में पहुंच कर जहां पर अमेरिकन दो बोयज़ थे उनसे मुलाकात करके चले आये और उसके बाद कोई पैसा परबतसर में वितरित नहीं हुआ।

इसके अतिरिक्त मैं आपके सामने इतने ठोस केसेज़ रख सकता हूं जिनकी आप इन्क्वायरी करा सकते हैं। बरबरा गांव में जिन २०० मजदूरों ने काम किया उनकी जून माह की वेजेज़ १६ अगस्त तक नहीं दी गई थी। इसी तरह से डेरू गांव के ४०० मजदूरों को १६ अगस्त तक पेमेंट नहीं किया गया था मुझे मालूम नहीं बाद में कब दिया गया? केडूं गांव में ८-९ अगस्त को २ महीनों के वेजेज़ का पेमेन्ट किया गया। सतलाना के २०० मजदूरों की मजदूरी का पेमेन्ट नहीं किया गया। मेरे पास लंबी लिस्ट है, मंत्रीजी चाहेंगे तो मैं दे दूंगा और समय ज्यादा नहीं लूंगा। बिना पेमेन्ट किये मजदूरों से मजदूरी ली गई। सभापति महोदय, यह वही कारण था जिसकी वजह से मिनिमम वेजेज़ कानून को बदला गया। सरकार जानती थी कि पेमेन्ट में डिले करने के कारण पेमेन्ट के केसेज़ होंगे। मैं कोन्क्रीट केसेज़ रखता हूं जो मुख्य मंत्री जी के नोटिस में आये हैं वह है डूंगरगढ़ तहसील में आड़सर से मोमासर तक सड़क का कार्य चल रहा था वहां पर डूंगरगढ़ का प्रधान बड़ी कठिनाई से मुख्य मंत्रीजी को ले गया, लेकिन जब मुख्य मंत्रीजी की जीप आगे चली गई तो अधिकारियों ने मुख्य मन्त्रीजी का प्रोग्राम

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बदल दिया। जब प्रधान को पता चला तो वह भी मुख्य मन्त्रीजी के पास गया और उनसे कहा कि आप मेरे साथ रह कर काम देखना चाहते हैं या सरकारी अधिकारियों के साथ रहकर। तब मुख्य मन्त्रीजी प्रधान के साथ आड़सर में पहुंचे। वहां पर चौथी नाम की स्त्री गले में भूला डालकर, आंखों में आसू भर कर मुख्य मन्त्रीजी के सामने आई और उसने उनसे कहा कि यहां के ओवरसियर ने मेरी असमत लूटी है। उनको उसने बताया कि किस प्रकार उसको वह कमरे में ले गया और उसकी असमत लूटी। एस. डी. एम. ने उसकी एफ. आई. आर. चाक कराई, लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. वालों ने उसको ८ दिन तक मजदूरी नहीं दी, उसको और उसके बहरे पति को भूखा रखा, उसके मरते हुए ससुर को भूखा रखा, उनको टैरोराइज़ किया, गलत हाजरी बताई और विक्टीमाइज़ करने की कोशिश की। पी. डब्ल्यू. डी. वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन वहां पर मुख्य मन्त्रीजी देकर आये कि मैं पूरी जांच कराऊंगा....

एक माननीय सदस्य : यह कहां की बात है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आड़सर, तहसील डूगरगढ़। मुख्य मन्त्रीजी वहां पर जून माह में गये थे और आज अक्टूबर चल रहा है, लेकिन आज तक कोई रिलीफ राज्य के मुख्य मन्त्रीजी द्वारा नहीं दिया गया है।

इसके अतिरिक्त आड़सर के प्रधान ने मुख्य मन्त्रीजी से कहा कि आप चल कर लोगों की झोंपड़ियें देखिये और देखिये कि उनके पास पानी है या नहीं, वहां पर ५०० मजदूर काम कर रहे थे। यहां पर मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमने अनाज और पानी का इन्तजाम किया है। मुख्य मन्त्रीजी डूंगरगढ़ के प्रधान के साथ मजदूरों के झोंपड़ों में गये लेकिन एक भी झोंपड़ी में उनको पानी नहीं मिला पीने का। उन्होंने मजदूरों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम को कल से पानी नहीं मिला है। अगले कैम्प में गये तो वहां के मजदूरों ने कहा कि उनको दो दिनों से पानी नहीं मिला है। मुख्य मंत्री जी ने वहां पर इस प्रकार स्थिति देखी कि मजदूरों को पानी नहीं मिला है। सभापति महोदय, ३० हजार टन गेहूं मजदूरों के लिए मिला था लेकिन ६० परसेन्ट मजदूरों के नाम पर ३८ रुपये क्विन्टल कीमत लगाकर दिया गया, उसमें डेढ़ करोड़ रुपया बनाया और जो बाकायदा कानून की तहत मिनिमम वेजेज़ एक्ट की तहत डेढ़ रुपया पाने का अधिकारी मजदूर था उसको कुचल कर कहीं पर .१२ न. पै. कहीं पर ७५ नया पैसा और कहीं पर ३५ नया पैसा के हिसाब से उनको दिया गया और वह भी डिलेड पेमेन्ट किया। बल्कि मैं तो निश्चित रूप से कहूंगा कि फेमिन कोड के अनुसार भी अकाल ग्रस्त क्षेत्र में ३ लाख लोगों को वेजेज़ देते तो भी डेढ़ रुपया से ज्यादा पड़ती; हमने केलकुलेट किया है २) रु० पड़ते हैं। हमारे प्रातः स्मरणीय बाल गंगाधर तिलक थे जो हमारी स्वतंत्रता के फादर कहलाते हैं उन्होंने पार्लियामेन्ट में संघर्ष किया मजदूरों के कानून के लिए।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जिन नेताओं ने इसके लिए बलिदान दिये उनमें हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू भी हैं, जिन्होंने सन् ३८ में इस कानून के लिये योगदान दिया और जिन्होंने मजदूरों के लिए खून बहाया, लेकिन राजस्थान सरकार ने उस कानून की हत्या की जिसका जन्म बाल गंगाधर तिलक के प्रयत्नों से हुआ, जिसका जन्म राष्ट्रीय नेताओं की कुर्बानियों से हुआ। जिनका कि जन्म राष्ट्रीय आन्दोलन से हुआ, जिनका कि जन्म हिन्दुस्तान की चालीस करोड़ जनता से हुआ।

इसके अतिरिक्त एक कट मोशन अन्तिम मैंने यह भी दिया है कि चीप ग्रेन्स भी मजदूरों को मुहैया नहीं हुआ। राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के ऊपर जो मजदूर काम कर रहे थे जिनके सम्बन्ध में बार बार राज्य के मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री नाथूरामजी ने इस बात की घोषणा की कि हमने राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के मजदूरों के लिये चीप ग्रेन्स मुहैया किया है। जहां पर आम रूप से हम लोगों ने मजदूरों को भेजा कि वह राजस्थान कैनाल पर जाकर काम करें, उस राजस्थान कैनाल पर, आप फेमिन की बात छोड़िये आज तलवाड़ा के पास में जो राजस्थान के लेबर काम कर रहे हैं उनको चीप ग्रेन मुहैया नहीं है। और जो जैतसर का नया बांध निर्मित हुआ है, वहां पर लेबर काम कर रहा है उसको चीप ग्रेन मुहैया नहीं है। और वहां के ठेकेदार चालीस रुपया, पैंतालीस रुपया मन ग्रेन्स के हिसाब पर उनके नाम पर लिखता है और उस हिसाब से उनकी वेजेज के अन्दर से डिडक्ट करता है इससे भी ज्यादा भयंकर स्थिति राजस्थान कैनाल पर काम करने वाले मजदूरों की फेमिन के टाइम पर रही है, उसके बाद भी बराबर रही है और उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। राजस्थान कैनाल के हनुमानगढ़ निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ कर एक साल से एक परिवार को पांच किलो कनक चीप ग्रेन मिला है। और जब इलेक्शन आया तो हनुमानगढ़ की दूसरी चीप ग्रेन शोप्स कायम होकर वहां एक एक दूकान पर २८ सितम्बर से चालीस किलो, साठ किलो और दो सौ किलो तक चीप ग्रेन मिला है, आखिर में तो यहां तक देखने में आया कि बोरी के पैर लग गये और बोरियां खुद जाकर लोगों की झोंपड़ियों में दाखिल हो गई। यह बात दूसरी है कि १६ तारीख को चुनाव का नतीजा निकलने के बाद में बोरियां उन झोंपड़ियों में से निकल कर गोदामों में और दूकानों में जाना शुरू हो गईं। खुद तलवाड़ा के अन्दर मजदूरों को पचास किलो कनक से दो सौ किलो कनक तक मिलता रहा यह इलेक्शन के टाइम में कैसे फर्क आया? मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि यह जो सरकार ने पचास लाख रुपया मांगा है इसकी जगह सरकार अगर दो करोड़ भी मांगती तो मुझको एतराज नहीं होता। इसमें मुझे और मेरे साथियों को कोई एतराज नहीं है। लेकिन कम से कम लेबर लॉज रिपील नहीं करते, कम से कम अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में लेबर्स को विक्टीमाइज़ नहीं करते और कम से कम फेमिन रिलीफ वर्क्स में गबन और घोटाला नहीं होते और कम से कम लेबर को वेजेज़ ठीक टाइम पर मिल जाती तो सरकार दो करोड़ तो क्या अगर चार करोड़ भी लेती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होता क्योंकि

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हुकूमत की और सरकार की राज्य चलाने की जिम्मेदारी है और राज्य में कोई प्रकृतिक प्रकोप आता है तो निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जनता को राहत दे। मैंने पिछली बार इस सदन के अन्दर इस बात पर अर्ज किया था और, सभापति महोदय, आपके द्वारा में निहायत अदब के साथ अर्ज करता हूं कि आज औरतों की सरकार है और औरतों के अन्दर एक कोमल भावना होती है....

एक माननीय सदस्य : क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज राजस्थान सरकार औरतों की सरकार है । उनमें कोमल भावना होती है ।

(विराम)

आप (श्री परसराम मदेरणा) बैठे हुए हैं, क्षमा करना !

श्री रामकिशन (वेर) : आप क्या कह रहे हैं ? आपका निराकार नारी समझ रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप गंगानगर से आये हैं, इसलिये हांगे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप गंगानगर से आये हैं इसलिए रंगीन हो रहे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसलिए मैं अर्ज करूं, आपके हृदय में वैसी ही कोमल भावनायें हैं जैसी स्त्रियों में होती है ।

तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस राज्य के अन्दर अकाल पड़ता रहता है, यह एक रेगुलर फीचर है। इसलिए राजस्थान में अकाल पड़ते रहने की वजह से सरकार अपने बजट के अन्दर एक डेफीनिट प्रोवीज़न कर दे। आज सरकार की योजनायें पूरी होती नहीं हैं, आज ढाई साल इस सदन को चलते हुए हो गये और नाली की बाढ़ हर वर्ष आती है। पहले हानि कम होती थी लेकिन अब की बार सारे रेकॉर्ड टूट गये हैं । इस साल दस हजार एकड़ की फसल, गन्ने जैसी केस-क्रोप नाली की बाढ़ के अन्दर डूब गई है और पाकिस्तान के अन्दर भी पानी जाता रहा है। एक बहुत बड़ा एरिया इस बाढ़ में डूब गया है। पिछले पांच साल से हानि हो रही है, तब से साढ़े तीन करोड़ के एक प्रोजेक्ट की चर्चा इन पिछले सालों में सुनने में आती रहती है कि अब पूरी होगी, अब पूरी होगी। लेकिन वह नहीं हो रही है और धीरे धीरे बीस–पच्चीस करोड़ की हानि हो चुकी है। आज सारे का सारा गंगा-नगर जिला मौत के मुंह पर खड़ा हुआ है। तलवाड़ा रेगुलेटर और तलवाड़ा साइफन खतरे में पड़ गया है। राजस्थान केनाल के क्षेत्र में मीलों तक पानी फैला हुआ है। नाली के पानी के लिए तो बांध का काम देता है तलवाड़ा साइफन, वह गिर चुका है, उसकी दोनों दीवारें गिर चुकी हैं। राजस्थान केनाल से जो मीलों फैला हुआ पानी रोका हुआ है वह दीवार गिर चुकी है, ढह चुकी है। यह जो पानी अभिशाप है, यही वरदान बन सकता है। यह पानी सूरतगढ़ के डेजर्ट में फेंका जा सकता है और वहां सिंचाई हो सकती है, बीकानेर क्षेत्र में अकाल

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

की छाया को खत्म किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो दो सौ करोड़ की राजस्थान केनाल की योजना है, जिसके १६८० में पूरे होने की बात करते हैं, वैसे तो उम्मीद नहीं है कि १६८० में भी पूरी हो जाय क्योंकि ७ करोड़ की मशीनरी हनुमानगढ़ वर्कशॉप में बेकार खड़ी हुई है, ट्रैक्टर तलवाड़ा बांध के पास पानी में खड़े हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले तीन लाख की मशीनरी झोंपड़ियों में पड़ी थी और गधे और ऊंट राजस्थान केनाल में काम कर रहे हैं, मशीनरी बेकार पड़ी है, २२ लाख का रेगुलेटर क्रैक पड़ा हुआ है, १५ लाख की पहले सप्लाई आ गई है वह बेकार गई। भारत सरकार को यह योजना सौंपने की बात कर रहे हैं। भारत सरकार को यह योजना सौंपने के बाद गंगानगर जिले और राजस्थ केनाल के क्षेत्र के लाखों भूमिहीन किसान उस क्षेत्र में कितने अधिकार पा सकेंगे, यह विषय विचारणीय बन जाता है। क्योंकि भारत सरकार को यह योजना सौंप दी जायगी उसके बाद भारत के अन्दर जो अकालग्रस्त किसान और मजदूर हैं उनको भारत सरकार राजस्थान केनाल क्षेत्र में बसाना चाहेगी।

मैं नहीं जानता कि ६ तारीख को जब टी. टी. कृष्णमाचारी पधारे थे हनुमानगढ़, उस समय हमारे मुख्य मन्त्री से उनका वार्तालाप हुआ था तो क्या शर्त तय हुई थी। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी बड़ी आशा थी कि ३६ लाख एकड़ धरती, जो रेगिस्तान के भयानक टीबे हैं, वहां अब सिंचाई होगी और राजस्थान के अन्दर लाखों लोग अकाल की भयानक खाई में डूब जाते हैं, अकाल के भयानक अन्धेरे में डूब जाते हैं और राजस्थान के लाखों करोड़ों पशुओं का जीवन संकट में पड़ जाता है और लाखों पशु मरते हैं—उन सबके लिए जो इस अन्धेरे को मिटाने के लिए आशा का दीपक है वह यह दो सौ करोड़ की राजस्थान केनाल की योजना है, और सब योजनायें बेकार हैं, सब चीजें सेकन्डरी हैं, अगर राजस्थान को खुशहाल बनाना है और अकाल की भयानक छाया को मिटाना है तो इस महान् इर्रिगेशन प्रोजेक्ट को पूरा करना पड़ेगा, हमें जैसलमेर के क्षेत्र में पानी पहुँचाना पड़ेगा। हमें बीकानेर में लिफ्ट इर्रिगेशन से पानी पहुँचाना होगा, हमें अनूपगढ़ के टीबों में और हनुमानगढ़ में पानी पहुँचाना होगा। यह सब तभी होगा जब ये जो योजनायें लड़खड़ाती हुई चल रही है, जो योजनाओं में करप्शन होता रहा है, जो योजनाओं में दरारें पड़ रही हैं उन सबको हम दृढ़ता से दूर करें।

राजस्थान केनाल में एक ओवरसियर को एक साल के अन्दर एक लाख फीट मिट्टी खोदनी चाहिए, लेकिन पांच सौ ओवरसियरों ने एक साल के अन्दर अस्सी हजार क्यूबिक फीट मिट्टी खोदी है। इस प्रकार जिसके अन्दर करप्शन हो रहा है, हर तरीके से पैसा खाया जा रहा है और अकाल की छाया को बढ़ाया जा रहा है, इसको समाप्त किया जाय। सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि ये जो सैकड़ों केसेज़ पेमेन्ट के हैं, आज सरकार ने कानून बना कर मजदूरों को किसी अदालत में जाने का धिकार नहीं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

छोड़ा है, आज सरकार ने अकाल राहत कार्यों में काम करने वाले मजदूरों के मुंह पर पट्टी बांध दी है, इसलिए मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि यह जो हजारों नॉन-पेमेन्ट के केसेज़ हैं इनको जल्दी से जल्दी पेमेन्ट कर दें।

अन्त में मैं एक चीज और कह दूं कि राज्य सरकार के मुख्य मन्त्री और एक उप-मन्त्री, लड्ढा साहब ने यह घोषणा की थी, छाती पर हाथ मार कर, कि राज्य में एक आदमी भी अकाल से नहीं मरा है।

(३.१६ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं कहूँगा कि गुढ़ा भगवान बस्ती में जाइये, नागौर के अन्दर जाकर देख लीजिये, वहां एक आदमी एक झोंपड़ी में भूख से तड़प तड़प कर मर गया और उसकी लोथ को कुत्ते घसीट कर ले आये थे, आप कृपा करके इस झूठी घोषणा को वापिस ले लें। इसी प्रकार न मालूम कितने ही लोग अपने झोंपड़ों में भूख से तड़प तड़प कर मर गये।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४ अकाल सहायता में १) रु० की कटौती किये जाने का मेरा कटौती प्रस्ताव है। अभी गत वर्ष राजस्थान के १३ जिलों में भयंकर अकाल पड़ा और राजस्थान सरकार ने अकाल ग्रसित जनता के लिये ४ करोड़ ७५ लाख रुपया खर्च किया इसके लिये तो राज्य सरकार बधाई की पात्र है लेकिन अभी जो बोलने वाले माननीय सदस्यों ने इसकी आलोचना की है, मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार ने अकाल सहायता के लिये ४.७५ करोड़ रुपया खर्च किया है और इससे जो लोगों को राहत मिली उससे उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी क्योंकि इससे उनका जो मतलब था वह हल नहीं हुआ। एक तरफ तो वे कहते हैं कि जनता को राहत दिलाना चाहते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की बातें करते हैं। मुझे मालूम होता है कि उनके ये आंसू जो है वे एक प्रकार से क्रोकोडाइल टीयर्स की तरह से हैं क्योंकि मगरमच्छ जब कोई जानवर को खा लेता है तो उस जानवर को खाने के बाद वह पेड़ से टक्करें लेता है, उसकी वजह से उस मगर की हड्डियों में दर्द होता है और वह आंसू बहाता है। इसी तरह से अगर ये लोग भी आंसू बहा रहे हैं तो यह बड़ी भारी गलती होगी। राज्य सरकार ने जो अकाल पीड़ितों को सहायता दी है उसके लिये ये चिल्लाते हैं कि उनका मकसद पूरा नहीं हुआ और उनको जनता को बहकाने का मौका नहीं मिला। जो सरकार ने अकाल ग्रसित लोगों की सहायता की उसके लिये तो विरोधी दल वाले भी कहते हैं कि यह किया और वह किया। इससे यह साबित है कि राजस्थान सरकार ने अकाल पीड़ितों के लिये काम किया। विरोधी दल के सदस्य यह चाहते हैं कि राजस्थान सरकार अकाल पीड़ितों को सहायता न दे और वे लोग भूखों मरते रहें जिससे उनको कुछ अधिक मत दिये जावें। चूंकि राजस्थान सरकार ने लोगों को बहुत मदद दी इसलिये उनका यह पासा भी कामयाब नहीं हो सका।

कहीं पर अधिक सहायता दी गई हो, यह मुझे मालूम नहीं है। मैं तो सिर्फ उन जिलों का जिक्र करूंगा जहां अकाल ग्रसित लोग थे।

(श्री गोविन्दसिंह)

जोधपुर (मारवाड़) के आदमी, जब तक अकाल होता है तो वे लोग बूंदी, कोटा, झालावाड़ होते हुए मालवा जाते हैं। उनके मवेशियों के लिये जहां तक चारे के इन्तजाम का प्रश्न है, कोटा से अजमेर तक इन्तजाम रहा। वहां से मंडाना १८ मील हैं, वहां पर इन्तजाम किया। मंडाना से ३८ मील झालवाड़ तक कोई उनके लिये चारे का इन्तजाम नहीं; झालवाड़ से सोयत और से मध्य सोयती प्रदेश ४० मील है, मगर वहां तक पहुंचने के लिये उनके मवेशियों के लिये कोई चारे-पानी का प्रबन्ध नहीं किया गया। इस तरह से राजस्थान की हद में भी ५७ मील तक अकाल पीड़ित लोगों के मोवशियों के लिये चारे का व अकाल पीड़ितों को राहत का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। इतना ही नहीं, जहां सुरक्षित जंगल थे वहां पर भी जंगलात वालों ने उनके मवेशियों को चरने की इजाजत नहीं दी और इस वजह से उनको दो तरफी मार पड़ी। एक तो सरकार की तरफ से उनके जानवरों के लिये कोई चारे का प्रबन्ध नहीं होने से उनको अपने मवेशियों को जल्दी जल्दी ले जाना पड़ा और दूसरी तरफ सड़क पक्की होने के कारण और मवेशियों के जल्दी जल्दी चलने के कारण उन मवेशियों के पैरों से खून निकलने लग गया और उनको तकलीफ हो गई। बड़ी मुश्किल से वे लोग मध्य प्रदेश पहुचे। जब वे मध्यप्रदेश पहुंचे तो वहां पर भी उनको किसी प्रकार की गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत नहीं मिली। उनके लिये वहां पर खाने का और मवेशियों के लिये चारे का कोई प्रबन्ध नहीं होने से उनको बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा और उनको उन लोगों के पास जाकर ठहरना पड़ा जो लोग अजमेर मेरवाड़ा और नागौर के अकाल में वहां पर पहले गये और उनमें से कुछ लोग वहीं बस गये थे। मगर उनके पास उनके मवेशियों को चारा देने और उनको खाने की व्यवस्था करने के लिये बड़ी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा और एक बड़ी भारी समस्या उनके सामने उत्पन्न हो गई। उनके मवेशियों के लिये चारे और उनके लिये सस्ते अनाज की राज्य सरकार ने वहां पर कोई दूकान नहीं खोली और इस कारण उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, इसलिये हमारी सरकार इस कार्य में पिछड़ गई।

इसके अतिरिक्त रास्ते में भी जहां पर सस्ते धान की दूकाने थीं वहां पर भी सब जगह धान राशन कार्ड से ही मिलता था इसलिये उनको यह सस्ता नाज भी उपलब्ध नहीं हो सका क्योंकि उन गरीबों के पास राशन कार्ड कहां थे? अतः एक तो गेम सेक्चुअरी में उनके मवेशियों को चरने की इजाजत नहीं मिली और दूसरी बात यह कि झालावाड़, पाटन और रायपुर में सरकार उन लोगों के लिये खाने का इन्तजाम तक नहीं कर सकी। उनको गुड़, शक्कर तो मिलना दूर रहा उन लोगों को सस्ता नाज भी नहीं मिल सका क्योंकि उनके लिये सरकार ने अलग से प्रबन्ध नहीं किया था और चूंकि नाज राशन कार्ड पर ही मिलता था इसलिये उनके पास राशन कार्ड नहीं होने से उनको सस्ते नाम उपलब्ध करने का लाभ भी नहीं मिला, इससे उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ी।

(श्री गोविन्दसिंह)

इसके अलावा एक बड़ी भारी परेशानी उनको इसलिये उठानी पड़ी कि जब वे उन लोगों के पास जाकर जो पहले अकाल के समय वहां गये थे और बस गये उनके पास जाकर ठहर गये तो उनको वहां पर कोई काम नहीं मिला और न सरकार की तरफ से उनके जानवरों के लिये चारे व उनके लिये सस्ते नाज का प्रबन्ध था। अतः मजबूर होकर उनको अपने पास के पैसों से ही इन्तजाम करना पड़ा। इसके अतिरिक्त वहां के रहनेवालों ने उनको किसी प्रकार की मदद नहीं दी। इसलिये अच्छा तो यह होता कि जिस प्रकार से आपने अकाल ग्रसित एरिया में काम छेड़ा उसी प्रकार वहां पर भी उन लोगों के लिये कोई काम शुरू कर देते तो उससे वहां के लोग भी उनको मदद देते क्योंकि जिस गांव में वे बसे उन गांव वालों को यह महसूस होता कि उनके यहां पर आने से उन्हें भी मजदूरी मिली है। इस तरह का गवर्नमेंट को वहां पर इन्तजाम करना चाहिये था, मगर कोई इस तरह का इन्तजाम नहीं किया गया।

इस तरह से उनके जानवरों के लिये भी चिकित्सा का भी कोई इन्तजाम सरकार की तरफ से नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, यह इलाका झालावाड़ से जाकर मिलता है और वहां पर लोगों को कारोबार का सब मवेशियों पर ही निर्भर है। उन लोगों में इस प्रकार की भावना है कि किसी जानवर के किसी प्रकार की बिमारी हो जाती है तो वे लोग इस बात का शक करने लग जाते हैं कि यह रोग सभी मवेशियों में फैल जावेगा और मवेशी मर जावेंगे। जैसे यहां से जानेवाले लोगों के मवेशियों के पैरों में पक्की सड़क होने और जल्दी जल्दी चलने से उनके पैर फट गये और उनसे खून निकलने लग गया था तो उससे लोग समझते थे उनके जानवरों को भी उससे भयंकर बीमारी होने वाली है। इसलिये अगर सरकार कोई डॉक्टर का प्रबन्ध करती तो उनके जानवरों को राहत मिलती और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार का भी यह फर्ज था कि उनके जानवरों की देख-रेख के लिये किसी डॉक्टर का प्रबन्ध करती और अब भी जो जानवरों के पैरों में खून आने की तकलीफ है उसका इलाज कराती। मगर सरकार यह प्रबन्ध नहीं कर सकी। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार उनके मवेशियों को अब भी चैक अप करे और उनके इलाज के लिए प्रबन्ध कराए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोगों में ऐसी धारणा हो जावेगी कि उनके जानवरों को भी बीमारी लग जावेगी और लोग उनके जानवरों को वापिस उधर से नहीं जाने देंगे। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से उन जानवरों को चैक अप कर लिया जावे। इसका प्रबन्ध होना चाहिए। जो हुआ सो तो हुआ। उन लोगों को शक्कर व गुड़ तो मिलना दूर रहा, खाने के लिए अनाज तक नहीं मिला। मगर खैर ? वह समय भी निकल गया। आगे भगवान की मर्जी है, न मालूम ऐसा वक्त आए और किस वक्त क्या हाल हो। मगर सरकार को चाहिए था कि जिन लोगों ने अकाल पीड़ितों को वहां ठहराया वहां पर २० या २५ लाख रुपया उन लोगों के लिये खर्च करने का प्रबन्ध करती। जहां राजस्थान सरकार ने १३ जिलों में ४.७५ लाख रुपया खर्च किया तो २० या २५ लाख रुपया इन लोगों के लिये और इनके मवेसियों को आराम के लिये खर्च करती तो और भी अच्छा रहता।

(श्री गोविन्दसिंह)

इसके अतिरिक्त मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसे समय में जंगलात का सहयोग उन लोगों के साथ होना बड़ा जरूरी होता है। मगर जंगलात वालों ने हर जगह हदबन्दी कर रखी थी और उन्होंने उनके मवेशियों को जंगल में चरने नहीं दिया। रेवेन्यू में काबिल काश्त जमीन होती है वहां पर जानवरों को चरने नहीं देते, लेकिन चरनोट की अलग जमीन होती है। जंगलात वालों ने जो भी बाहर के लोग मवेशी लेकर जाते थे उनके मवेशियों को चरने नहीं दिया। जंगलात वालों ने ऐसा करके उनके मवेशियों को और उनको बहुत तंग किया। उनका रवैया अच्छा नहीं रहा। मैं तो यह समझता हूं कि जहां राज्य सरकार ने इतना रुपया खर्च किया तो सरकार एक-दो अफसरों को और मुकर्रर कर देती जो उन लोगों को बाहर गये थे, देख-रेख करते कि उनकी स्थिति किस प्रकार है, अकाल ग्रसित लोग सिर्फ झालावाड़ में ही नहीं रहे, ये इन्दौर व उज्जैन में भी रहे और वहां पर उन्होंने अपने खुद के पैसों से अपना प्रबन्ध किया। उनके पास पैसा न न होने से बड़ी दिक्कत का उनको सामना करना पड़ा।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार का यह भी फर्ज होता है कि वह अपने लोगों की देख-रेख और सुविधा का आदि का ध्यान रखे चाहे वे लोग कहीं भी जावें। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने किसी भी सरकारी अधिकारी को उन लोगों को यह भी पूछते हुए नहीं देखा कि उनकी क्या हालत है। मैं इस पर सदन का विशेष समय नहीं लेते हुए यही निवेदन करूंगा कि जो कुछ राज्य सरकार ने खर्च किया उसके लिये तो हमारी सरकार बधाई की पात्र है ही, लेकिन अच्छा होता यदि उन इलाकों में जाकर कुछ सरकारी अधिकारी उनकी देख-रेख करते और उनके लिये वहां पर भी कुछ पैसा खर्च किया जाता तो यह सरकार के लिये और भी अच्छा रहता और सोने में सुगन्ध होती। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि ४॥ बजे के बाद मुखबन्ध का प्रयोग किया जायगा और उस दृष्टि से अपने भाषणों को नियन्त्रित रखें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, बाजार) : जिनके कट मोशन्स हैं उनके अलावा बोलेंगे तो एक ही डिमाण्ड पूरी होगी, इसलिए अलग अलग डिमाण्ड का समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अलावा तो नहीं बोल रहे हैं, जिनके कट मोशन्स हैं वे ही बोल रहे हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा जो फेमिन रिलीफ वर्क फेमिन इफेक्टेड एरियाज़ में किया गया उस ओर बैठने वाले माननीय

सदस्यों ने अपने कट मोशन्स के जरिये जो कुछ कहा.......

श्री उपाध्यक्ष : पांच-पांच मिनिट से ज्यादा नहीं लें तो अच्छा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पांच मिनिट में तो नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : ५ मिनिट काफी हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : दूसरे तो १५-१५ मिनिट, २०-२० मिनिट बोले हैं ......

श्री उपाध्यक्ष : But now I shall not permit it.

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अगर सबके साथ एक सा बर्ताव हो, अगर एक ही तरह से सबको देखा जाय तो कोई बात नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आप ले लेना।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : तो फेमीन रिलीफ में जो कुछ भी राजस्थान सरकार की तरफ से किया गया, उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों की स्पीचेज़ से ऐसा मालूम पड़ता था कि राजस्थान सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सूचित कर दूं कि इस व्यवस्था में पूर्व में कभी कभी मुझे भी भुगतना पड़ा है। प्रथम बोलने वाले अपनी जिम्मेदारी समझ कर कितना लम्बा बोलते हैं, यदि वे महसूस नहीं करते तो इसमें आसन का तो दोष नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : राजस्थान सरकार के पास जो साधन उपलब्ध थे रेवेन्यू अधिकारियों के जरिये और दूसरी एजेंसियों के जरिये बहुत कुशलता से कार्य लिया। जितने साधन थे, जितने फेमिन एफेक्टेड एरियाज़ थे उनमें काफी अच्छा काम किया। मैं दूसरे डिविज़न्स की तो नहीं कह सकता, हमारे जोधपुर डिविज़न में जो कार्य किया गया वह बहुत ही अच्छा कार्य किया गया, वहां कई इलाकों में दूर दूर के क्षेत्रों से पानी लाना पड़ता था, हजारों की संख्या में फेमिन रिलीफ का काम करने वाले मजदूरों के लिये पानी का, सिरकियों का और पेमेंट का बड़ा अच्छा इन्तजाम किया गया–पिछले सैंकड़ों वर्षों में ऐसा इन्तजाम नहीं हुआ। ६६ में काल पड़ा था, उसमें जोधपुर स्टेट में इन्तजाम किया गया था उसको देखते हुए जिस कुशलता से इस बार इन्तजाम किया गया लोग सब पुराने इन्तजामात को भूल गये और जिन लोगों के सामने कार्य हुआ है उनके तो हृदय गद्‌गद् हुए बिना नहीं रह सकते। विरोधी पार्टी के लोग कुछ भी कहें, जो अच्छा कार्य हुआ है उसको मिटाया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता और इसका सुबूत हनुमानगढ़ इलाके में मिल गया। सारी विरोधी दल की पार्टियां वहां गईं पर जनता ने उनको सर्टिफिकेट देकर भेजा....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : १० लाख में लिया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जनता द्वारा जो फैसला हुआ उसे शिरोधार्य करना चाहिये

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

इसलिये राज्य सरकार की तरफ से अच्छे कार्य होते हैं तो विरोधी पक्ष के सदस्यों को भी सराहना करनी चाहिये। हां, बुरे कार्यों की आलोचना करें, पर जो अच्छे कार्य हों उनको अच्छा कहने में तो प्रतिष्ठा को धक्का नहीं लग सकता। हमारे जालोर जिले में जो साधन उपलब्ध थे उनको देखते हुए रेवेन्यू एजेंसीज़ के जरिये जो कार्य हुआ वह काफी सराहनीय है।

हमारे सांचोर में ६२ गांव फेमिन से एफेक्टेड थे, कुछ कार्य पंचायत समिति के जरिये फेमिन डिपार्टमेंट से पैसा लेकर किया, वह काफी बाद में शुरू किया गया, कुछ टांकों का पैसा रिलीफ का पंचायत समितियों में मन्जूर हुआ वह बरसात से पहले कम्प्लीट नहीं किया जा सका, जिससे रिलीफ वर्क के पैसे का उपयोग जिस सन्तोषजनक तरीके से किया जा सकता था उस तरीके से नहीं किया इसलिये मैं उप-मन्त्राणीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि टांकों की धनराशि नहीं लगाई गई, एक दो टांके तो अन्डर कन्स्ट्रक्शन थे और बारिश आ गई, उनमें पानी भर गया और वे टूट गये।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : यह एफिशियेन्सी सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : चोतलवाणां, होतीगांव और दूठवा में माइनर इर्रिगेशन का काम हुआ वह कम्प्लीट नहीं हुआ, नदी आई और वह सब बह गया, इससे जो फायदा होना चाहिये था वह नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि समय पर काम चालू होता तो यह हानि नहीं होती।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो ५ मिनट ही हुए हैं, दो मिनट और लूंगा। फोडर पर्चेज़ के लिये तथा पर्चेज़ ऑफ बुलोक्स के लिये तकावी में पैसा दिया गया वह अपर्याप्त था। वहां की कांकरेज ब्रीड सारे राजस्थान ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध है, उस ब्रीड को रिज़र्व करने के लिये पर्याप्त फोडर की व्यवस्था के लिये पर्याप्त पैसा नहीं दिया गया। वहां भवातड़ा में सरकारी बीड होते हुए भी घास का स्टॉक नहीं रखा जाता। मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि भविष्य में वहां घास का पर्याप्त स्टॉक किया जाना चाहिये, नहीं तो दूर से फोडर वहां पर टाइम में नहीं पहुंचता है और जो पहुँचता है वह मंहगा पड़ता है; इस कारण लोग उसे खरीद नहीं सकते। उस इलाके में, दूसरे-तीसरे साल अकाल पड़ता ही रहता है, इस इसलिये आगे के लिये राजस्थान सरकार को वहां फोडर स्टॉक करना चाहिये।

अन्त में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, वह यह है कि कुछ फेमिन रिलीफ वर्क पंचायत समितियों से कराये गये, ३०-४० हजार रुपये का फेमिन डिपार्टमेंट का एड्जस्टमेंट नहीं हुआ है, काम हो गया है पर पेमेंट नहीं हुआ है। वह जल्दी ही किया जाना चाहिये।

इन्हीं मुद्दों को रखते हुए मैं अपना कट मोशन प्रस्तुत करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पोहूमल ईसरदास ।

श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस समय उधर समिति की बैठक में चला गया था ।

श्री उपाध्यक्ष : लास्ट में अलाउ करने की कोशिश करूंगा ।

श्री पोहूमल ईश्वरदास : अकाल के लिये क्या कहा जाय और क्या नहीं कहा जाय, यह समझ में नहीं आता है । अकाल तो राजस्थान में हमेशा पड़ते ही रहते हैं, जब आजकी साइन्स के युग में पहले ही मालूम पड़ जाता है तो सरकार को क्यों नहीं मालूम पड़ता ? सरकार के सब कुछ करते हुए भी जो शाबाशी, मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती, इसका कारण यह है कि, सरकार समय पर मदद नहीं करती, समय पर लोगों को मदद मिल जाय तो खिलाफ बोलने वालों को बोलने का मौका ही नहीं मिले । एक बात यह भी है कि कभी कभी हमारे मंत्री ऑर्डर निकालते हैं कि फलां फलां गांव अकाल घोषित हो, पर वहां पर वर्षा हो जाती है तो वहां अकाल घोषित नहीं करते । आज हर चीज का अकाल है । आज देखते हैं कि कहीं शक्कर का अकाल है, कहीं पानी का अकाल है, कहीं कपड़े का अकाल है, खाने का अकाल, कहीं देखें तो दूसरी चीजों का अकाल है । इस सरकार को यदि अकाल–सरकार कहें तो ठीक रहेगा ।

श्री रामकिशन (वैर) : बिल्कुल ठीक बात पहली बार कही है ।

श्री पोहूमल ईसरदास : पानी के लिये अजमेर में लोग चिल्ला रहे हैं । एक योजना और उसे छोड़ कर दूसरी योजना ले ली...

श्री उपाध्यक्ष : Please confine yourself to Famine Relief.

श्री पोहूमल ईसरदास : तो मेरा मतलब यह है कि इन चीजों का अकाल तभी होता है जब कि समय पर मदद नहीं होती है । इसलिये सरकार के खिलाफ मुझे इतना ही कहना है कि समय समय पर लोगों को ठीक वख्त पर मदद करें तो ठीक रहेगा, फिर किसी को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने कटौती प्रस्ताव पर यही कहना है कि सरकार ने राहत के कार्यों में क्षेत्रीय भावना से काम लिया है । जयपुर जिले में जितनी तहसीलें हैं जहां अकाल पड़ा था किसी भी तहसील को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह सरकार की अच्छी नीति नहीं है । समानता का व्यवहार न करके और क्षेत्रीय भावना का व्यवहार किया जाय, क्या इसी को जनतंत्र कहते हैं ? मैं अपने क्षेत्र जमवा रामगढ़ के लिए कहूंगा । वहां करीब आधी तहसीलों में अकाल पड़ा है । अनाज तो दूर, लेकिन मवेशियों के लिए चारा भी पैदा नहीं हुआ है । इसी बीच में जमवा रामगढ़ में एक बंध है उससे सिंचाई

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

होती थी, उसको हमारी सरकार ने बंद कर दिया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की नीति न करके करीब करीब सभी जिलों में एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, समानता के अनुसार होनी चाहिए। यह सरकार की क्षेत्रीय नीति बिल्कुल बुरी नीति है। इससे लोगों को बहुत ज्यादा निराशा होती है। जब वे देखते हैं कि दूसरी जगह सब कुछ मिल रहा है और हमारे यहां कुछ नहीं मिल रहा है तो उनको बहुत निराशा होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की क्षेत्रीय भावना न रख कर सभी जिलों में जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए उसी तरह से व्यवस्था करें।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चोमू): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस मांग संख्या पर कटौती का प्रस्ताव है। गत साल अकाल सर्दी की वजह से पड़ा, इसलिए जो गेहूं की फसल बननी चाहिए थी वह नहीं हुई और कई बगीचे नष्ट हो गए। लेकिन अकाल पीड़ितों को उनकी हानि के अनुसार सरकार ने सहायता नहीं दी। दूसरा मेरा यह सुझाव है कि राजस्थान में जहां बंजर भूमि हैं उसे काबिल काश्त बना दिया जाय तथा कूए, तालाब, बांध बनाने की योजना सरकार बनाए जो कूएं के लिए लोन पंचायत समिति द्वारा प्राप्त होता है वह तो एक बंदर के आगे चने डालकर उसको फंसाने की तरह होता है। कम से कम ५-६ हजार रुपए कुए के लिए लोन देना चाहिए जबकि इस समय एक, डेढ़ या दो हजार दिया जाता है। तथा जो बीज पंचायत समितियों द्वारा वितरित किया जाता है वह बीज और उन पंचायत समितियों की जो भूमि है वह सभी जगह एकसा नहीं होता है। जो भूमि जहां होती है उसके अनुसार ही बीज पनप सकता है। वही बीज पंचायत समिति को देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: आप अकाल के विषय पर बोल रहे हैं?

श्री भानुप्रसाद कराड़िया: कई पंचायत समितियों में बीज ठीक नहीं है। वहां पनपने योग्य बीज दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: वह डेवलपमेंट का विषय है, वह अकाल का विषय नहीं है।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया: इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां अकाल पड़ा है उन सभी जगहों को समान दृष्टि से देखकर सहायता दी जानी चाहिए और इस साल भी वर्षा न होने के कारण फसल को नुकसान हुआ है; ऐसे किसानों को कुछ राहत मिलनी चाहिए।

मेरा एक विचार और है कि मारवाड़ में काफी भूमि है और वहां पर काफी जंगल है और वहां पर पेड़–पौधे न होने की वजह से बारिश कम होती है, इसलिए उस मारवाड़ इलाके की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री भानुप्रसाद कराड़िया

मेरा आखिरी निवेदन है कि पंचायत समिति गोविन्दगढ़ एक किसानों का इलाका है और वहां पर बगीचे भी काफी हैं, इसलिए वहां पर जो किसानों को नुकसान हुआ है उसके लिए उनको ज्यादा से ज्यादा राहत दी जानी चाहिए। अगर लास्ट ईयर नहीं दिया तो सरकार इस साल पंचायत समिति गोविन्द-गढ़ को ज्यादा से ज्यादा राहत दे और वहां पर बिजली की योजना भी पहुंचनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचंद चौधरी।
(अनुपस्थित)
श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : मेरा एक कटौती का प्रस्ताव इस राज्य सरकार द्वारा अकाल पीड़ितों को सहायता देने में असफल रहने पर है। वैसे मैं अकाल के सारे कारणों और सरकार की असफलता के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि जिस तरह से समय है और भी कई मान-नीय सदस्य भाग लेना चाहते हैं लेकिन मुझे खास तौर से भरतपुर के सम्बन्ध में निवेदन करना है। शीत लहर के कारण भरतपुर के १३०० गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया। शायद ६०–७० साल के अन्दर न कोई वहां अकाल पड़ा है और न सरकार ने कोई सहायता दी है। राजस्थान सरकार ने उस इलाके को अकाल–ग्रस्त तो घोषित कर दिया लेकिन राहत के नाम पर कोई काम नहीं और जो थोड़ा बहुत रुपया मन्जूर किया गया उसकी मन्जूरी जुलाई और अगस्त महीने में पहुंची जब बरसात शुरू हो जाती है। तो एक तरफ राज्य सरकार यह कह सकती है कि हमने अकाल के लिए पैसा दिया, लेकिन उस पैसे का क्या उपयोग हुआ ? न कोई सड़क में पैसा लगाया जा सकता, न कोई छोटी योजनाओं में लगाया जा सकता। सारे राजस्थान में भरतपुर ही एक ऐसा इलाका है, आबादी का दबाव ज्यादा है। जहां एक वर्गमील में ३२५ आदमी रहते हैं, तो ऐसी जगह पर बेरोजगारी निश्चित रूप से रहती है, वहां लोग काम करना चाहते हैं। मेरे दिमाग में क्षेत्रीय भावना नहीं कि उदयपुर के लोगों को ज्यादा तकलीफ हो। लेकिन एक बात सरकार के दिमाग में स्पष्ट कहना चाहता हूं। जहां घनी आबादी है, उद्योग–धंधा नहीं है वहां ऐसा काम जल्दी शुरू कर देना चाहिए जिससे उनको मजदूरी मिल सके। हरिजनों और शिड्यूल्ड कॉस्ट्स की संख्या वहां ज्यादा रहती है। ये सारे लोग भूमि–हीन हैं। एक तरफ अकाल, दूसरी तरफ महंगाई, तीसरी तरफ सरकार की तरफ से कोई राहत का कार्य शुरू नहीं किया गया और जो शुरू किए गये उनमें न तो लोगों को फायदा हुआ बल्कि राज्य सरकार के ५०),६०),७०) हजार रुपये व्यर्थ में गए। सारे कामों का कोई लाभ नहीं हुआ। जो राहत के काम अकाल के दिनों में शुरू करा दिये गये हैं, जहां अर्थवर्क हो गया है, उनको सरकार निश्चित रूप से पूरा कराए और जहां शुरू कर दिया है आगे चलकर सरकार और जनता के लिए फायदा होने वाला है। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार ने अभी घोषणा

(श्री रामकिशन)

नहीं की कि वहां लगान के मामले में क्या छूट दी जायगी।

भरतपुर का सारा जिला एक फसल वाला जिला है। आम तौर पर रबी की फसल वहां होती है। इधर सरकार ने ३१ अक्टूबर तक लगान स्थगित किया है। अगर वसूली शुरू हो गई तो दूसरा संकट किसान पर आ जावेगा। क्योंकि हमारे यहां ज्यादातर इलाके में एक फसल होती है। तो इसलिए ३१ अक्टूबर से पहले सरकार घोषणा करे कि लगान में कितनी छूट वह देना चाहती है? नहीं तो कर्जों की वसूली से भी संकट खड़ा होने वाला है। ३१ अक्टूबर तक चूंकि अकाल पीरियड था, वह समाप्त होने पर पुराना कर्जा वसूल करेंगे। जो देने वाले हैं, आमदनी का जिनका और जरिया है, ज्यादा जमीन है उनसे वसूली हो तो विरोध नहीं; सरकार को भी रुपया चाहिए, खजाने में पैसा चाहिए। आपकी जरूरतें समझते हैं, परन्तु जो छोटे तबके के लोग हैं, जिनके पास और साधन नहीं हैं, और एक फसल होने से जिनके पास कोई आमदनी नहीं हुई है उनसे अगर वसूली की गई तो पूर्व यू. पी. जैसी भुखमरी की हालत वहां भी फैल सकती है। इस सम्बन्ध में भी सरकार विचार करे।

तीसरी बात, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि यह सरकार तो अकाल की सरकार है। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह सरकार फ्लड, फेमीन और करप्शन की सरकार है। इसके पास इनकी कोई योजना नहीं है। फेमीन पड़ा तो सरकार ने कह दिया फेमीन पड़ा है, बरसात थोड़ी हो गई तो कह दिया बरसात हो गई, किस्मत अच्छे हैं। अब सब अच्छा है। योजना और फूड मन्त्री की घोषणा हो गई कि सब अच्छा है– सब ठीक ठाक है।

जब तक आपके भाखरा और दूसरी सिंचाई योजनाएं ठीक नहीं होंगी तब तक राजस्थान में अकाल पड़ते रहेंगे। इसलिए इस लगातार यहां पड़ने वाले अकालों को रोकने के लिए सरकार के पास कोई ठोस निश्चित योजनाएं इसकी होनी चाहिए, दूरगामी योजनायें होनी चाहिए। चीन की सरकार कुओमिन्तांग की सरकार फ्लड, फेमीन की सरकार कहाती थी। पर कम्यूनिस्ट सरकार जब आई तो फेमीन तो होते है, पर उनको रोकने के लिए, उनका मुकाबला समय पर करने के लिए पूर्व निर्मित योजनाएं उनके पास हैं। उन्होंने योजनाएं तो बनाई हैं। चीनी दूतावास के परिपत्रों में ये योजनायें बताई जाती हैं कि इन इन इलाकों में अकाल पड़ सकता है और उनके लिए हमारी ये योजनाएं हैं।

पर यहां ऐसा है; मुख्य मन्त्री ने बयान दिये कि हर बारह साल में राजस्थान में अकाल की साइकल आती है। मैं पूछता हूं मुख्य मन्त्रीजी से कि जब आपको ज्योतिषी की तरह यह मालूम है कि हर बारह साल में राजस्थान में अकाल की साइकल आती है तो फिर जानते हुए, इसके रोकने के लिए आपने क्या प्रयत्न किये उस वक्त से। जब आपकी जानकारी इतनी गम्भीर है तो क्या किया आपने इसको रोकने के लिए? कोई अकाल को रोकने के लिए योजना बनाई

(श्री रामकिशन)

आपने ? कोई कार्यक्रम नाम की चीज की आपने ? बरसात ज्यादा हो गई तो और नहीं हुई तो कुछ नहीं। जब लोग त्राहि त्राहि करने लगेंगे तब यहां से जीपें दौड़ेंगी इनकी, इन्जीनियरों के दौरे होंगे, मिनिस्टरों के चक्कर लगेंगे। अकाल कमिश्नर का पद इतनी दौड़ धूप करने के बाद स्थापित कर दिया जावेगा और हो गई इनके कर्तव्य की इति श्री। और जब तक यह सब कुछ होगा तब तक फेमीन में हजारों लाखों लोग ग्रस्त हो जावेंगे, मर जावेंगे। संकट के लिए तत्काल कुआ खोदना, यह कोई अक्लमन्दी नहीं है, यह कोई व्यवस्था नहीं है, यह कोई योजना का नाम नहीं है। योजना उसे कहते हैं जो भविष्य में आने वाली स्थिति का, अच्छी या बुरी जैसी भी हो, मुकाबला अच्छी तरह से किया जाय। भविष्य की व्यवस्था करना यह सामान्य अर्थ है योजना का। जब आप ज्योतिषी की तरह जानते हैं कि १२ साल में अकाल की साइकल राजस्थान में आने वाली है तो फिर आपकी इसके लिए क्या योजनायें हैं, क्या तैयारियां हैं ? चौथी योजनाओं में आप बान्ध नियन्त्रण की योजना कर रहे हैं, पर वैसे अकाल रोकने की आप क्या व्यवस्था करना चाहते हैं? जो प्रारूप इसका अखबारों में देखने आया है उसको देखने से मालूम पड़ रहा है कि ऐसी कोई योजना आज भी सरकार द्वारा नहीं की जा रही है।

राजस्थान ऐसी जगह है जहां अकाल पड़ते रहते हैं। तो इस अकाल को रोकने की व्यवस्था और जगह को योजनाओं में हो या नहीं, इससे हमें मतलब नहीं, पर हमारे यहां तो इस संकट के लिये योजना में ठोस व्यवस्था होनी चाहिये ताकि इस संकट से बचा जा सके; नहीं तो लोग इसी तरह से हैरान होते रहेंगे, आग लगने पर आप भी कुआ खोदने की तैयारी करते रहें; इससे कुछ होने वाला नहीं है। यह हम देख रहे हैं।

इस साल राजस्थान के कई क्षेत्रों में अकाल पड़ा उसमें क्या क्या दिक्कतें हुई इस तरह की कोई निश्चित और ठोस योजना के अभाव में, यह हमने देखा है। श्रम कानूनों के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया, वह नुकसान जब नोटिस में आया तो विज्ञप्ति निकाली कि मजदूरी का पूरा पैसा देना न पड़े। आर्डिनेन्स वगैरह निकाले। सरकार को अधिकार है, निकाल दे। पर जब सरकार वादाखिलाफी वाली सरकार बन जाती है तो जनता में सरकार का प्रतिष्ठा गिर जाती है, उसकी बातों का भरोसा नहीं करता कोई। आज इसी तरह मजदूरों को इस सरकार की बातों पर भरोसा नहीं है। आप भले ही वादा खिलाफी करके थोड़ी रकम इकट्ठी कर लें। आप इकट्ठी भी करते हैं तो लोग उसके लिये भी यह समझते हैं कि सरकार के अफसर, सरकार की मशीनरी इस आमदनी को भी भ्रष्टाचार फैला कर खा जावेगी। तो इसलिये पैसा इकट्ठा नहीं होता। करोड़, दो करोड़ को लालच में पड़कर सरकार बहुत कीमती विश्वास, वादा खिलाफ करके न गंवाए। यह आदत वह छोड़ दे। दुनियां की सरकारें विश्वास से चलती हैं, वादा निभाती हैं, वादा खिलाफी नहीं करतीं। यह कांग्रेस की सरकार चली जावेगी तो क्या हुआ, दूसरी आने वाली सरकार, चाहे कैसे भी वादे उसने किये हों

(श्री रामकिशन)

उनको निभावेगी और इसी तरह सरकार चलावेगी। जो सरकार वादा तोड़ेगी तो उसकी साख जावेगी।

एक बड़े अमेरिकन अधिकारी से मेरी बात हुई। मैं वैसे इन लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करता। दिल्ली के जलपानगृह में बैठे थे;तो राजस्थान के श्रम कानून के बारे में जो वे देखकर गये थे यहां, कहने लगे कि वे इससे राजी नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): ज्यादा बात क्यों नहीं करते?

श्री रामकिशन: इसलिये कि मैं गरीब हूं। सरकार ने विज्ञप्तियां, ऑर्डिनेन्स निकाले। वे उनका हाल बीकानेर के इलाके में देख कर गये। तो जो वादाखिलाफी वाली सरकार होती है उसके किसी कर्म पर भरोसा नहीं किया जाता। तो मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के मुख्य मंत्री वादाखिलाफ होते रहते हैं, हां ऐसे मन्त्री होते रहते हैं। पर दूसरे मन्त्री हैं उनको नहीं करना चाहिये। उनको तो एक-दो साल में जाना है। दस साल काम कर लिया। २८ तारीख को प्रस्ताव (अविश्वास) ला रहे हैं। केरल की तरह यहां के कांग्रेसी भी बहादुर हैं। वे हमारा साथ देंगे, इस भ्रष्टाचारी सरकार को समाप्त करने के लिये। पर शायद है यह टिकी रह जावे, वे ऐसे बहादुर न निकल पावें।

एक माननीय सदस्य: सदन का कोरम पूरा नहीं है।

(गण-पूर्ति के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बोल सकते हैं।

श्री रामकिशन: तो मेरा निवेदन है, तीन बातें भरतपुर के बारे में मैंने निवेदन कीं। अन्य जगहों के बारे में नहीं, वहां की स्थिति तो सब लोग गम्भीरता से जानते हैं। तो भरतपुर के लिये आज ही घोषणा हो जानी चाहिये की लगान में छूट वहां कितनी दी जा रही है। अगर नक्शा तैयार नहीं है, तो दुबारा तैयार करवा लें कि भरतपुर में कितना नुकसान हुआ। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि भरतपुर की इन तीन-चार तकलीफों पर ध्यान दें और नीति घोषित करें कि आगे से उसका आचरण इस प्रकार का होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
(अनुपस्थित)
श्री गंगासिंह

श्री गंगासिंह: उपाध्यक्ष महोदय, जिले में कम से कम तीन चौथाई हिस्से में बहुत ही भयंकर अकाल था नागौर जिले में। इसमें जहां पर स्क्रुटिनी करके अकालग्रस्त एरिया घोषित करना चाहिए था नहीं करके मनमाने तौर पर अकाल ग्रस्त एरिया घोषित किया गया, जिसके फलस्वरूप लोगों की तरफ से दरख्वास्तें पेश हुईं।

कलेक्टर महोदय वापिस जांच के लिये भेजे गये। महसूस किया उन्होंने। उन्होंने

(श्री गंगासिंह)

रिकमन्डेशन्स कीं। आश्वासन सरकार ने भी दिया था, पर वह एरिया अभी तक अकाल-ग्रस्त घोषित नहीं किया गया, न अकाल के समय जो सुविधाएं दी जानी चाहिये थीं, वे दी गई। इसके अतिरिक्त जो एरिया अकाल ग्रस्त घोषित किया गया उसमें भी जो कार्य हुए वे भी बिल्कुल ठीक तरह से नहीं हो सके थे। पैसा जिसमें दिया गया उसका बहुत अंश में दुरुपयोग किया गया। डेवलपमेन्ट वर्क के लिये पी० डब्ल्यू० डी० के इन्जीनियर के मार्फत कार्य हो रहा था सड़कें बनाई जा रही थी उनमें फर्जी मस्टर रोल बनाये गये, हाजरियां फर्जी बनाई गई और इस तरह से बहुत सा पैसा फिजूल गया, गबन उसका किया गया; जिसके बारे में कलेक्टर को भी बार बार दरख्वास्तें दी गई और ध्यान उनका इस ओर आकर्षित किया गया, पर उन्होंने भी उस पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया।

(४.०० म० प०)

यहां तक शिकायतें आई हैं कि इन्जीनियर्स तथा ओवरसीयर्स फर्जी हाजरी बनाते थे और एक आदमी ने खुल्लमखुल्ला कलेक्टर को शिकायत की तो उस शिकायत पर उसकी मारपीट की गई और जब वह बाहर निकल रहा था उस समय उसकी जान का खतरा हो गया था और क्रिमिनल केस भी इस संबंध के अन्दर दर्ज किया गया था। इस सब वातावरण से मैं यह महसूस करता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि जो पब्लिक मनी था उसका बहुत ही मिस-एप्रोप्रियेशन किया गया था और इसके लिए अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई है जो कि सारे का सारा पैसा खर्च हो सकता था इसके आंकड़े ले सके। मेरा यह सरकार को सुझाव है कि जो सड़कें नागौर डिस्ट्रिक्ट में बनीं उन सड़कों का ध्यान रखें तो आपको महसूस होगा कि आपका १।४ काम भी पैसे के हिसाब से नहीं हो सका। इसके कारण भी सरकार को मालूम करना बहुत जरूरी है। जब काम शुरू हुए थे उस समय काफी हद तक काम सही ढंग से हुए थे और इसके कारण कुछ इसके अन्दर गड़बड़ियां होने लगीं, उसी समय उनको पकड़ना जरूरी था जो कि पकड़ी नहीं गई, जिसके कारण लोगों ने जैसा चाहा वैसी गड़बड़ी करते रहे और उस समय में हजारों रुपयों का गबन किया गया और उसके लिये अभी तक किसी तरह की इन्क्वायरी नहीं बैठी है हालांकि इस संबंध में राज्य सरकार का और कलेक्टर का ध्यान आकर्षित कर दिया गया था। मैं यह महसूस करता हूँ कि इस अकाल के अन्दर फाइन लेबर नहीं मिल सकती। जिस लेबर को आप सड़कों पर काम में लेते हैं और अकाल के समय में जो लेबर आप लगायेंगे तो वह काम कम करेगा। लेकिन साथ ही साथ जो रुपया आपकी सड़कों पर खर्च हो रहा है और जो लेबर-आउट-पुट हो रहा है उसको मद्देनजर रखना चाहिए और कन्सेशन देते हुए भी कि फेमिन लेबर ज्यादा काम नहीं कर सकेगी उस लिहाज से देखें तो जो काम नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है वह बहुत कम हुआ है और इसकी इन्क्वायरी की जाये तो आपको मालूम होगा कि इसके अन्दर फर्जी तौर पर हजारों रुपयों का गबन किया गया है। तो मैं राज्य सरकार का ध्यान इसके लिए आकर्षित करूंगा कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जाये और जो सड़कें

(श्री गंगासिंह)

बनी हैं और उसके अन्दर जो मस्टर रोल्स बने हैं उनमें कितनी फर्जी कार्यवाही की गई है उसके लिए कुछ न कुछ एक्शन लेना बहुत जरूरी है।

इसके साथ ही साथ जो फेमिन के अन्दर सड़कें वगैरह बनी हैं और दूसरे काम किये गये हैं उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। आपकी जो सड़कें बनी हैं उनके अन्दर मुर्ड न डालकर मिट्टी डाल दी गई। और इसके कारण आपकी सड़कें अभी से खराब हो चुकी हैं। अभी एक वर्षा के अन्दर ही बड़े बड़े खड्डे पड़ गये हैं और मिट्टी बहकर चली गयी और इससे राज्य का बहुत भारी नुकसान हुआ है और सही माने में पैसों का दुरुपयोग किया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपका ध्यान फेमिन के उन वर्क्स की तरफ दिलाऊंगा जो कि फेमिन के समय खोल दिये गये थे। लेकिन अभी तक वे पूरे नहीं हुए हैं। अगर फेमिन वर्क्स में ८-१० मील की सड़क भी पूरी नहीं की गई तो जो लाखों रु० फेमिन के ऊपर खर्च हुए हैं वे किसी उपयोग में नहीं आ सकेंगे। इसके लिए मेरा अनुरोध है कि जो सड़कें आपने फेमिन वर्क्स के अन्तर्गत ली हैं वे पूरी कराई जायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और नागौर डिस्ट्रिक्ट का जहां तक संबंध है वहां पर सड़कों का कुछ अंश तो पूरा हो गया और कुछ अंश बाकी रह गया है उसका पूरा कराना जरूरी है, नहीं तो २-३ साल में ये सड़कें नष्ट हो जायेंगी और जो सड़कों का काम आपने किया है वह पूरा नहीं हो सकेगा।

इसके साथ ही साथ मैं सरकार का इस ओर भी ध्यान दिलाऊंगा कि कुछ आपकी बजरी वगैरह और कुछ मैटीरियल पड़ा हुआ है और वह सड़क के ऊपर नहीं पड़ा है। उनको सड़कों के ऊपर डलवाने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ एक्शन लेना जरूरी है, नहीं तो जो सड़कों के आसपास मुरड़ पड़ी है वह खराब हो जायेगी और जो आपका हजारों रुपया लग रहा है वह यों ही रह जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Government reply please.

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री, अकाल सहायता) : माननीय उपाध्यक्षजी, मांग संख्या २६ के संबंध में सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने अकाल सहायता कार्यों के ऊपर संतोष प्रकट किया, कुछ ने बड़ा रोष प्रकट किया और कुछ ने सरकार के खिलाफ बहुत सारी तथ्यहीन और गलत बातें पेश कीं। कुछ माननीय सदस्यों ने अकाल को कम किये जाने संबंधी, यानी अकाल न पड़ सके और लोगों को इस विपत्ति से बचाया जा सके, इसके संबंध में कुछ भावी योजनायें और लम्बी योजनाओं के बारे में भी सुझाव पेश किये।

मैं सबसे पहले उन माननीय सदस्यों की आपत्तियों का जवाब देना चाहूंगी जिन्होंने

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

कुछ मुद्दे उठाकर सरकार के कार्यों के प्रति कुछ आपत्तियां पेश की हैं। खास तौर से पांच-चार बातें माननीय सदस्यों द्वारा कही गईं। कुछ माननीय-सदस्यों ने बताया कि सरकार ने इलाकों को अकालग्रस्त घोषित करने में पक्षपात पूर्ण नीति बरती और कुछ कांग्रेसी मेम्बरों के इलाकों में जो फेमिन में मजदूरों को मजदूरी दी गई वह ज्यादा दी गई और जो गैर कांग्रेसी मेम्बरों के क्षेत्र थे उनमें मजदूरी कम दी गई। फिर यह भी कहा गया कि वहां पर चुनाव हो रहे थे और कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि सरकार ने जो ऑर्डिनेन्स लागू किया वह इसलिए किया कि इन्होंने बहुत से काम गलत कर लिए थे और कुछ आपत्ति-जनक बातें की थीं, उन सब को ढकने के लिए यह ऑर्डिनेन्स बना लिया। कुछ ने यह कहा कि बहुत से गलत आंकड़े पेश किये और कुछ गलत हाजरियां पेश की गईं और भ्रष्टाचार हुआ और न जाने कितनी कितनी बातें माननीय सदस्यों ने यहां पेश कीं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये हाउस को बताना चाहती हूँ कि न तो राज्य सरकार ने इलाकों को अभावग्रस्त घोषित करने के संबंध में इस बात का ख्याल रखा कि फलां इलाके से क्योंकि कांग्रेसी सदस्य है इसलिए उसको अभावग्रस्त घोषित करना चाहिए और फलां क्षेत्र जिसमें कांग्रेसी सदस्य नहीं है उसको अभावग्रस्त घोषित न किया जाये। इसके अलावा यह भी एक माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि कई सरकारी अफसरों को दबाव दिया गया कि वह अपनी रिपोर्ट अमुक प्रकार की दें, मगर ऐसी बात कोई नहीं हुई।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि श्री हरिदेव जी जोशी ने कलेक्टर को धमकाया कि यहां पर यह इलाका अभावग्रस्त नहीं होना चाहिए और अगर तुमने इसको अभावग्रस्त घोषित करवा दिया तो तुम्हारी नौकरी की खैर नहीं। इस तरह की गलत बातें कहना सही नहीं है। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि ज्यादातर इलाके ऐसे थे जहां से गैर सरकारी सदस्य थे और उनको अभावग्रस्त घोषित किया गया और इस प्रकार का इलाका गैर सरकारी सदस्यों का ज्यादा था। आप खुद गिन सकते हैं और कितनी ही जगह जहां कांग्रेसी सदस्य का इलाका था और उनको हम अभावग्रस्त घोषित कर सकते थे लेकिन उनको नहीं किया गया और सभी अभावग्रस्त क्षेत्रों में अच्छे से अच्छा इन्तजाम किया गया।

श्री विजयसिंह झाला (नाथ द्वारा): आप तो इतना बतादें........

श्रीमती कमला बेनीवाल: मैं बीच में कोई बात नहीं सुनूंगी, आप विराज जाइये। मेहरबानी करके सुनने की क्षमता भी रखें।

मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हमारे फेमिन के जो रिलीफ कानून हैं उनके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जिलाधीशों को यह कहा गया और जिलाधीशों ने उसके अनुसार ही जैसी स्थिति थी वैसी ही रिपोर्टें भेजीं और उन रिपोर्टों के अन्तर्गत चाहे किसी भी माननीय सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र हो जहां भी ८ आने से कम फसल का नुकसान पाया गया वहां अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया और अकाल सहायता के समस्त कार्य जो किसी भी इलाके में किये जा सकते थे वे यहां भी

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

किये गये। मैं आपको पहले बताना चाहूंगी। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अकाल सहायता कार्यों को नहीं किया गया जब कि अकाल सहायता कार्य पूर्ण हो चुके हैं और लोगों को पूर्ण संतोष है और मेरे विचार में यदि वे कहते हैं कि कार्य पूरे नहीं हुए हैं, यदि वे ऐसा न कहें तो उनकी दुकानदारी खत्म हो जाये और वे नेता न रहें। इस तरह की बातें कह कर वे जनता को उभारने की कोशिश करते हैं, गलत बातें लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि लोगों को एक इलाके में जो है कुछ तनख्वाह दी गई, कुछ भुगतान किया गया है और दूसरे इलाके को भुगतान किया गया है। भीलवाड़े में जो चुनाव हुए उन दिनों में वहां पर ३–३ साल और २–२ साल के बच्चों को पूरे आदमी की तनख्वाह दी गई; मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह सरासर गलत बात है और हमने कोई ऐसे कार्य भीलवाड़े में चुनाव के वक्त में जैसा कि आप बयान करते हैं नहीं किये हैं। मैं इसलिए आपसे कहना चाहती हूं कि जो बातें आप कहना चाहते हैं वे बातें आपने वहां पर भी फैलाने की चेष्टा की थीं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहती हूं कि कुछ इलाकों में जो तहसील राहत कमेटियां थीं उन्होंने फेमिन कोड को एक पर्टीक्यूलर धारा के तहत में जो फैसला किया है और उस फैसले के तहत आधे दिन की छुट्टी को पूरे दिन की छुट्टी मान कर काम करने का पेमेन्ट किया। तो इलेक्शन के दौरान में जब राज्य सरकार की निगाह में यह बात आई तो उस चीज को रोका और जो कि पेमेन्ट हिसाब से ज्यादा हो गया था उसको दूसरे हिसाब में काटने की कोशिश की गई। यह उस वक्त में किया गया। अगर हम यह समझते कि इलेक्शन में ज्यदा पेमेन्ट करने को बात होती तो कटौती का आदेश नहीं होता। तो समझने की आप कोशिश करें कि हम इलेक्शन के दौरान में भी गलत बातों को दुरुस्त करने की हिम्मत रखते है और गलत पेमेन्ट्स को वापिस काटने की हिम्मत रखते हैं। चुनाव के दिनों में गलत पेमेन्ट कैसे करवा सकते हैं, यह आपके और हमारे सोचने की चीज है।

फिर कहते हैं कि बहुत दिनों से पेमेन्ट नहीं हुआ था और जब चुनाव हुआ तो कहा गया कि पेमेन्ट लेने फलां तारीख को आओ और पेमेन्ट लेते वक्त लोगों से वायदा करवाया कि वोट कांग्रेस को दो; मैं आपको बताना चाहती हूं, मैं उस इलाके में घूम कर आई थी तो चुनाव के दो दिन पहले पेमेन्ट हुआ और दो दिन बाद में भी पेमेन्ट हुआ और १० दिन बाद में भी पेमेन्ट हुआ। कोई मतलब नहीं हुआ कि चुनाव होता है तो लोगों का पेमेन्ट बन्द कर दो। १२ दिन में पेमेन्ट होना जरूरी था वह १२ दिन इलेक्शन के दिन हो या इलेक्शन के बाद का दिन हो इस बात की परवाह नहीं की जाती है। आप गलत बातें कहते हैं कि पेमेन्ट बन्द करवा दिया और इस तरह से इस हाउस में एक गलत फिजां पैदा करना चाहते हैं। ऐसी तथ्यहीन बातों से न सरकार पर आंच आने वाली है और न आपकी इज्जत बढ़ने वाली है।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही....

(राज्य-पक्ष द्वारा मेजें थपथपाने पर)

श्री उमरावसिंह ढावरिया (बनेड़ा) : तबलची तो बहुत अच्छे बिठा रखे हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : तबलची तो आप पैदा करते हैं और वह आपके लिए हानिकर है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह नगर) : पैदा तो ये करते हैं, लेकिन सम्भाल आप लेते हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि हमने बहुत सी जगहों पर लोगों को जान बूझ कर पेमेन्ट नहीं किया और कुछ जगहों पर फर्जी सूचियां बनाई; जो लेबर काम पर नहीं था या जिनका नाम नहीं था ऐसे लोगों की सूचियां बना लीं। जहां पर भी ऐसी बात हमारी निगाह में आई तो उसको चेक किया। लेकिन आप जो चीज बताते हैं वे फर्जी सूचियां मौजूद नहीं हैं। लोगों में केवल एक बात पैदा करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हो गया और सरकारी कर्मचारी कितना पैसा खा गये; ५० लाख रुपया इस वक्त मांगते हैं और दो करोड़ भी मांगते तो दे देते, हमें कोई एतराज नहीं होता, लेकिन राज्य सरकार बहुत गलत काम करती है इसलिए ५० लाख रुपये की रकम नहीं देना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमको भुलावे में रखा। २० हजार रुपये हमारे यहां पर आ रहे थे और २० हजार रुपये आ भी गये लेकिन कलेक्टर को कह दिया कि अगर तुमने वितरित कर दिया तो तुमको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जायगा। जो इलाका अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया तो पहले तो उसके लिए रकम मन्जूर होना कोई मतलब नहीं रखता है। दूसरे अगर रकम मन्जूर भी हो जाय तो उसको लगायेंगे कहां? जब तक अकाल-सहायता कार्य मन्जूर नहीं होते हैं तब तक रकम जाने का सवाल पैदा नहीं होता है? इसलिए गलत धनराशि आ गई तो वह वहां पर लगेगी नहीं।

कुछ माननीय सदस्य ने एक मुद्दा उठाया कि अकाल-सहायता के अन्तर्गत कुछ सड़कें बनाई गई और इर्रिगेशन के जरिये कुछ काम हुए हैं वे अधूरे रह गये है। बहुत सी जगह पर अर्थवर्क किया हुआ पड़ा है, बहुत सी जगह पर तालाब अधूरे बने हुए पड़े हैं, इस लिए राज्य सरकार को चाहिए कि उनको पूरा करवाये जिससे कि जिस मद में वह पैसा खर्च हुआ है उसका सदुपयोग हो सके। हम भी इस बात से चिन्तित हैं और सभी कलेक्टर महोदयों को यह इत्तिला भेजी हुई है, उनको यह कहा हुआ है कि आपके इलाकों में जितनी भी अधूरी सड़कें जिन पर अर्थ वर्क ही हुआ है या मुरड़ ही पड़ी हुई है उनके आंकड़े कलेक्ट किये जायं। एक बार जो स्थिति स्पष्ट हो जायगी तो उसके बाद में वित्तीय हालत को देखते हुए जो भी इम्पोर्टेन्ट सड़कें हैं; जैसे ब्लॉक हैड क्वार्टस या डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टस को जोड़ती हुई सड़कें हैं उनको

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

टेक अप कर सकें। अभी श्रीनगर में ट्रांस-पोर्ट एडवाइज़री कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें हमने यह मुद्दा उठाया कि राजस्थान एक बोर्डर एरिया है और यहां के अधिकतर इलाके में अकाल पड़ता रहता है इसलिए खास तौर से नाज पहुंचाने के लिए, चारा पहुंचाने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए या अन्य साधन-सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़कों की बड़ी आवश्यकता है। इसमें विशेष रूप से अगर भारत सरकार मदद करे तो बहुत उम्दा होगा। उन्होंने कुछ बातें मन्जूर की हैं। उधर से राज्य सरकार को मदद मिल सकेगी तो ज्यादा कार्य कर सकेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति की है कि इस दौरान में न तो उस एरिया में चीप ग्रेन शॉप्स का इन्तजाम किया, न मवेशियों के लिए चारे का इन्तजाम किया और न जो लोग और मवेशी यहां से गये हैं उनके बारे में इन्तजाम हुआ है। मैं आपको अर्ज करूं कि जहां जहां से मवेशी गये हैं उनके लिए इन्तजाम किया है पानी का, चारे का और मैं अर्ज करूं कि इन्दौर के पास में भी लोग जाकर फैले हुए हैं और वहां पर रोज़गार में लगे हुए हैं तो वहां पर बराबर राज्य सरकार के अधिकारीगण ने जाकर लोगों को सम्भाला है, और सारे रूटस पर मवेशियों के लिए चारे, पानी व इलाज का व लोगों के लिए चीप ग्रेन शोप्स का इन्तजाम किया है। मैं समझती हूं कि माननीय सदस्यों ने उसको कहीं भी नहीं देखा है और यहां आकर लोगों को गुमराह करते हैं। राज्य सरकार ने इन्दौर तक पहुंचने की चेष्टा की है कि कोई आदमी वहां तक तकलीफ में नहीं पहुंचे। उनको वहां पर कोई रोजगार मिला है या नहीं, इसकी भी व्यवस्था देखी गई है। जो व्यक्ति यहां से गये हैं अपने मवेशियों को लेकर, अपने बाल-बच्चों को लेकर, उनको किसी प्रकार की तकलीफ न हो; भरपूर कोशिश की गई है कि इन लोगों को पूरा आराम दिया जाय। मैं भी दो-चार दफा उन रूटों पर गई हूं और देखा है कि लोगों ने, राहत कार्यों के करने वाले लोगों ने बराबर जाकर सम्भाला है और सारे काम को देखा है।

मैं इस बात से ना नहीं करती हूं कि पेमेन्ट के अन्दर शुरू शुरू में डिले हुई है और वह इसलिए हुई है कि हमको मालूम नहीं था कि इतने सारे लोग राहत कार्यों में आयेंगे। हमने समझा था कि केवल एक लाख के करीब आदमी आयेंगे, लेकिन वहां पर ३-४ लाख लोग राहत कार्यों में आये हैं। शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ थी, लेकिन बाद में हमने तहसील, ब्लॉक व पी० डबलू० डी० के जितने भी स्टाफ के लोग थे उनको एम्प्लाय करके उनका इन्तजाम किया गया। सारा इन्तजाम राज्य सरकार ने किया। उसके बवजूद भी यह मानती हूं कि हो सकता है कि कहीं पर अनपेड वेजेज़ रह गये हों तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि जिन किन्हीं कि निगाह में इस तरह के केसेज़ आये हों तो वे हमको बतावें तो उनके पेमेन्ट का इन्तजाम हम जरूर करेंगे। कलेक्टर महोदयों को भी लिखा हुआ है कि किसी भी जगह के, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ग्रुप का पेमेन्ट बाकी हो और उसके कागजात

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

उनके पास में मौजूद हों तो राज्य सरकार को लिखें, तो राज्य सरकार उनका पेमेन्ट करेगी। हम किसी भी ऑर्डिनेन्स के जरिये, किसी भी बिल के जरिये किन्हीं भी मजदूरों की मजदूरी नहीं रखना चाहते हैं, उनको बराबर देना चाहते हैं। जब कि राज्य सरकार ने ४,५॥ करोड़ रुपया लगाकर इनकी मदद की है तो एक-दो लाख में राज्य सरकार का दीवाला नहीं निकलने वाला है।

कुछ माननीय सदस्यों ने भरतपुर के बारे में कहा कि हम उसके प्रति बड़ी उपेक्षा रखते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि वहां पर भी राज्य सरकार ने जितनी जल्दी हो सका रिपोर्ट मांगी और राहत कार्यों की सूची मांगी और उसमें जो रकम लगेगी वह मांगी और उसके तुरन्त बाद ही कार्य चालू कर दिये हैं। आप उसको बदकिस्मती कहते हैं और मैं उसको खुशकिस्मती कहती हूं कि बरसात जल्दी ही शुरू हो गई और हम सारे राहत-कार्यों को नहीं ले सके। बरसात जल्दी ही शुरू हो गई तो उसके लिए उपेक्षा नहीं कहा जा सकता है।

इन्हीं तथ्यों के साथ में मैं २-३ बातें और आपको बता देना चाहती हूं कि आगे अकाल नहीं पड़े इसके लिए राज्य सरकार क्या प्रबन्ध करना चाहती है और क्या क्या कर रही है, इसके लिए माननीय सदस्य, भरतपुर के माननीय सदस्य ने कहा कि यदि १२ साल की साइकिल के बारे में आपको मालूम है तो उसका इन्तजाम करना चाहिये था; मैं समझती हूं, इन्तज़ाम बराबर हुआ हैं, हर वर्ष कुछ न कुछ कदम आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। हमने प्रयत्न किया है कि ऐसा इन्तजाम करें कि अकाल को न आने दें या उसका मुकाबला मजबूती से कर सकें, लोगों को इसकी भीषणता न महसूस होने दें, इसके लिये योजना विचाराधीन है। जैसा कि ट्यूब वैल के लिये आपने बताया वह भी चेष्टा हमारी चल रही है। मशीनें कम उपलब्ध होती हैं, जितनी डिमान्ड है उतनी उपलब्ध नहीं होती। हम भी भारत सरकार से बराबर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हमारा जो टार्गेट २५० ट्यूब वेल्स का है वह जल्दी मिलना चाहिये।

सड़कों के बारे में भी जिन सुदूर एरियाज़ में साधन जुटाने में दिक्कत होती है वहां पर सड़कें बनें, डामर की सड़क से वे स्थान कनेक्ट हो जायं। पीने के पानी के लिये भी हमारा प्रयत्न है कि हर गांव में आवश्यकतानुसार टांके आदि बना दिये जायं। इस तरह के कई प्रोग्रामों के लिये राज्य सरकार की योजना है।

बांधों के बारे में और घग्घर नाली के बारे में बताया कि उसका भी कुछ किया जाना चाहिये, यह भी माननीय सदस्यों ने सुझाया कि उसके लिए कुछ करना चाहिये, इसके बारे में तो विभाग के मंत्रीजी अधिक बता सकते है, लेकिन मैं समझती हूं कि जितनी चिन्ता आपको है उसी प्रकार की चिन्ता राज्य सरकार को भी है। हम मानते हैं कि आने वाले जमाने में अकाल की भीषणता और भयंकरता से बच सकें, उसके लिये उपाय करना चाहिये। आप माननीय सदस्यों ने जो जो सुझाव दिये हैं

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

उनके लिए हम आभारी हैं। आगे भी जो दिक्कतें आवें उनके बारे में बतायेंगे तो आभार मानेंगे। बाकी गलत बात कहना जबर्दस्ती की राहत इसलिये नहीं पहुँचाई कि वहां पर गैर कांग्रेसी सदस्य है, यह न हाउस के लिये ठीक है और न माननीय सदस्यों के लिये।

श्री रामकिशन (वैर): आपने इस संबंध में सूचना नहीं दी कि लगान पोस्टपोन हुआ है या नहीं, शीतग्रस्त एरियाज़ में, इसकी थोड़ी जानकारी दे दें?

श्रीमती कमला बेनीवाल: लगान माफ करने का नियम है वह यह है कि दो साल तक जहां पर बराबर लगातार अकाल पड़ता है और जिनकी हालत खराब है उनको माफ करते हैं और बाकी सस्पेन्ड होता है।

श्री रामकिशन: हम यह नहीं चाहते कि कहीं पर दो साल तक लगातार अकाल पड़े; आप एक्ट को चेन्ज करें। यू. पी. में भी एक्ट को चेन्ज किया है और उसके अनुसार जहां पर अकाल पड़ेगा वहां पर राहत मिलेगी।

श्रीमती कमला बेनीवाल: मैं कहना चाहती हूँ कि फेमिन कोड में कमियें हैं, पुराना बना हुआ कानून है उसको सुधारने का विचार कर रहे हैं।

फोडर बैंक के कागज वित विभाग में चल रहे हैं। ३॥ लाख मण के करीब इकट्ठा कर लिया है, बाकी आगे स्कीम के अन्तर्गत इकट्ठा कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६४-अकाल सहायता के संबंध में ३१ मार्च, सन् ६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,००,००० रु. की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २६ स्वीकार की गई।

(विराम)

नेक्स्ट। समय बहुत कम रह गया है।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ३६-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत

श्रीमती प्रभा मिश्रा (उप-मंत्री, स्वास्थ्य): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक-६४ जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत पर ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३२ लाख ८ हजार रुपयों की धनराशि और प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिप्रसाद शर्मा।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन):

(१) मांग संख्या-३६, मुख्य शीर्षक ६४-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

१) रू० की कटौती की जाय (नगर जल प्रदाय में पक्षपात व आवश्यक जगह पर कार्य पूर्ण नहीं करने हर बहस करने हेतु) ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर)

(२) मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६४-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (गंगाशहर-बीनासर जल प्रदाय योजना पर बहस करते हेतु)।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर)

(३) मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६४-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में १,रु० की कटौती की जाय (जल-प्रदाय योजनाओं को समय परा पूरा नहीं करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :

(४) मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६४-जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में १००)रु० की कटौती की जाय (जयपुर जल-प्रदाय योजना के निर्माण के बावजूद भी शहर में जल की कमी के प्रश्न पर बहस करने हेतु) ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छाबड़ा) :

(५) मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६४ जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में १)रु० की कटौती की जाय (नगरों में पूरे समय पानी न मिलने तथा पानी को अच्छा फिल्टर न करने पर बहस करने हेतु) ।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) :

(६) मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६४-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत में १)रु० की कटती की जाय (जल प्रदाय योजनाओं को समय पर पूरा न करने पर बहस करने हेतु) ।

एक माननीय सदस्य : मुख-बन्ध हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : ४-३० तक का समय रखा गया है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : ५-५ मिनट में क्या हो जायगा ? रिप्लाई शोर्ट एण्ड स्वीट होनी चाहिये ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मांग संख्या ३८ ज्यादा जरूरी है, उसको पहले ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : I do not mind if all the members agree.

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जन-स्वास्थ्य के बारे में मैंने कटौती-प्रस्ताव....

श्री उपाध्यक्ष : मुख बंध का समय केवल १५ मिनिट बढ़ाया गया है ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : राज्य सरकार के द्वारा सावधानी नहीं बरती गई है, उसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ ।

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

मैं पहले आपका ध्यान बूंदी जिले की ओर आकर्षित करूंगा। बूंदी में पीने के पानी के लिए ध्यान नहीं दिया गया। जब लाखेरी नगरपालिका ने अपनी पूंजी से व्यवस्था बनाई और पम्प लगा कर पानी की व्यवस्था की तो गत वर्ष वहां पानी खत्म हो गया, तब नगर-पालिका ने वहां से ६ मील पर पाइप डालने के लिए राज्य सरकार से धन उधार लेने की कोशिश की। वहां के कलेक्टर ने उसके लिये सिफारिश कर दी, वहां के इंजीनीयर ने सिफारिश कर दी, लेकिन मुझे खेद है कि वहां को इस योजना में किसी प्रकार की मदद सरकार ने नहीं दी।

इसी प्रकार केशवरायपाटन के लिये पहले योजना बनाई गई थी। डिपार्टमेंट में कागजात कम्प्लीट हुए, सर्वे हुई, लेकिन उसकी भी उपेक्षा की गई।

इसी प्रकार ७ हजार की आबादी का नेनवा– वहां की नगरपालिका ने पाइप की व्यवस्था करने के लिए प्रस्ताव पारित किया लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया।

सिर्फ एक बूंदी ही ऐसा स्थान है जहां पर पाइप की योजना लागू की है लेकिन वहां पर भी यह हालत है कि हजारों आदमियों को पानी के लिये खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन वहां पानी की कमी है। इसी प्रकार ग्रामीण इलाके में और दूसरे कस्बों में भी राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मुख्यतः मैं कापरेन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर खारा पानी है। वहां की पंचायत समिति और जिला परिषद ने कापरेन में पाइप लगाने के लिये राज्य सरकार का ध्यान दिलाया, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार डे, कहरवाड़ आदि इलाकों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की है। वहां पर पानी का अभाव है। कई जगह तो चार मील से पानी ले जाना पड़ता है और वहां के लोग कूओं के लिये सहायता की मांग करते हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी सरकार जो कुछ करती है वह पक्षपात-पूर्ण ढंग से करती है। सरकार को कोई क्राइ-टेरिया बनाना चाहिये, जहां पर पानी का अभाव है वहां पर व्यवस्था करनी चाहिये। बार-बार मांग करने और ध्यान दिलाने के बाद भी यदि किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जाती है तो यह उचित बात नहीं है। जनता को राहत पहुँचाना आवश्यक है। ऐसी म्युनि-सिपैलिटीज़, जिन्होंने लागत लगाई है लेकिन पैसे के अभाव के कारण उसकी योजना ठप्प हो जाय, लोगों को पीने के लिये भी पानी नहीं मिले तो इससे अधिक दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? मुझे याद है, लाखेरी में मुख्य मंत्रीजी ने उद्घाटन किया था, उस समय उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें उनके उद्गार थे कि नगरपालिका को आगे बढ़ना चाहिए, राज्य सरकार पैसा देगी, यहां पर फिल्टर लगाना चाहिये, लेकिन ५ वर्ष बाद भी हालत वही है। वहां की म्युनिसिपैलिटी ने राज्य सरकार को कहा है कि ७० हजार की उनकी जो योजना है और जो अपना पैसा लगा कर उन्होंने बनाई है उसको सरकार संभाल लें और बाकी रुपया सरकार लगाकर पानी की व्यवस्था करे, लेकिन सरकार ने उस पर भी

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

ध्यान नहीं दिया। मैं मानता हूं कि हमारी सरकार को ऐसे जरूरी मामलों में राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए और जहां पर वास्तव में पानी का अभाव है वहां पर पूर्ति करनी चाहिये। मेरा अभिप्राय यही है। खास कर केशवरायपटन और लाखेरी की ओर ध्यान दें; कापरेन और दूसरे स्थान जहां पानी की कमी है वहां अभाव दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने पीने के पानी के सम्बन्ध में काफी कदम उठाये हैं। वैसे तो राज्य सरकार ने करीब करीब जो भी कस्बा ऐसा है जिसके अन्दर पांच हजार से अधिक आबादी है उसको अपनी योजना के अन्तर्गत ले लिया है और करीब करीब जो भी कस्बे हैं, उनमें जो स्टेट प्लान है उसके मुताबिक राज्य सरकार ने पीने के पानी की स्कीम शुरू कर दी है और योजनायें जो राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले ली हैं वे शीघ्र ही समाप्त होने वाली हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या बहुत ही गम्भीर है; खास तौर से ऐसा क्षेत्र है राजस्थान में जो रेगिस्तानी क्षेत्र है जहां पीने के पानी की अहम् समस्या है। कुछ डेज़र्ट एरियाज़ हैं और कुछ हिली एरियाज़ हैं जहां पर पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। इसलिए राजस्थान सरकार ने इस पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के लिए अभी हाल ही में एक वाटर बोर्ड बनाया है। यह महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है, यह अच्छा कदम है और मैं इसकी सराहना करता हूँ कि कम से कम पीने के पानी की अहमियत को समझा है और उसके लिए देहातों में पानी की व्यवस्था करने के लिए वाटर बोर्ड बनाया है। यह एक अच्छा कदम है सरकार का। लेकिन वाटर बोर्ड के लिए जो धनराशि उपलब्ध की गई है बहुत ही कम है क्योंकि जिस तरह की यह भयंकर समस्या है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है; जहां गांव के लोगों को कई मील दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है और इस प्रकार गांव के प्रत्येक परिवार के लोगों को अपना सारा समय इस पीने के पानी की व्यवस्था करने में ही व्यतीत करना पड़ता है, यह जितनी अहम् समस्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए जो योजना है उसके लिए जितने फंड्स होने चाहिए और जितनी धनराशि सरकार के पास होनी चाहिए उसके मुकाबले में जो धनराशि रखी गई है वह बहुत ही कम है इसलिए जितनी भी समस्या है उसके समाधान में सरकार को सफलता नहीं मिलेगी।

आज देश को आजाद हुए सत्रह–अठारह वर्ष हो चुके हैं, इस अर्से में सरकार प्रत्येक गांव में पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं कर पाई है। यह जनतांत्रिक सरकार के

(श्री भीमसेन)

लिए अशोभनीय है। सरकार को भारत सरकार को एप्रोच करके अधिक फंड्स प्राप्त करने चाहिए और रेगिस्तानी क्षेत्र में जो गांव हैं वहां पीने के पानी की बहुत कठिनाई है उसको दूर करना चाहिए। इसके अलावा बीकानेर के गंगाशहर और बीनासर कस्बे हैं जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि बीकानेर शहर में जो वाटर वर्क्स बनाया है, उसमें उन कस्बों को सम्मिलित करते हुए और दूसरे ग्रामों को सम्मिलित करते हुए एक इन्टीग्रेटेड योजना बनाये तो मैं समझता हूँ कि योजनायें लोगों के लिए लाभकारी हो सकती हैं और पीने के पानी की व्यवस्था की जा सकती है। इसलिए मैं राज्य सरकार का इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा पीने के पानी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके साथ साथ बीकानेर में सुजानगढ़ कस्बा है जिसकी चालीस हजार की आबादी है। वहां भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में जो इन्टीग्रेटेड योजना सरकार बना रही है उसको जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करना चाहिए जिससे कि पानी सुजानगढ़ को मिल सके और जहां जहां ऐसे कस्बे हैं इनमें पीने के पानी की व्यवस्था की जा सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला।

(अनुपस्थित)

श्री गंगासिंह राठौड़।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६४—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३२,०८,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३६ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या १७—जन स्वास्थ्य

श्री अब्दुलजब्बार।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन स्वास्थ्य में १००) रुपये की कटौती की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : मूव कर लेने दीजिये।

श्रीमती प्रभा मिश्रा (उप-मन्त्री, स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६७,३४,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तु हुए :—

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) :

१. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन-स्वास्थ्य में १००) रुपये की कटौती की जाये (तहसील निम्बाहेड़ा के गांवों में पानी की कमी पर विचार करने हेतु)।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :

२. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन-स्वास्थ्य में १००) रुपये की कटौती की जाये (बड़गांव पायोलेट प्रोजेक्ट में कुओं पर बिजली देने के लिए ऋण देने की पद्धति पर विचार करने हेतु)।

३. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन-स्वास्थ्य में १००) रुपये की कटौती की जाये (कुओं के लिए कर्ज देने की अव्यवस्था पर विचार करने हेतु)।

४. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन-स्वास्थ्य में १००) रुपये की कटौती की जाये (कुए बनवाने में कुए खोदने की मशीनों की अपर्याप्त मात्रा पर विचार करने हेतु)।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) :

५. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन-स्वास्थ्य में १००) रुपये की कटौती की जाये (कुओं के लिये कर्ज देने में पक्षपात करने पर विचार करने हेतु)।

६. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन-स्वास्थ्य में १००) रुपये की कटौती की जाय (बड़गांव पायोलेट प्रोजेक्ट में कुओं पर बिजली देने, ऋण देने की पद्धति पर विचार करने हेतु)।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) :

७. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन-स्वास्थ्य में १) रु० की कटौती की जाय (देहात व कस्बों में जल प्रदाय योजनाओं में पक्षपात करने पर विचार करने हेतु)।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) :

८. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन-स्वास्थ्य मे १) रु० की कटौती की जाय (टी० सी० एम० फार्म क्रम के अन्तर्गत आने वाले सामान के दुरुपयोग पर विचार करने हेतु)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :

९. मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०—जन-स्वास्थ्य में १००) रुपये की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को दी जाने वाली सहायता की राशि पर विचार करने हेतु)।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :

(१०) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में १००) रुपये की कटौती की जाए (ग्राम्य जल प्रदाय कार्य क्रम के जो रकम व्यय है उसके औचित्य पर विचार करने हेतु)।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) :

(११) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में १००) रुपये को कटौती की जाय (ग्राम्य जल प्रदाय में जो व्यय हुआ है उसमें दुरुपयोग पर विचार करते हेतु) ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) :

(१२) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वाथ्य में १) रुपये की कटौती की जाय (ग्राम्य जल प्रदाय योजना में किये जाने वाले पक्षपात पर विचार करने हेतु) ।

(१३) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थय में १) रुपये की कटौती की जाय (पानी पीने के कुओं के लिए पंचायत समितियों को दी जाने वाली धनराशि में पक्षपात पर विचार करने हेतु) ।

(१४) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वाथ्य में १)रुपये की कटौती की जाय (पंचायत समितियों द्वारा खुदाये गये कुओं के सम्पूर्ण होने के प्रमाण-पत्र न दिए जाने पर विचार करने हेतु) ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) :

(१५) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में १) रुपये की कटौती की जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी हेतु कम खर्च किये जाने पर विचार करने हेतु) ।

श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) :

(१६) मांग संख्या १७,'मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में १) रुपये की कटौती की जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में जल-प्रदाय योजनाओं को क्रियान्वित करने में विलम्ब पर विचार करने हेतु) ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : व **श्री हरिरामा चौहान** (तिजारा):—

(१७) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में १) रुपये की कटौती की जाय (बरगांव Bargaon) lock के कुओं संबंधित (pilot project) पर विचार करने हेतु) ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) :

(१८) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में १) रुपये की कटौती की जाय (बीकानेर जिले एवं गंगानगर जिले के गांवों में सरकार द्वारा पीने के पानी की समस्या को हल करने में पूर्ण रूप से असफल होने से पैदा हुई स्थिति पर विचार करने हेतु)।

(१९) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में १) रुपये की कटौती की जाय (पंचायत समितियों द्वारा कुओं के निर्माण और मरम्मत में किये गये घोटालों पर विचार करने हेतु)।

(२०) मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन-स्वास्थ्य में १) रुपये की कटौती की जाय (Wind mills के निर्माण में सरकार की गलत नीति पर विचार करने हेतु)।]

श्री अब्दुलजब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य में १००) रुपये की कटौती की जावे

(श्री अब्दुल जब्बार)

(तहसील निम्बाहेड़ा के गांवों में पानी की कमी पर विचार करने हेतु)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती प्रस्ताव चर्चा करके इस ओर ध्यान आकर्षित कर . ाहता हूँ कि निम्बाहेडा और चित्तौड़-गढ़ के पास जितने बांध बनाये गये हैं उनमें पानी भरा रहता है, लेकिन वस्तु-स्थिति यह है कि जो गम्भीरी डैम है उसका वाटर लेवल इतना लो है कि गांव में पानी के लिए चालीस-चालीस और साठ-साठ फीट नीचे कुए खोदना तो मामूली बात है और फिर भी पानी नहीं आता है। स्ट्राटा हार्ड होने की वजह से पानी की डिफीकल्टी रहती है। कानौड़ा निम्बाहेड़ा की सब तहसील है, उस इलाके में चित्तौड से मशीनें मंगवा कर कुए खुदवाये जाते हैं तो भी पानी उपलब्ध नहीं होता है। मैं सरकार का और जल बोर्ड का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि कानौड़ा में आपकी वाटर सप्लाई स्कीम बनी है, वहां वाटर का लेवल बहुत लो है और अधिक कुए नहीं है इसके साथ ही इन्तहा यह होती है कि गर्मी की मौसम के शुरू होते ही उनमें कीचड़ पैदा हो जाती है और गांव वालों में टाइफॉइड, गिनिवॉर्म और स्माल-पोक्स की बीमारियां इस पानी की वजह से होती हैं। मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि पानगर नाम का तालाब है उसमें काफी पानी रहता है और उससे कानौड़ा को और दूसरे सब गांवों को पानी सप्लाई कर सकते हैं। पानगर का तालाब तीन-चार मील के फासले पर है, वहां से लिफ्ट सिस्टम को करके पानी को ऊपर लाया जाय और वाटर लाइन डाली जाय तो जो स्ट्राटा ऊंचा है उसके अन्दर भी आराम के साथ में गांवों में पानी सप्लाई हो सकेगा।

मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि वह उपजाऊ इलाका है, वर्षा काफी होती है, लेकिन स्ट्राटा हार्ड होने की वजह से पानी बह कर चला जाता है। इस वक्त पीने के पानी की तो क्या, पानी की भी काफी दिक्कत होती है, इस ओर ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे मलेरिया रोकने की स्कीम और दूसरी स्कीमें हैं वे बेकार हैं। और आम तौर पर प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में नारू नाम की बीमारी है, वह वहां गांवों में होती है। इसका कारण यही है कि स्टीप वेल्स हैं और खराब पानी मिलता है। क्योंकि वहां नारू की बीमारी हो जाती है इसलिए वहां पर अधिकारी जाने से घबराते हैं कि नारू की बीमारी हो जायगी। मेरा निवेदन है कि कानौड़ा की इस समस्या को दूर करने के लिए उस पानी का उप-योग किया जायगा तो अच्छा है। एक वाटर वर्क्स का सर्क्यूलर आया था, तो मैं अपना सजेशन नहीं दे सका। अब इस कट मोशन के जरिये मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पानगर के तालाब के पानी का इस्तेमाल करें और एंजिन लगा कर पानी सप्लाई करें तो यह बीमारी दूर हो सकती है और वहां के गांव वाले भी खुशहाल हो सकते है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

समय को देखते हुए मैं इतना ही और निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे और देहात है जहां वाटर सप्लाई की बहुत आवश्यकता है वहां पर पानी की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों

Page No. 114

(श्री अब्दुलजब्बार)

के साथ मैं निवेदन करूंगा कि शहरों के साथ-साथ गांवों की उन्नति के सम्बन्ध में भी कार्य-वाही की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब मुख बन्ध का प्रयोग किया जावेगा।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १७–जन-स्वास्थ्य।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ६७, ३४,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १७ स्वीकार की गई।

शेष मांगों पर मुख-बंध

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १९–पशु–पालन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक-३३-पशु-पालन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ३, २०,००० रु. तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १९ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४८-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४८, मुख्य शीर्षक-राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,३२,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४८ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-१८ संसद, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विधान सभाओं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ८, मुख्य शीर्षक १८-संसद, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विधान सभाओं के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ८६,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ९-सामान्य प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को १,९१,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ना पक्ष जीता। वोइस 'ना' पक्ष की ज्यादा है।

श्री उपाध्यक्ष : All the rest of the demands will be considered moved.

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६ स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १३–विविध विभाग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,५०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १३ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३५–विविध

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१– विविध के संबन्ध में ३१ मार्च, १६६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १०,००,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३५ स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४७–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक १२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ११ मार्च, १६६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २५,३६,४२,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४७ स्वीकार की गई।

(विराम)

एप्रोप्रियेशन बिल।

राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १६६४

(पुरः स्थापन, विचार–विमर्श एवं पारित)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एप्रोप्रियेशन (न० ४) बिल, १६६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (न०४) बिल, १६६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि एप्रोप्रियेशन (न०४) बिल, १९६४ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मुझे कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : मुख-बन्ध का प्रयोग हो चुका है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इस पर कुछ कहना अति आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : I shall request the Hon. Members to be very brief.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोयय, मैं सिर्फ वित्त मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जिस स्टेट का आपने बजट ७६ करोड़ रुपयों का दिया है उसी स्टेट में आज ७ महीनों के बाद २८करोड़ की डिमान्ड हमारे सामने पेश की है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस समय आपने बजट पेश किया था और पास कराया था उस समय आपने बजट बनाने में इन सारी बातों का ध्यान रखा या नहीं? मैं यह पूछना चाहता हूं कि बजट बनाते समय किस चीज का ध्यान रखा जाता है? जहां ७६ करोड़ का बजट पास कराते हैं उसके ७ या ८ महीने बाद २८ करोड़ की सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट का बजट आ गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें आपको बजट के समय भी सामने थी, सिवाय एक दो चीजों के। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि आप जिस समय बजट बना कर पेश करते हैं उस समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है। मैं यह पूछना चाहता हूं वित्त मंत्रीजी से कि यह २८ करोड़ रुपया आप कहां से लाकर खर्च करेंगे? आप इसको स्पष्ट करें कि क्या आप और टैक्स लगा रहे हैं या कोई खाता इधर से उधर करते हैं जैसी आपकी आदत पड़ी हुई है? आपने बजट के समय पर इधर-उधर की बातें कह कर आंकड़ेबाजी में फंसा दिया। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्रीजी भी अभी आंकड़ेबाजों में फंसे हुए हैं, लेकिन आंकड़े बाजी इधर-उधर हैं। आज आप ७ महीनों के बाद २८ करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमान्ड लाते हैं। इसलिये मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस समय आप बजट रखें तो सोच-विचार कर रखें। बजट कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज कुछ हुक्म दे दिया और कल कुछ दूसरा ही हुक्म दे दिया। इसलिए मैं वित्त मंत्री से नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड बजट के एक चौथाई से भी ज्यादा है और इस तरह से इसको हमेशा पास करवा रहे हैं यह अच्छी चीज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह एक्सेस डिमान्ड का है या सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड का है? उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने यह एप्रोप्रियेशन बिल पेश किया है इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में ही कहें।

Page No. 117

श्री भैरोंसिंह : सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड पर एक पर ही वाद-विवाद हुआ है और कुछ ऐसे जरूरी मुद्दे रह गये जिन पर वाद-विवाद नहीं हो सका। इसमें एक मद ऐसा भी आता है कि क्रय-विक्रय संघ को सरकार कुछ रुपया देना चाहती है। प्रश्न यह आता है कि क्रय-विक्रय संघ को यह मदद दी जावे या नहीं? अब तक डिमान्ड के रूप में हमने पास किया है। अब एप्रोपियेशन बिल के द्वारा हम सरकार को ये अधिकार देना चाहते हैं कि सरकार कान्सोलीडेटेड फन्ड से क्रय विक्रय संघ को रुपयों का भुगतान कर दे। किसी भी सोसाइटी या कोऑपरेटिव इन्स्टीट्यूशन को इस प्रकार की मदद मिले, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं।

कोऑपरेटिव को पनपाना है तो इस प्रकारव की मदद देना होगा। लेकिन जो कोऑपरेटिव का विकास का नक्शा हमारे सामने आया है वह हमें इस बात के लिये मजबूर करता है कि हम इस बात पर भी विचार करें कि इस प्रकार की मदद दी जानी चाहिये या नहीं। राजस्थान का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो क्रय विक्रय संघ के नाम से परिचित नहीं हो। जिसने पिछले दिनों में गुड़ खाया वे जानते हैं, जिन्होंने मेवा खाया वे परिचित हैं और जिनको नहीं मिला वे भी परिचित हैं। तात्पर्य यह है कि सब आदमी क्रय-विक्रव संघ के नाम से परिचित होंगे।

पिछली विधान सभा में जिस समय खाद्यान्नों पर वाद-विवाद हो रहा था उस समय सदन के कई माननीय सदस्यों ने क्रय-विक्रय संघ पर कई प्रकार के आरोप लगाये, सरकार की तरफ से उन आरोपों का कोई उत्तर नहीं दिया गया और यह कहा गया कि सरकार के पास कई शिकायतें आई हैं उनकी जांच करने के लिये विभाग के अतिरिक्त संचालक को नियुक्त किया है, उनकी रिपोर्ट आने पर सरकार कार्यवाही करेगी और उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखा जायगा। वह रिपोर्ट सरकार के पास आ गई और सरकार के बस्ताए खामोशी में सरकार की फाइल्स की शोभा बढ़ा रही है। जब सरकार स्वयं मान कर चलती है कि उस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख आया है कि क्रय-विक्रय संघ ने गुड़ के मामले में घोटाला किया है, ६ चार्ज क्रय-विक्रय संघ पर लगाये गये थे, वे छहों प्रमाणित हो गये हैं। उनके प्रमाणित होने पर सरकार उस रिपोर्ट को दबा कर बैठ गई। सरकार ने विधान सभा को कॉन्फिडेन्स में लेकर कहा कि इस सारे मामले की जांच करायेंगे और रिपोर्ट आने पर एक्शन लेंगे, पर आज सरकार इस रिपोर्ट के आ जाने पर भी मौन है, और उस विधान सभा से प्रमाणपत्र लिये बिना कन्फ्यूज़न में सरकार लाखों रुपया क्रय-विक्रय संघ को दिलाना चाहती है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार यह रुपया क्रय-विक्रय संघ को देना चाहती है।

आज सारे राजस्थान की जनता इस मामले से चिन्तित है; राजस्थान विधान सभा के सदस्यों से हर बार शिकायत की जाती है। एक मामूली आदमी ५ रुपये की गड़बड़ कर ले तो उसको सजा दी जाती है और कोई साधारण आदमी घोटाला करता है तो डी.आई.आर. में उसके खिलाफ कार्यवाही करके सजा दी जाती है। कोई आदमी मामूली पैसों की चोरी कर ले तो पुलिस पकड़ कर ले जाती है, पर क्रय विक्रय संघ के बारे में सरकार की हिम्मत

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं कि उसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ इस प्रकार की सख्त कार्यवाही करे बल्कि क्रय-विक्रय संघ के कर सारे डीलिंग्ज़ शुद्ध थे, इस तरह मान कर क्रय-विक्रय संघ को आज लाखों रुपया देने जा रही है। जो संस्था ईमानदार नहीं, जो संस्था जनता से टैक्सों द्वारा वसूल किए हुए धन का दुरुपयोग करती है, जो संस्था जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से ब्लैक मार्केटिंग करती है, जो संस्था जनता का शोषण करें, उन संस्थाओं को राजस्थान सरकार द्वारा मदद दी जा सकती है, पर जो संस्थाएं ईमानदारी से काम करती हैं उन संस्थाओं को मदद नहीं देती।

मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि उस एन्क्वायरी रिपोर्ट का क्या किया, उस रिपोर्ट का क्या एक्शन लिया गया, उस रिपोर्ट को सरकार दबा कर क्यों बैठी है ? उस रिपोर्ट को दबा कर सरकार बैठ गई और आज कहती है कि उस संस्था को मदद की जाय। मैं इस विधान सभा से, इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता के साथ इस प्रकार अन्याय करने वाली, जनता के पैसे का इस प्रकार दुरुपयोग करने वाली, जनता पर टैक्स लगा कर वसूल किये गये धन का इस प्रकार ब्लैक मार्केटिंग करने वाली संस्था को एक पैसा भी देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो पैसा उसे दिया गया है वह पैसा वापिस लेना चाहिये।

उसको पैसा देने के लिये आज डिमाण्ड रखी, मुझे अफसोस है कि सरकार में कोई जीवित तत्व नहीं रहा, सरकार ने नारा लगा दिया कि करप्शन रोकेंगे, पर पहले घर में तो शुद्धि करो और देखो कि किस प्रकार इस नारे पर अमल करने की व्यवस्था करते हैं। इसलिए मैं राजस्थान के वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की गरीब जनता पर, उन्हें हर बार टैक्स लगाने में दिक्कत होती है, विधान सभा एतराज करती है तो वे कहते हैं कि टैक्स से वसूल किये गये एक एक पैसे का सदुपयोग होगा। मैं कहता हूँ कि क्रय विक्रय संघ को दिये गये पैसे के सदुपयोग का कोई सवाल नहीं, लाखों रुपयों के दुरुपयोग का सवाल है। क्रय विक्रय संघ द्वारा किये गये भयंकर घोटाले के बारे में सरकार मौन होकर बैठ जाय, क्रय विक्रय संघ की इस प्रकार की नाजायज़ कार्यवाहियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले, इस प्रकार की स्थिति में आ जाय, गुड़ के मामले में कितना घोटाला किया गया है, इन घोटालों को दबाने की प्रवृति अख्त्यार कर ली जाय तो इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि राजस्थान सरकार की कोई हिम्मत नहीं कि क्रय विक्रय संघ के बारे में एक्शन ले ले, उसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ डी० आई० आर० या एसेन्शियल कोमोडिटीज़ एक्ट के तहत कार्यवाही करे। इसलिये मैं इस सदन से, इस सदन के विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न कोई मामूली प्रश्न नहीं, यह प्रश्न पूरे राजस्थान की जनता का प्रश्न है, राजस्थान सरकार की मान्यता है कि घोटाले हुए हैं, जिस संस्था में इतने घोटाले हुए हैं उस संस्था को एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं, जो इन घोटालों के लिए जिम्मेदार हैं उनके लिये सरकार पर दबाव डाले कि उन्हें डी० आई० आर० में गिरफ्तार किया जाय, उनको सजा दी जाय। इनको गिरफ्तार

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं कर सकेगी तब तक छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, खादी की छोटी छोटी संस्थाएं जिनके लिए दा साहब हमेशा चिन्तित रहते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने से कोई मतलब हल नहीं हो सकता। इस प्रकार कीअकर्मण्यता से सरकार कोऑपरेटिव स्लोगन को बदनाम कर रही है और जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। इसलिये मैं सरकार के अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि क्रय विक्रय संघ के मामले में यदि सरकार अपने आपको शुद्ध मान रही है तो बिश्नोई की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखे। सरकार ने सदन में वादा किया था एक्शन लेने का और उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने का। वह रिपोर्ट क्यों नहीं सदन की मेज पर रखी गई ? क्यों नहीं एक्शन लिया गया ? जब तक सदन की मेज पर रिपोर्ट नहीं रखी जाय तब तक क्रय विक्रय संघ को एक भी पैसा नहीं दिया जाय। सरकार का बहुमत है, लोगों की हिम्मत नहीं सरकार का विरोध करने की, मन्त्री भी डरे हुए हैं कि पोर्टफोलियोज़ में चैंज आयेगी, उसका हम पर न जाने क्या असर पड़ेगा, हम टिकने वाले हैं या नहीं ? सरकार अपनी ब्रूट मेजोरिटी के आधार पर इस बदनाम संस्था-क्रय विक्रय संघ को गरीब जनता से टैक्स के जरिये वसूल किया गया लाखों रुपया देना चाहती है। क्रय विक्रय संघ को जिस समय पैसा दिया जाय विरोधी दल कभी यहां बैठ कर उस पाप में भागी नहीं होना चाहता, इसलिये मैं अपने साथियों के साथ सदन से वाक आउट करता हूं और विरोधी दल की अन्य पार्टियों के सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस पाप में यहां बैठे रह कर भागी न बनें।....

एक माननीय सदस्य : आप तो वैसे भी कोऑपरेटिव के खिलाफ हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं हूं या नहीं, यह अलग बात है।

ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पाप में भागी हम नहीं बनना चाहते और इस प्रोटेस्ट में कि सरकार ने बिश्नोई एन्क्वायरी की रिपोर्ट सदन की मेज पर नहीं रखी, इन गड़बड़ घोटालों के लिये जिम्मेवार लोगों के खिलाफ एक्शन लिया ? एक्शन नहीं लिया, जनता के धन का दुरुपयोग करवा कर, उससे ब्लेक मार्केट करवा कर उस बदनाम संस्था को फिर से लाखों रुपया देना चाहती हैं, इस प्रकार के जघन्य अपराध में हम शामिल नहीं होना चाहते और हम इस सदन से वाकआउट करते है।

(जनसंघ के माननीय सदस्यों द्वारा श्री भैरोंसिंह के साथ सदन से बहिर्गमन)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त-मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है....

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है, क्या सदन की यह मन्शा है कि जब तक एप्रोप्रियेशन बिल समाप्त नहीं हो जाय तब तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री बालकृष्ण कौल : जनसंघ के नेता महोदय ने अगर तबियत में यह फैसला किया था कि वाकआउट किया जाय तो मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि महज एक छोटी सी बात के लिये, जो डिमाण्ड पास हो चुकी है माननीय सदस्य की और उनकी पार्टी की भी उसमें स्वीकृति है, उसके बाद एप्रोप्रियेशन के समय वाक आउट किया जाय, यह कहां की परम्परा है, अच्छी है या बुरी, माननीय सदस्य खुद सोच लें।

क्रय विक्रय संघ पर आरोप लगाये गये। मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। जिस वक्त जनसंध के नेता कुछ आरोप लगा रहे थे, क्रय विक्रय संघ पर, तो उस समय आरोप लगा रहे थे क्रय विक्रय सघ पर और उनका ध्यान केन्द्रित था किसी एक विशेष शख्स पर और इसलिये उनका यह कहना कि उसको इनाम दिया जा रहा हैं, मैं समझता हूं इस सदन के लिये मौजूं नहीं है। किसी को इनाम नहीं दिया जा रहा है। अगर किसी की तरफ से गलती हुई तो सारी संस्था को कन्डेम नहीं किया जा सकता। जिस कर्मचारी ने गलती है, जब रिपोर्ट का फैसला हो जाय और यह मालूम हो जाय कि फलां कर्मचारी से गलती हुई है तो उसको दण्डित किया जा सकता है।

आप जानते हैं कि सरकार में बहुत सी गलतियां हुआ करती हैं, उनके कर्मचारियों से गलतियां हुआ करती हैं, इसके माने यह नहीं होते कि सारी सरकार को ही कन्डेम कर दिया जाय ; हर आदमी को, जो सरकार से किसी न किसी तरह से सम्बन्धित है, उन सबको कन्डेम किया जाय। इसलिए जनसंघ के नेता के दिमाग के पीछे कुछ और था और उसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने यह सब चीज की। जिस रिपोर्ट के लिए उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा था कि रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी जायगी, मैं आज फिर कहने के लिए तैयार हूं कि सरकार ने जो कुछ कहा था उसको पूरा करेगी। लेकिन सरकार ने यह कहा था कि उस रिपोर्ट पर विचार करके जब एक्शन ले लिया जायगा और एक्शन लेने के बाद ही वह रिपोर्ट रखी जायगी। अभी तक वह रिपोर्ट अण्डर कन्सीडरेशन है और जब उस पर फैसला हो जायगा तो माननीय सदस्यों को मौका मिलेगा उस रिपोर्ट को देखने का। लेकिन जब तक सरकार ने उस पर फैसला नहीं किया तो यह कहना कि क्यों नहीं फैसला कर दिया, मैं यह समझता हूं कि यह ज्यादती है। इसलिए रिपोर्ट के फैसले पर जब यह जानकारी होगी कि किस आदमी की गलती है, तो उस पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है और की जायगी।

हो सकता है कि जो पार्टी इस वक्त वाक आउट करके चली गई है उसमें अधिकतर ऐसे लोग हो सकते हैं जो कोऑपरेशन पर विश्वास नहीं रखते हों। क्रय विक्रय संघ जो है वह एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और अगर उसको फंक्शन करने में कोई माली बाधा होती है और सरकार उस वक्त मदद करती है, तो वह अलग चीज है और उसका कोई कार्यकर्ता गलती करे वह दूसरी चीज है। आज तक सरकार ने उसकी जो मदद की वह किन कन्डीशन्स पर की वह देखने की बात है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप कन्डीशन्स को देखिये कि वे क्या हैं उन को सरकार ने १५ लाख का लोन दिया। कहने में तो २५ लाख है, लेकिन कैश १५ लाख है

(श्री बालकृष्ण कौल)

और १० लाख एडजस्टमेंट्स हैं और उस पर क्या कैद हैं और वह दस लाख आपकी पंचायतों से वसूल किया जा रहा है। जो चीजें हैं; जैसे फर्टीलाइज़र्स है, जो उनको पैसा जायगा, उनकी वसूल वे पंचायतें ही करेंगी और उनसे वसूल किया जायगा। यह बुक एडजस्टमेंट है और इस पर जो रुपया हमने दिया है उस पर साढ़े चार परसेन्ट इन्टरेस्ट है और साथ ही साथ अगर वह वक्त पर, क्योंकि शोर्ट-टर्म लोन है, नहीं अदायगी करें तो पेनल इन्टरेस्ट १ परसेन्ट है। इसलिए ...

श्री अमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : जैसे खादी बोर्ड के केस में अमेंडमेंट आया कि जो रुपया वसूल नहीं हो सकता है, वह राइट ऑफ किया जायगा इस तरह इसमें भी कोई अमेंडमेंट तो नहीं आएगा ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह अनुमान लगाने की बात मैं नहीं कह सकता। मेरे लायक दोस्त के दिमाग में ऑब्सेशन है, क्रय विक्रय संघ या और किसी बात के बारे में है कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आगे बढ़ती है उसको कैसे खींचा जाय? इसलिए उनके दिमाग के बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ बैठ गई है, कोई भी काम अच्छा हो वे ऐसा नहीं चाहते। इसलिये मुझे माफ करें यदि मैं कहूं कि वे अपने दिमाग को वाशआउट करें, जो ऑब्सेशन है, ताकि हर चीज को वे अच्छी तरह से देखें। जहां तक क्रय विक्रय संघ का सवाल है, दुख इस बात का है कि जो डिमांड्स पास हो गई और उन पर हर सदस्य ने स्वीकृति दी डिमांड्स पास होने की, जिसमें यह क्रय विक्रय संघ है, उनको अधिकार है कि वोट न देते; लेकिन यह कहना कि बाइकॉट करते हैं, इसमें कितनी इनकॉन्सिस्टेन्सी है, वह समझ में नहीं आई। राजस्थान विधान सभा में नई नई परम्पराएं पड़ रही हैं, एक यह भी सही।

बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वित्त मंत्री ने यह नहीं बताया कि इस वक्त २८ करोड़ की मांग सामने रखी है, यह पहले क्यों नहीं रखी, जब बजट बना था और अब २८ करोड़ क्यों मांगे जा रहे हैं और यह कहां से होगा, टैक्स लगेगा क्या? उनका ख्याल इस किस्म का रहना वाजिब भी है। इतना मैं निवेदन कर दूं कि जिस वक्त बजट बन जाता है उस वक्त जितनी चीजें सामने आती हैं, उस तखमीने को सामने रखा जाता है लेकिन बजट बनाते वक्त यह ख्याल नहीं था कि फेमिन आ जायगा या जो कीमतें बढ़ रही हैं इनको कैसे कन्ट्रोल किया जाय और बहुत सी बातें इस किस्म की होती हैं जिनका ख्याल नहीं होता है और वे सामने आती हैं। इसलिए कॉन्टिन्जेन्सी फंड है ये सप्लीमेन्टरी डिमांड्स और इसलिए इस सदन में आना पड़ता है उनको रेग्यूलराइज़ करने के लिए और आपसे स्वीकृत कराने के लिए। इसलिए यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए माननीय सदस्यों को रोष होना चाहिए। सदन के चालू होने के पहले दिन जो खर्चे सामने आए, वे सदन के सामने रख दिए। मैं इतना और निवेदन कर दूं कि इन २८ करोड़ में २५ करोड़ तो स्टेट ट्रेडिंग के हैं इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य चूंकि वह अब डबल एम० पी० एस० हो गए हैं, इस लिए वे इस चीज के खिलाफ नहीं होंगे। जरूर चाहेंगे कि जो हम स्टेट ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, इससे तो क्या, बढ़ाकर पूरी स्टेट

(श्री बालकृष्ण कौल)

ट्रेडिंग कर दें, अगर वे यह कह दें तो मैं मानूं कि वह प्रगतिशील है और हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन यह कहना कि २५ करोड़ रुपये २८ करोड़ में से क्यों हैं; कहीं टैक्स तो नहीं लगेगा, पर मैं इतना निवेदन कर दूं कि आप व्यापारी हैं, जानते है जितनी चीजें हैं, ये जितनी बजट सप्लीमेंटरी ग्रान्टें रख रहा हूं उनमें इस खर्चे का बोझा जो स्टेट पर आ रहा है वह सिर्फ ६३ लाख है। इसमें हिस्सा उनका भी है। उन्होंने भी बोझा बढ़ाया है, २५०) से ३००) इस तरह से खर्चा बढ़ गया है इस सदन की स्वीकृति से; इसमें शक कहीं होना चाहिये। इतना ही अर्ज करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन; नम्बर ४) बिल, १६६४ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १६६४ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जो प्रस्ताव प्रस्तुत विधेयक का पेश हुआ है पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्तुत विधेयक पारित हुआ।

सदन की बैठक कल प्रातः ११ बजे तक स्थगित को तदनन्तर जाती है।

सदन की कार्यवाही म. प. ५.१२. बजे, कल दिनांक २३ अक्टूबर,–१६६४ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ का उत्तर देखिये)

List of the sanctioned staff and the staff working at Present at Ganganagar Hospital.

S. No.	Cadre.	sanctioned post.	staff working at present.	
1.	C. A. S.	7	7	
2.	Staff Nuise.	3	3	
3.	Midwife.	1	1	
4.	Compounder Gr. II	4	4	
5.	Compounder Gr. III	3	8	
6.	Tecy nician.	2	2	
7.	L. D. C.	2	2	
8.	Driver.	1	–	(One post of Driver and one class IV Servant vacant as the ambu eance is out fo order.
9.	Class IV Seivants	27	26	

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

सरकारी कर्मचारियों के रीएम्बर्समेंट के मामले

५४०. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि सरकारी मुलाजिमों के मेडिकल खर्चे के रिएम्बर्समेंट के मामलों में काफी गडबडियां चल रही हैं ?

(२) क्या यह सही है कि एक बार सरकार ने यह निर्णय करने का सोचा था कि इस पद्धति को बन्द कर इसके एवज़ में प्रत्येक कर्मचारी को प्रति माह दवाई व चिकित्सा के भत्ते के रूप में निश्चित रकम देदी जाये ?

(३) यदि हां, तो वह निर्णय क्यों नहीं लागू किया गया ?

(४) इस प्रकार की पद्धति लागू करने का क्या सरकार अब भी विचार रखती है ?

उत्तर

(१) राज्य सरकार के पास इलाज के खर्चे के दुरुपयोग की शिकायत आई थी ।

(२) सरकार ने निश्चय रकम देने का कभी विचार नहीं किया क्योंकि ऐसा करने में खर्चे का माप नहीं मिलता । इलाज खर्च व्यक्ति और समयानुसार बदलता रहता है ।

(३) प्रश्न नहीं उठता है ।

(४) प्रश्न नहीं उठता है ।

चांदपोल तथा त्रिपोलिया बाजार, जयपुर के थड़ी होल्डर्स

५४१. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) जयपुर नगर में चांदपोल बाजार तथा त्रिपोलिया बाजार में कुल कितने थड़ी होल्डर्स हैं और राज्य सरकार इन थड़ियों के विषय में क्या योजना रखती है ? और यह कब तक पूरी हो जायगी ?

(२) क्या राज्य सरकार इन थड़ी होल्डर्स को कोई अन्य स्थान पर दूकाने देने की योजना रखती है और यदि हां, तो वह योजना कब तक पूरी की जा सकेगी ?

(३) क्या गन्दी मोरी से अजमेरी दरवाजा, जयपुर तक गन्दे नाले के दोनों तरफ दुकानें बनवाने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित हो जावेगी ?

उत्तर

(१) चान्दपोल बाजार..........१७८
त्रिपोलिया बाजार... ....१०६
——
२८७
——

वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

(२) उपयुक्त स्थान के उपलब्ध होने की दशा में ही कोई कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(३) ऐसी योजना रिलीफ एण्ड रिहेबिलीटेशन विभाग में विचाराधीन है और भूमि अवाप्ति आदि की कार्यवाहियां पूर्ण होने के बाद ही योजना क्रियान्वित हो सकेगी ?

पूल की जीपें

५४२. श्री बृजेन्द्रपाल (करोली) : Will the Chief Minister be pleased to state:—

(1) How many pool jeeps are stationed at Sawai Madhopur District Head Quarters ?

(2) Whether the Government will consider to allot one jeep to be stationed at Karauli sub-division ?

उत्तर

(१) सवाई-माधोपुर मुख्यालय पर कुल ४ जीपें हैं।

(२) जी नहीं, वर्त्तमान नियमों के अनुसार जिले के पूल की गाड़ियां जिले के मुख्यालय पर ही रखी जाती हैं जिनसे उनका सरकारी कार्य में उचित और पूर्ण प्रयोग हो सके।

हिन्डौन शहर में जल कष्ट

५४३. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि हिन्डौन शहर की आबादी करीब २५ हजार की है ?
(२) क्या यह भी सच है कि यहां पर पानी का जरिया तालाब है ?
(३) क्या यह भी सच है कि मार्च-अप्रेल के महीने में वह तालाब सूख जाता है ?
(४) क्या यह भी सच है कि तालाब के साथ साथ कुओं का पानी भी सूख जाता है ?
(५) क्या यह भी सच है कि तालाब का निरीक्षण जिलाधीश कर चुके हैं ?
(६) क्या यह भी सच है कि यहां की जनता पानी के बिना बड़ी परेशान है ?
(७) यदि हां, तो सरकार हिन्डौन के जल कष्ट के बारे में क्या सोच रही है ?

उत्तर

(१) १९६१ की जन गणना के अनुसार हिन्डौन शहर की आबादी २० हजार २२३ है।

(२) स्थानीय लोग पीने का पानी कुओं से प्राप्त करते हैं व नहाने व कपड़े धोने के लिए तालाब का पानी उपयोग करते हैं।

(३) हां, गर्मी के दिनों में अमूमन तालाब में पानी कम हो जाता है।

(४) हां, इसका प्रभाव कुओं के पानी की सतह पर पड़ता है।

(५) इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है, हो सकता है कि जिलाधीश ने निरीक्षण किया हो।

(६) हां, गर्मी में पानी की कमी के कारण जनता को दिक्कत होती है।

(७) जल वितरण योजना जिसकी लागत १०,८७,५००) रु० है, बनाई जाकर भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजी जा चुकी है।

भूमि पर नाजायज कब्जे-ग्राम चंगेड़ी

५४४. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील मावली के चंगेड़ी ग्राम में जून-जुलाई सन् १९६४ में कितने व्यक्तियों को नाजायज कब्जे से हटाया गया ? उनको हटाने के नोटिस कब कब दिये गये।

(२) बिना नोटिस दिये किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करने के लिये उत्तरदायी तहसीलदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

उत्तर

(१) तहसील मावली के चंगेडी ग्राम में जून-जुलाई, सन् १९६४ में तहसील द्वारा किसी व्यक्ति को नाजायज कब्जे से नहीं हटाया गया है। इसलिये उन्हें कभी भी नोटिस देने का प्रश्न पैदा नहीं हुआ।

(२) प्रश्न नहीं उठता है।

नगरपालिकाओं से कर्जे की वसूली

५४५. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान की अधिकतर नगरपालिकायें घाटे में चल रही हैं और राज्य सरकार का कर्जा उन पर चला आ रहा है ?

(२) यदि हां, तो कुल कितनी नगरपालिकाओं से राज्य सरकार को कितनी रकम वसूल करनी है ? विभिन्न नगरपालिकाओं की कर्जे की रकम दर्शाते हुए तालिका सदन की मेज पर रक्खें।

(३) उक्त कर्जों की वसूली के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है एवं भविष्य में कर्जा नहीं हो पाये इसके लिये सरकार नगरपालिकाओं की आमद बढ़ाने का क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(३) नोर्मल ग्रान्ट में से ५० प्रतिशत ऋण के बकाया के रूप में काटे जा रहे हैं तथा नगरपालिकाओं को उनकी आय के साधन बढ़ाने हेतु बार बार कहा जा रहा है व गृह-कर, चुंगी कर वैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा एक समिति का निर्माण किया जा चुका है जो नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु अपने विस्तृत सुझाव प्रस्तुत करेगी ?

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बी० डी० ओ०, परबतसर की पिटाई

५४६. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर)

श्री गोपीलाल गोठवाल (फागी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जून या जुलाई, १९६४ में परबतसर पंचायत समिति के बी. डी. ओ. को ऑन ड्यूटी बुरी तरह से पीटा गया है ?

(२) यदि हां, तो क्या उपरोक्त घटना की एफ. आई. आर. दर्ज करा दी गई है ? यदि हां, तो एफ. आई. आर. में कौन कौन लोग जुर्म करने में दर्ज कराये गये हैं-एवं इस दिशा में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त केस को दबाने का प्रयत्न कुछ महत्वपूर्ण लोगों द्वारा किया जा रहा है ?

उत्तर

(१) जी नहीं, किन्तु विकास अधिकारी परबतसर ने एक लिखित अभियोग सर्किल ऑफिसर, मकराना को दिनांक २५-६-६४ को प्रस्तुत किया जिसमें ड्राइवर को मारपीट करने, मोटर के तार तोड़ने, ट्यूबों की नलकी काटने, टंकी से पैट्रोल निकालने व हथियारों से लेस होकर हमला करने के आरोप प्रधान श्री दलीपसिंह, श्री मोहब्बतसिंह, श्री जयसिंह व श्री शंकर के खिलाफ लगाये गये हैं।

(२) जी हां, प्रथम सूचना में सर्व श्रीदलीपसिंह, प्रधान मोहब्बतसिंह, सरपंच भी हैं, जयसिंह सरपंच टांटोता व शंकर दरोगा के विरुद्ध उपरोक्त आरोप हैं। दिनांक १९-८-६४ को उपरोक्तांकित चारों व्यक्तिगण की गिरफ्तारी की गई जो दिनांक २०-८-६४ से अदालत की आज्ञा से जमानत पर हैं।

(३) जी नहीं।

तकावी की मंजूरी-तहसील सांचोर

५४७. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील सांचोर के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में इस वर्ष अब तक कितनी तकावी चारे के लिए व बैल खरीदने के लिए काश्तकारों को दी गई ? अकालग्रस्त क्षेत्रों को मवेशी की कुल संख्या मालशुमारी के अनुसार क्या है ?

(२) क्या सरकार ने जिलाधीश की मांग के अनुसार ही तकाबियां मन्जूर कीं या उससे कम ? अगर कम मन्जूर की गई तो क्यों ?

(३) क्या सरकार जिलाधीश, जालोर की अन्तिम मांग के अनुसार चारा व बैल खरीदने की तकावी शीघ्र मन्जूर करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) सन् १९६४-६५ में सांचोर तहसील के अभावग्रस्त क्षेत्रों में चारा खरीदने हेतु ८७०००) रु०, बैल खरीदने के लिये २२५००) रु० दिये गये इस प्रकार कुल १०९५००) रु० स्वीकृत किये गये थे। अभावग्रस्त सांचोर तहसील के मवेशियों की संख्या ३१,४३१ है।

(२) सरकार ने जिलधीश की मांग के अनुसार ही तकाबी की धन-राशि मंजूर की है।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्टाल हटाने के लिए नोटिस

५४८. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिलाधीश झुंझुनू ने पिलानी के कुछ दुकानदारों को श्री सीताराम भण्डार की जमीन पर से अपने स्टाल हटा लेने के लिए नोटस दिया था ?

(२) यदि हां, तो जिलाधीश ने उक्त नोटिस किस हैसियत से दिया था ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

लगान की माफी

५४६. श्री चन्द्रसिंह वर्फा (बिलाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर और पाली एवं राजस्थान के अन्य कई जिलों में गत वर्ष खरीफ व रबी की फसल अनावृष्टि एवं अधिक शीत से जल गई ?

(२) क्या इन जिलों का राजस्व लगान सरकार माफ करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) फसल को हानि पहुंचने पर लगान माफ करने के नियम बने हुए हैं, उन नियमों के अनुसार छूट देने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

(२) फसल खरीफ सम्वत् २०२० जिला जोधपुर की ५ तहसीलों के ४५७ ग्रामों में १५६६५३२ रुपये दिनांक ३०–६–६४ तक स्थगित किये गये हैं। फसल रबी सम्वत् २०२० में जिले की ३ तहसीलों के ६६ ग्रामों में ६६३२४२ रुपये ५२ नये पैसे दिनांक ३१–१०–६४ तक स्थगित किये गये हैं। इसी प्रकार फसल खरीफ २०२० जिला पाली की ६ तहसीलों के ५०१ ग्रामों में २२४०२०२ रुपये दिनांक ३०–६–६४ तक स्थगित किये गये हैं। फसल रबी सम्वत् २०२० की ५ तहसीलों के १६५ ग्रामों में ४६७११२ रुपये दिनांक ३१-१०-६४ तक स्थगित किये गये हैं।

वाटर वर्क्स योजना रामगंज मंडी

५५०. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Minister for Public Health please reply :—

(1) In which year the scheme for water works at Ram Ganj Mandi, District Kota has been surveyed, prepared and submitted to the Government ?

(2) What was the total amount expected to be spent on this scheme at the time it was proposed and what is the amount now proposed to be spent ?

(3) Has the Municipality of Ram Ganj Mandi assured the Government that they are prepared to take up the scheme in instalments and will start repaying the loan from the 1st Year the portion of the scheme is sanctioned and started ?

(4) Why has the Government taken such a long time to sanction this scheme and when does it expect to start it now ?

उत्तर

(१) सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ है।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(३) जी हां।

(४) अर्थाभाव के कारण।

नगरपालिका निम्बाहेड़ा की ऑडिट रिपोर्ट

४५१. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा नगरपालिका के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट सन् १९६२-६३ तथा ६३-६४ में गम्भीर आपत्तियां उठाई गई हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि वहां का एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर ऑडिट की आपत्तियों की परवाह नहीं करते हुए साइकिल एलाउन्स ले रहे हैं और फ्रीक्वार्टर में रह रहे हैं ?

(३) कृपया दोनों वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट्स सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(१) सन् १९६२–६३ की ऑडिट रिपोर्ट में आपत्तियां उठाई गई थीं ।
सन् १९६३–६४ का ऑडिट अभी तक नहीं किया गया है ।

(२) एग्जीक्यूटिव ऑफीसर के अलाउन्स् के सम्बन्ध में ऑडिट का कोई ऐतराज नहीं है । अलाउन्स्, सम्बन्धित एस० डी० ओ० की स्वीकृति से दिया जा रहा है । फ्री क्वार्टर बोर्ड द्वारा १-६-६२ से दिया गया था और अब राजकीय आदेश के अनुसर ऐसी निःशुल्क आवास व्यवस्था बन्द कर दी गई है। और किराया लिया जा रहा है ।

(३) ऑडिट रिपोर्ट बहुत बड़ी है जिसकी प्रतियां रखा जाना सम्भव नहीं है ।

मावली–बड़ी सादड़ी रेल मार्ग में आई भूमि का लगान

४५२. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर डिवीजन में मावली से बड़ी सादड़ी तक जो रेल मार्ग का निर्माण हुआ है उसमें आने वाली भूमि का लगान अब तक हजारों किसान भर रहे हैं ? यदि हां, तो कितने वर्षों से ? इस मार्ग में कितने गांवों में, कितने किसानों की खेती की जमीन आई है और उनका कितान लगान बनता है ?

(२) क्या उक्त जमीन का लगान खरीफ की होने वाली वसूली न करने और पिछले सालों से जो नाजायज़ वसूलियां हुई हैं वे किसानों को लौटाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। केवल थोड़े से काश्तकार ऐसे थे जिनसे लगान की वसूली की जारही थी किन्तु अब वह भी स्थगित हो चुकी है। जहां तक उनके खाते से लगान में कमी किये जाने का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में भी कार्यवाही जारी है।

(२) इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने राजस्व 'ख' विभाग आज्ञा संख्या एफ. १:८: राज 'ख' ६० दिनांक ८-२-६०. के द्वारा समस्त जिलाधीशों को आदेश प्रचलित किये हुवे हैं कि अवाप्त की गई भूमि का लगान वसूल नहीं किया जावे और जो वसूल हो चुका है उसे रिफन्ड कर दिया जावे या आगामी वसूली में एडजस्ट (Adjust) कर लिया जावे।

चित्तौड़गढ़ कस्बे के सुधार हेतु योजना

५५३. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ कस्बे के सुधार हेतु कोई विशेष योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो इस योजना को कब तक पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जायेगा ?

(२) क्या इस योजना के अन्तर्गत गरीब तथा मध्यम श्रेणी की जनता को भी बसाये जाने का विचार है ? अगर हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(१) प्रश्न ही नहीं उठता।

हाउस टैक्स देने वालों को सुविधाएं

५५४. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में किन किन म्युनिसिपैलिटियों में कितनी २ धन-राशि सन् ६२-६३ में हाउस टैक्स के रूप में प्राप्त हुई ?

(२) हाउस टैक्स किस आधार पर लगाया जाता है ?

(३) अलवर म्युनिसिपैलिटी में सन् ६२–६३ में कितना कितना हाउस टैक्स लिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(४) हाउस टैक्स किन किन कार्यों पर खर्च किया जाता है और हाउस टैक्स देने वालों को क्या सुविधा म्युनिसिपैलिटी की ओर से मिलती है ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है ।

(२) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १०४ के अन्तर्गत यह कर भवन व भूमियों के वार्षिक किराये के मूल्य (एन्यूअल लेटिंग वेल्यू) के आधार पर लगाया जाता है ।

(३) कोई वसूली नहीं हुई ।

(४) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत इस कर कि राशि को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं है । इस कर से प्राप्त आय नगरपालिका निधि का अंश होती है तथा नगरपालिका के कर्त्तव्यों के निर्वाहनार्थ व्यय किया जाता है ।

राजस्थान की नगरपालिकाओं में सन् १९६२–६३ में हाउस टैक्स के रूप में प्राप्त आय का विवरण

१–	जयपुर	६,१८,५९१.००
२–	पिलानी	२७७.४१
३–	ब्यावर	८४,४९३.००
४–	धौलपुर	६,४०९.३९
५–	विद्या विहार	३,३८२.६७
६–	हिण्डौन	४,८७३.००
७–	किशनगढ़	८,६९१.८०
८–	पुष्कर	१,४२२.०८
९–	करौली	५,२२९.००

१०–	देवली	६,५५५.००
११–	बालोतरा	६६.००
१२–	पाली	१८५.००
१३–	माँउन्ट आबू	१८,०२२.००
१४–	आबू रोड़	१६,०६३.००
१५–	अजमेर	४,४५,५६६.००
१६–	रायसिंहनगर	३४१.००
१७–	बीकानेर	२५८.००
१८–	गंगापुर	८६०.००

नाकावाला तालाब, तहसील बारां

५५५. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गिरवा तहसील में बारां पंचायत में नाकावाला तालाब बनाया गया था और उसके लिए २५०००) रु० की मन्जूरी हुई थी जिसमें केवल ४–५ फुट पानी ही भरा रहता है, बाकी सब पानी अब अधिक होने से ऊपर निकल जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि यह तालाब को कुछ ऊपर उठाने से वहां की सारी जमीन की सिंचाई की जा सकती है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है ?

(३) क्या यह भी सही है कि यहां पर किसान पिलाई खुद पानी ढोल से उंडेल कर करते हैं ?

(४) किसानों से सिंचाई विभाग कितनी रकम फी बीघा वसूल करता है ?

(५) क्या सरकार यह महसूस करती है कि पानी अपने आप ढोहकर पिलाते हैं उनसे यह पिलाई अधिक ली जा रही है ? यदि हां, तो यह पिलाई छुड़ाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(१) जी हां, बारां पिक अप वियर २४५००) रु० की लागत से बनवाया गया था जिसकी नाले के सह से ६ फीट ऊंचाई है ।

(२) जी हां, सर्वेक्षण करवा कर इसे जांचा जा सकता है परन्तु विभाग के पास इसके लिए अब तक कोई मांग नहीं आई।

(३) जी नहीं, सिंचाई नहर द्वारा होती है।

(४) यह तालाब २५०० एकड़ से कम का होने से इसकी सिंचाई वसूली का काम राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है।

(५) इसका प्रश्न नहीं उठता।

---

* शुद्धि-पत्र

(गुरूवार, दिनांक २२ अक्टूबर, १९६४)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१	१२	कोस हायता,	को सहायता,
६	अन्तिम से ७	श्री रामग्रसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
८	२०,२१.	(श्री निरंजननाथ आचार्य)	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
२३	शीर्षक	ता कित	तारांकित
२५	२०	श्री राधाक्रण गोयल	श्री राधाकृष्ण गोयल
२६	१७	श्री विजयसिह् भाला	श्री विजयसिंह् भाला
२६	१६	श्री भैरोसिंह	श्री भैरोंसिंह्
३४	११	श्री रामाकिशन	श्री रामकिशन
३४	१४	—	म्युनिसिपल बोर्ड
३६	शीर्षक	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
३६	,,	ताराकत	तारांकित
४५	१५	श्री योगे नाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
४८	१०	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
५५	शीर्षक	तारकित	तारांकित
५५	शीर्ष	(श्री मूलचन्द चधरी)	(श्री मूलचन्द चौधरी)
७३व७५	शीर्षक	गल्ने	गन्ने
७७	,,	रवी	रबी
८१	,,	रबो	,,
,,	शीर्ष	(श्री रामनन्द अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
८४	६	श्री चन्द्रसिंह बर्मा	श्री चन्द्रसिंह वर्मा
८८	७	श्री अध्वत्त	श्री अध्यक्ष

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
८६	शीर्षक	रवी	रबी
६१	,,	हुहे	हेतु
६८	८	श्री नाथूराम मिधा	श्री नाथूराम मिर्धा
१००	१८	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
१०६से२१२	शीर्षक	अकाल सहायता ६४	-अकाल सहायता
१०७	अन्तिम से ७	श्री पोहमल ईसरदास	श्री पोहूमल ईसरदास
११५	शीर्षक	अनुदान मांग	अनुदान की मांग
१२५	अन्तिम से २ व अन्तिम	(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन) (१.४५ म. प.)	(१.४५ म. प.) (श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)
१४६	शीर्षक	अनुदानी मांग	अनुदान की मांग
१५३	शीर्ष	(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)	(श्री विजयसिंह झाला)
१५६	१६	(कसी	(किसी
१७०	शीर्षक	अकला	अकाल
१७४	,,	सहायाता	सहायता
१७६	,,	अनुरक पूअनुदान	अनुपूरक अनुदान
१८०	१६	(किशनपोल, बाजार)	(किशनपोल, जयपुर)
१८१	शीर्ष	—	(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
१८५	२	श्री पोहमल ईसरदास	श्री पोहूमल ईसरदास
,,	६	श्री पोहूमल ईश्वरदास	,, ,, ,,
१८७	शीर्ष	(श्री डूगाराम राजोरिया)	(श्री डूंगाराम राजोरिया)
१८६	,,	श्री भानुप्रसाद कराड़िया	(श्री भानुप्रसाद कराड़िया)
,,	१४	श्री रानकिशन	श्री रामकिशन
१६३	शीर्षक	अनुरक पूअनुदान	अनुपूरक अनुदान
१६४	,,	संख्ल २६-	संख्या २६-

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
११३	अन्तिम से ४	श्रीमती नगेन्द्रबाला (छाबणा)	श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा)
२१४से२२०	शीर्षक	लागत ६४	लागत
२२०	,,	मुधार पर	सुधार पर
२२३	१	कंवर श्री महेन्द्रसिंह	कुंवर श्री महेन्द्रसिंह
२२४से२२६	शीर्षक	जन-स्वास्थ्य ६४	जन-स्वास्थ्य
२२४	४	(रायसिंह नगर)	(रायसिंहनगर)
,,	५	श्री हरिरामा चोहान	श्री हरिराम चौहान
२२८	७	मांग संख्या १८	मांग संख्या ८
२३१	शीर्षक	विनियोग	विनियोग
२३२	अन्तिम	श्री उपाध्यत्त	श्री उपाध्यत्त
२३८	३	एक माननीय सयस्य	एक माननीय सदस्य
,,	५	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
,,	२१	(वित्त-मंत्री)	(वित्त-मंत्री)
२४१	१२	श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनोड)	श्री उमरावसिंह ढाबरिया(बनेड़ा)
२४३	शीर्षक	विनियोग विधेयक-२२ अक्टूबर, ६४-(सं. ४), ६४	विनियोग (सं०४)-२२ अक्टूबर, ६४-विधेयक, १६६४
२४४	११	तदनन्तर जाती है।	जाती है।
,,	१२	सदन की	[तदनन्तर सदन की
,,	अन्तिम	हुई	हुई]
२४८	शीर्षक	परिशिप्ट	परिशिष्ट
२५४	अन्तिम से ५	का सुावधाएं	को सुविधाएं

* विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित करवाया जावेगा।